लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-13, गुरुवार, 6 मार्च, 1969/15 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 13 --Thursday, March 6, 1969/Phalguna 15, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
301	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये सुझाव / Suggestion to Improve Financial Position of IAC	1–3
302	जीवन बीमा निगम में संगणक / Computers in Life Insurance	3
303	देश में संगणकों की संख्या / Computers in the country	4–10
304	उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में पशुपालन कार्यक्रम / Animal Husbandry Programme in Kosi belt of North Bihar	10–12
305	दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण / Distribution of Fertilizers in Delhi by cooperative Societies	12–15
306	चौथी योजनावधि में काजू उद्योग का विकास / Development of Cashewnut Industry during Fourth Plan ...	15–18
307	मैक्सिकन गेहूं के बीजों का निर्यात / Export of Mexican Wheat seeds ...	18–19
311	मैसूर और महाराष्ट्र में कृषि प्रदर्शन फार्मों का कृषि विस्तार केन्द्रों में बदला जाना / Conversion of Agricultural Demonstration farms in Mysore and Maharashtra into Agricultural Extension Centres	19

अ. सू. प्र. सं./S. N. Q. Nos.

2	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाना / Increase in the prices of milk by Delhi Milk Scheme	20–26

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.

308 राष्ट्रीय श्रम आयोग — National Commission on Labour 26–27

309 जंगली जीवों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय पार्क — National Parks to Preserve Wild Life 27

310 भारती मिल, पांडिचेरी द्वारा बोनस न दिया जाना — Non payment of Bonus by the Bharathi Mill, Pondicbery 27–28

312 ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों का लगाया जाना — Installation of Telephones in Rural Areas ... 28

313 कोयलाखान विनियम, 1957 में संशोधन — Amendment of the Coal Mines Regulation, 1957 28–29

314 राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी — National Minimum Wage 29

315 डाकघरों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग — Automation in Post Officers 29–30

316 पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रतिवेदन — Report on Panchayati Raj Institutions 30–31

317 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विस्तार — Expansion of Hindustan Cables Ltd. 31

318 गन्ने की कीमतें — Sugarcane Prices 31–32

319 उत्तर प्रदेश में अनाज की खरीद — Procurement of Foodgrains in U.P. 32

320 उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बेरोजगारी — Unemployment in Eastern Districts of U.P. ... 33

321 कृषि श्रम जांच प्रतिवेदन — Reports of Agriculture Labour Enquiry... .. 33

322 गन्ने की कीमतें निश्चित करने के बारे में विलम्ब के कारण हानि — Loss due to delay in fixing price of Sugarcane 33–34

323 दालों तथा मोटे अनाज के मूल्यों में कमी — Fall in prices of pulses and coarse Grains .. 34

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
324 नाइट्रोजन और फासफेट युक्त उर्वरक का आयात	Import of Nitrogenous and Phosphatic Fertilizers	34–35
325 भारतीय वनस्पतियों और जन्तुओं के सम्बन्ध में टिकटें	Stamps on Indian Flora and Fauna ...	35
326 खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains ...	35
327 भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund Arrears	36
328 लक्कदीव द्वीपसमूह में रोजगार	Employment in Laccadive Islands	37
329 सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने वाला कारखाना स्थापित करना	Setting up of Tractor Manufacturing Plant in the Public Sector	37
330 खनिकों की काम करने की स्थिति	Working Condition of the Miners	37–38
अतां. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.		
1851 नई दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections to social workers and Publicmen in New Delhi	38
1852 संचार विभाग की रिपोर्ट	Reports of the Department of communications	38–39
1853 जबलपुर के डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को उन के द्वारा चिकित्सा पर व्यय को धन राशि का दिया जाना	Medical Reimbursement to P & T Employees of Jabalpur	39–41
1854 मध्य प्रदेश में नलकूप	Tube wells in Madhya Pradesh	41
1855 पटसन सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board on Jute	41–42

1856 राज्यों के लिये चीनी का कोटा — Sugar Quota for States ... 42

1857 दिल्ली स्टेट टीचर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी — Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society 42

1858 वर्ष 1947-48 में कृषि उत्पादन की दर — Rate of Agricultural Growth since 1947–48 .. 42-43

1859 देश में बेरोजगारी — Unemployment in the country 43–44

1860 रूसी ट्रैक्टरों का आयात — Import of Russian Tractors 44

1861 पुनः प्रेषण केन्द्र को नागपुर से भोपाल ले जाना — Shifting of Returned Letter Office from Nagpur to Bhopal 44–45

1862 पुनः प्रेषण केन्द्र, नागपुर का तीन भागों में विभाजन — Trifurcation of Returned Letter Office, Nagpur 45

1863 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वैज्ञानिकों का चयन — Selection of Scientists by ICAR 45–46

1864 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में निदेशकों के पद — Posts of Directors in I.C.A.R. 46

1865 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रशिक्षणार्थी — Inservice Trainees sent abroad by ICAR ... 46–47

1866 मध्य प्रदेश में खेती योग्य भूमि में सिचाई सुविधायें — Irrigation Facilities for cultivable land in M.P. 47

1867 मध्य प्रदेश में हड़तालें तथा तालाबन्दी — Strikes and lockouts in Madhya Pradesh ... 48

1868 मुजफ्फरपुर (बिहार) में तम्बाकू की खेती — Tobacco cultivation in Muzaffarpur (Bihar) ... 48

1869 बिहार में कृषि उद्योग — Agro Industries in Bihar 48–49

1870	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	49
1871	पंचायतों के चुनाव	Elections to Panchayats	49
1872	दण्डकारण्य परियोजना में गबन	Embezzlement in Dandakaranya Project ...	49–50
1873	पशु चिकित्सालय, तीस हजारी, दिल्ली राज्य	Veterinary Hospital, Tis Hazari (Delhi) ...	50
1874	कौशल्यापुरी लूट का मामला	Kaushalyapuri looting case	50–51
1875	कौशल्यापुरी फार्म	Kaushalyapuri Farm	51–52
1876	कौशल्यापुरी गबन मामला	Kaushalyapuri Embezzlement Case	52
1877	उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में पशुपालन कार्यक्रम	Animal Husbandry Programme in Kosi Belt of North Bihar	52–53
1878	पशु प्लेग के टीकों का निर्माण तथा सम्भरण	Manufacturing and Supply of Rinder-Pest Vaccine	53–54
1879	नवतनवा खण्ड में पाताल तोड़ कुएं	Artisan Wells in Newatanwa Block	54
1880	कच्चे पटसन का उत्पादन	Production of Raw Jute	55
1881	अंशकालिक पत्रकार	Part Time Journalists	55–56
1882	आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में नलकूप लगाना	Sinkings of Tube wells in Andhra Pradesh and Rajasthan	56
1883	चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors during Fourth Plan	56–57
1884	इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि	Provident Fund of Employees of India Electric Works Ltd.. Calcutta	57–58
1885	आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास की केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनायें	Centrally sponsored Schemes for Development of Agriculture in Andhra Pradesh	58

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1886	खाद्यान्नों (खरीफ की फसल) की वसूली	Procurement of Foodgrains (Kharif Crop) ...	58–59
1887	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में घाटा	Losses in India Telephone Industries Ltd. ...	59
1888	पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी की खड़ी फसलों में कीड़ा लगना	Rabi Crops affected by Pest in Eastern U.P. ..	59–60
1889	उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक टिकटों का अभाव	Shortage of Postal stamps etc. in Rural Areas of U.P.	60
1890	पटना और दानापुर (बिहार) में अनधिकृत टेलीफोन कनेक्शन	Unauthorised Telephone connections in Patna and Danapur (Bihar)	60–61
1891	औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल	Strikes in Industrial Establishments	61–62
1892	आस्ट्रेलिया से चावल का आयात	Import of Rice from Australia	62
1893	अधिक उपज वाले चावल और गेहूं बोने का कार्यक्रम	Targets for use of High Yielding varieties of Rice and Wheat ... —	62–63
1894	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi — ...	63–64
1895	कृषक ऋण सहकारी समितियां	Farmers' Debts Co-operative Societies ... —	64–65
1896	फिलीपीन से चावल का आयात	Import of Rice from Philippines ..	65–66
1897	थानों में टेलीफोन व्यवस्था	Telephone connections to police Stations ..	66–67
1898	इलेक्ट्रानिक संचार प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान	Research on the Electronic Communication system — ..	67
1899	कारखाना अधिनियम का उल्लघंन	Violation of Factory Act	67–68

अता.प्र.संख्या. /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1900 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Training Institutes	68
1901 मैसर्स आर्मी एण्ड पुलिस इक्विपमेंट सप्लाई कम्पनी, कानपुर	M/s Army and Police Equipment Supply Co., Kanpur	68
1902 सुपर बाजार	Super Bazars	68–69
1903 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों द्वारा देय बकाया राशि	Arrears of dues on accounts of employees state Insurance Scheme	69–70
1904 दूर सचार सुविधा	Telecommunication facilities	70
1905 फल उत्पादन कार्यक्रम	Fruit Production programme	70–71
1907 चीनी का विनियंत्रण	Decontrol of Sugar	71–72
1908 दिल्ली में बढ़ती हुई बेरोजगारी	Increasing unemployment in Delhi	72
1909 बोनस अधिनियम का उल्लघंन	Violation of Bonus Act	72–73
1910 कोयला खान दुर्घटनायें	Coal Mines Accidents	73
1911 आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों में हड़ताल/तालाबन्दी	Strikes/lock outs in industries of Andhra Pradesh	73
1912 बिहार में गन्ने की सप्लाई में कमी	Shortfall in Sugarcane Supplies in Bihar ...	73–74
1913 न्यूनतम मजूरी निर्धारण	Fixation of Minimum Wage	74
1914 उत्तर प्रदेश में छोटी सिचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in U.P.	74–75
1915 डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली	Direct dialing system	75–76
1916 मोतीबाग 2, नईदिल्ली में दूध का डिपो	Milk booth in Moti Bagh II, New Delhi ...	76

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1917 उत्तर प्रदेश में तारों का रोका जाना	With-Holding of Telegrams in U. P.	76-77
1918 पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	77
1919 भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में तारें रोक लेना	With-Holding of Telegrams in U.P. under section 5 (i) (b) of Indian Telegraphs Act	77-78
1920 चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान न किया जाना	Non-payment of dues by Sugar Mills to Cane Growers	78
1921 सोयाबीन की खरीद की दरें	Rates for purchase of Soyabean	78
1922 उत्तर प्रदेश के किसानों को हम्सा नामक धान की अधिक उपज देने वाली किस्म की सप्लाई	Supply of High-yielding variety of paddy called 'Hamsa' to Uttar Pradesh Farmers	78-79
1923 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना	Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme ..	79
1924 भूमि अर्जन जांच समिति	Land Acquisition inquiry committee	79
1925 गुड़ में सेलखड़ी की मिलावट	Adulteration of Gur with soft stone ...	80
1926 फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिये स्थायी तकनीकी समिति	Standing Technical Committee to study the cost of production of crops	80
1927 कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के पालमपुर 'कैम्पस' पर किया गया खर्च	Expenditure incurred for Palampur campus of Agriculture University, Ludhiana	80-81

1928	वन संसाधनों का पूर्व नियोजन सर्वेक्षण	Pre-investment survey of Forest Resources ...	81
1929	रेडियो आपरेटरों द्वारा विदेशों में दूर संचार	Intercommunications with the Foreign countries by Radio Operators	82
1930	लक्कदीव द्वीप समूह में कामदिलाऊ दफ्तर	Employment Exchange in Laccadive Islands –	82
1931	पुनर्वास आवास निगम	Rehabilitation Housing Corporation	83
1932	गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Telephone Booths in Gujarat ...	83–84
1933	उड़ीसा में भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय	Land Reform Measures in Orissa –	84–85
1934	क्रास - बार प्रणाली में प्रशिक्षित टेलीफोन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	Gazetted Officers of Telephone Department Trained in cross bar system	85
1935	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India	85–86
1936	शुद्ध घी के मूल्य	Price of Pure Ghee	86–87
1937	नलकूपों का लगाया जाना	Drilling of Tube wells	87
1938	पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड	Rehabilitation Housing Corporation Ltd. ...	87–89
1939	दिल्ली दुग्ध योजना को हानि	Losses to Delhi Milk Scheme – –	89–90
1940	गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड पंचाट के बारे में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन	Report of the National Tribunal on the Wage Board Award of non-working Journaists –	90
1941	बिजली मजूरी बोर्ड का पंचाट	Award of Electricity Wage Board – –	90–91
1942	मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Wage Board Awards ...	91

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1943 बिहार में कारखानों में कर्मचारियों की मुअतली	Suspension of Employees in Factories in Bihar	91–92
1944 चौथी योजना में कृषि के लिये नियतन	Agriculture during Fourth Plan	92
1945 चावल का उत्पादन	Rice Production	93
1946 कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Coal Wage Boards' Recommendations	93
1947 फास्फेट उर्वरकों का आयात	Import of Phosphatic Fertilizers	94
1948 आयातित उर्वरकों का संग्रह तथा उनका खराब हो जाना	Accumulation and Deterioration of Imported Fertilizers	95
1949 कौशल्यापुरी की लूट का मामला	Kaushalyapuri Looting case	95–96
1950 ग्राम विकास कार्यक्रम	Rural Works Programme	96
1951 रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Russia	96–97
1952 उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिये गेहूं की तस्करी	Smuggling of Wheat from U.P. to Delhi ...	97
1953 सांकेतिक हड़ताल के दौरान वफादार कर्मचारियों को पुरस्कार	Reward to loyal Employees during Token strike	97–98
1954 आधुनिक बुचड़खाने का निर्माण	Construction of modern slaughter House ...	98
1955 चीनी का निर्यात	Export of Sugar	98–99
1956 माधवपुर सार्वजनिक टेली-फोन को मधुबनी से मिलाना	Linking of Madhawapur Public Call Office to Madhubani	99–100
1957 राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल	Study Groups of National Labour Commission	100

1958	हिसार में केन्द्रीय भेड़ तथा बीज फार्म	Central Sheep and Seed Farm at Hissar	100-101
1959	पायरोटन टैक्स इन्डिया लिमिटेड, बम्बई	Pyrotene Tex India Ltd., Bombay	101
1960	मैसर्स न्यू केसर-ए-हिन्द मिल्स लिमिटेड, बम्बई	M/s New Kaisar-E Hind Mills Ltd. Bombay	101-102
1961	मैसर्स मून कारपोरेशन लिमिटेड, हरगांव	M/s Moon Corporation (P) Ltd., Hargaon ...	102
1962	मैसर्स अवध शूगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई	M/s Avadh Sugar Mills Ltd.. Bombay ...	102-103
1963	मैसर्स वोलटास लिमिटेड, बम्बई	Messrs Voltas Limited, Bombay	103
1964	मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	M/s Scindia Steam Navigation Company Ltd., Bombay	103-104
1965	पौड़ी गढ़वाल में डाकघर	Post Offices in Pauri Garhwal	104
1966	पालिथीन के थैलों में दूध की सप्लाई	Supply of Milk in Polythen Bags	104
1967	टेलीफोन के बिलों के भुगतान की रसीद	Acknowledgement of payment of Telephone Bills	105
1968	विजयवाड़ा के न्यायालय में रखे टेलीफोन विभाग के तांबे के तारों तथा अन्य वस्तुओं का नीलाम	Auction of copper wire and other material o telephone department lying in Court at Vijayawada	105
1969	देवरिया जिले में किराये के भवनों में डाकघर	Post Office in District Deoria and Ballia housed in rented buildings	1 6
1970	रबी की फसल का अनुमान	Estimates of winter crops	106
1971	उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of fertilizers to U.P.	106-108

1972	उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाना	Installation of Tube Wells in U.P.	108–109
1974	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	109–110
1975	उड़ीसा से समाचार सामग्री का रोका जाना	Withholding of Press despatches from Orissa	110–111
1976	उद्योगों में मन्दी आने से कर्मचारियों पर प्रभाव	Employees Affected due to recession in Industry	111
1977	पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू तथा काश्मीर को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Cereals to West Bengal, Kerala and Jammu and Kashmir	111–112
1978	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Collieries	112
1979	दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिये अध्यापकों को मानदेय	Honorarium to Teachers for preparation of Ration Cards in Delhi	112
1980	उड़ीसा में उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers in Orissa	113
1981	केरल में दूर संचार और टेलेक्स व्यवस्था का विकास	Development of Tele-communication and Telex system in Kerala	113–114
1982	केरल क्षेत्र में मत्स्य केन्द्र	Fishing centres in Kerala Area	114
1983	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न	Foodgrains under PL 480	115
1984	राजस्थान में पालना लिग्नाइट खानों में आग	Fire in Palana Lignite Mines in Rajasthan ...	115–116
1985	चौथी पंचवर्षीय योजना में खेती के सुधरे हुए औजारों का प्रयोग	Use of improved Agricultural Implements in Fourth Plan	116
1986	प्रमुख गांव (की विलेज) तथा पशु विकास योजनाएं	Key Village and Cattle Development Schemes	116

1987	जापानी कृषि प्रदर्शन फार्म	Japanese Agricultural Demonstration Farms	117
1988	गांधी शताब्दी के उपलक्ष में महात्मा बुद्ध पर डाक टिकट जारी करना	Issue of a Stamp on Buddha in connection with Gandhi Centenary	118
1989	शोलापुर के छोटे विद्युत करघा चालकों का अभ्यावेदन	Representation of the small powerloom operators of Sholapur	118-119
1990	अन्दोरा, महाराष्ट्र में उप-डाकघर खोलना	Openping of sub-post office in Andora Maharashtra	119
1991	स्वचालित एक्सचेंजों की स्थापना	Installation of Automatic Exchanges	119-120
1992	सामुदायिक विकास योजना	Community Development Scheme	120
1993	राजस्थान में बेरोजगारी	Unemployment in Rajasthan	120
1994	गेहूँ की बुवाई	Sowing of Wheat	121
1995	अनाज का आपातकालीन भण्डार (बफर स्टाक)	Buffer stock of foodgrains	121-122
1996	मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी	M/s Bennett Coleman & Co.	122
1997	भारतीय कृषक मंच (फारमर्स फोरम) को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Farmers' Forum of India	122-123
1998	दिलावरी भोपाल में केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् द्वारा खोला गया चारे का भंडार	Fodder Bank opened by Central Gosamvardhan Council in Dilawari, Bhopal	123
1999	चावल का आयात	Import of Rice	123
2000	हरी खाद की खेती	Growing of green manure	124
2001	पंचायतें	Panchayats	124
2002	सामुदायिक विकास खण्डों को समाप्त करना	Abolition of community development blocks	124-125

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
2003	किसानों द्वारा उन्नत बीजों का प्रयोग / Use of Improved seeds by Farmers	125
2004	मध्य प्रदेश में पशुपालन योजनार्थे / Animal Husbandry Schemes in Madhya Pradesh	125–126
2005	राजूरा, महाराष्ट्र में तार घर / Telegraph Office at Rajura, Maharashtra ...	126–127
2006	समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना / Drilling of tube-wells in Rajasthan Exploratory Tube wells Organisation	127
2007	इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड / Wage Board for Engineering Industry... ...	128
2008	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में भविष्य निधि लगाना / Investment of Provident Fund in State Government Securities ...	128–129
2009	नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर (पश्चिम बंगाल) / National Sugar Mills, Ahmedpur (West Bengal)	129
2010	देश में बेरोजगार व्यक्तियों का संगठन बनाना / Organising unemployed in the country ...	129–130
2011	रोजगार के अवसर / Employment opportunities ...	130
2012	मलनाड का वर्गीकरण / Classification of Malnad	131
2013	चीनी के कारखाने / Sugar Factories	131–132
2014	खेती योग्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनान / Reclamation of barren cultivable land ..	132
2015	चावल का निर्यात / Export of Rice	132–133
2016	चाय उद्योग की व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाना / Rationalisation of tea industry	133–134
2017	माइक्रोवेव संचार उपकरण बनाने के लिये हंगरी से सहयोग / Hungarian collaboration for Manufacture of Microwave Communications equipments ..	134
2018	भारतीय सैनिक डाक सेवा / Indian Army Postal Service	134 135

2019	फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों की नसल बढ़ने से रोकने के उपाय	Measures to Stem the rising Tide of plant Pests	135
2021	राजस्थान में एक डाकिये के घर से पत्रों का बरामद होना	Recovery of letters from the House of a Postman in Rajasthan	135-136
2022	रामनगर डाकघर, मेरठ में बचत बैंक के लेखे में गड़बड़ी	Misappropriation of savings Bank Accounts in Ramnagar P.O., Meerut ... —	136
2023	राज्यों में लगान	Land Revenue in States ... —	136
2024	मनीपुर में धान की वसूली	Procurement of Paddy in Manipur — ...	136-137
2025	दिल्ली में फसलों पर कीटनाशी दवाइयों का प्रभाव	Effect of Pesticides on Crops in Delhi... ...	137
2026	होली के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Holi	137
2027	पटना सिटी के व्यापारियों के लिये टेलीफोन सुविधा	Telephone Facilities to Traders in Patna City	137-138
2028	ग्राम पंचायतों तथा खण्ड मुख्यालयों में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone Facilities to Gram Panchayats and Block Headquarters	138
2029	गहन कृषि विकास कार्यक्रम	Intensive Agriculture Development programme	139
2030	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में गहन कृषि विकास कार्यक्रम	Intensive Agriculture Development Programme in Faizabad U. P. .. —	139-140
2031	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कृषक प्रशिक्षण संस्थायें	Farmers Training Institute in Collaboration with U.N. Development Programme ...	140-141
2032	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	141
2033	मध्य प्रदेश के लिये उर्वरकों का नियतन	Allotment of Fertilizer to Madhya Pradesh ...	141-142

2034 बिहार में चीनी की मिलें — Sugar Mills in Bihar .. 142

2035 उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ग्राम समाज भूमि का आवंटन — Allotment of Gram Samaj Land in U. P. and Bihar 142 143

2036 आगरा जिले में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन — Allotment of Land to Ex-servicemen in District Agra 143

2037 बिहार में खाद्यान्नों की काफी अच्छी फसल देने वाली किस्मों की खेती — Acreage of High Yielding varieties of Foodgrains in Bihar 143–144

2038 बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन — Foodgrains Production in Bihar 144

2039 बिहार में सिंचाई सुविधायें — Irrigation Facilities in Bihar 144–145

2040 मूंगफली के तेल पर वसूली उप-कर — Procurement Levy on Groundnut oil... ... 145–146

2041 गुजरात में खाये जाने वाले तेल का खरीदना और बेचना — Purchase and sale of of Edible oil in Gujarat 146

2042 जेरिबुल नामक रेगिस्तानी चूहों द्वारा क्षति — Damage done by a Desert Rat called gerible 146–147

2043 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की भविष्य निधि — Provident Fund of the Employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi 147

2044 बांदा जिले में टेलीफोन सेवा — Telephone Service in District Banda .. 147–148

2045 डाक व तार विभाग द्वारा वायरलेस आपरेटरों के पदों को समाप्त किया जाना — Abolition of the Posts of Wireless operators by post and Telegraphs Department ... 148

2046 कार निकोबार द्वीपों में सहकारी समितियां — Cooperative Societies in Car Nicobar Island 148

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2047 कांडला उर्वरक कारखाना	Kandla Fertilizer Project	148–149
2048 उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में खाद्यान्न का उत्पादन	Food Production in District Banda, U. P. ...	149
2049 संसद सदस्यों के टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन	Changes in the Telephone numbers of Members of Parliament ... –	149–150
2050 बढ़ती हुई बेरोजगारी	Increasing Unemployment ... –	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	151–155
शेख अब्दुल्ला का भाषण	Speech of Sheikh Abdullah	151
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	155–158
लोह तथा इस्पात विभाग के कुछ अधिकारियों का लोक लेखा समिति के समक्ष साक्ष्य	Evidence of certain Iron and Steel Department Officers before Public Accounts Committee	155
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	158–160
सामान्य आय-व्ययक 1969-70 सामान्य चर्चा	General Budget 1969 70 General Discussion	160
श्री मो० रु० मसानी	Shri M. R. Masani ...	163
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani ... –	169
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ...	172
श्री नरेन्द्र कुमार सालवे	Shri Narendra Kumar Salve ...	176
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh – ...	180
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha – –	183
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair ... –	185

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	187
तीसवां प्रतिवेदन	Thirtieth Report	187
राज्य विधान मंडल की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में वक्तव्य	Statement re. West Bengal Governors Address to both Houses of the State Legislatves ..	187
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	187

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 6 मार्च 1969/ 15 फाल्गुन, 1890 (शक)
Thursday, March 6, 1969/ *Phalguna* 15, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इस प्रश्न का उत्तर असैनिक उड्डयन मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये था जबकि इसे श्रम मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह किस मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : प्रश्न संख्या 301.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये सुझाव

*301. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन दल के सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):(क)से(घ): सरकार को मालूम हुआ है कि वायु परिवहन उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत कर दी है । इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और इस मामले पर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार करेगी ।

श्री क० प्र० सिंह देव : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उन्हें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । वायु परिवहन उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल की इस रिपोर्ट में दो विमति टिप्पण हैं- एक कर्मचारियों के प्रतिनिधि का तथा दूसरा नियोजक के प्रतिनिधि का । दोनों टिप्पणों में अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से मूल रूप से अंतर है । इसलिये मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई कार्यवाही करने से पहले दोनों विमति टिप्पणों पर विचार करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । ये अध्ययन दल श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गये थे । उन्होने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं तथा उन प्रतिवेदनों पर विचार करना उनका काम है । आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ही उस बारे में हम कुछ कह सकते है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : यह प्रतिवेदन 13 दिसम्बर, 1968 को प्रस्तुत किया गया था । मैंने उसकी एक प्रति पुस्तकालय से ले ली है । अब, अध्ययन दल के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अभी एक दूसरा सरकारी उपक्रम है जहां घोर कुप्रबन्ध है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को अवमूल्यन तथा अन्य ऐसी बातों की शरण लेने की बजाय, जो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के घाटे के लिये उत्तरदायी हो, एक स्पष्ट उत्तर दे देना चाहिये कि वह इसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे कि उस उपक्रम में अच्छा प्रबन्ध हो, श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध सुधरे तथा वहां पर औद्योगिक शान्ति रहें ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं यद्यपि प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है, 18 दल नियुक्त किये गये हैं तथा उनमें से कुछ ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं । उन्हें परिचालित कर दिया गया है । परन्तु ये प्रतिवेदन राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत किये जाते हैं जो उनपर विचार करेगा । राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा सरकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् श्रम सम्बन्धी पहलुओं पर श्रम मंत्रालय विचार करेगा तथा जिन पहलुओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उनपर सम्बन्धित मंत्रालय विचार करेगा ।

श्री रंगा : प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया था। क्या हम यह समझ लें कि यह श्रम आयोग को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में कुछ ऐसी सिफारिशें अवश्य होगी जिन पर दोनों पक्ष सहमत होंगे। वे सिफारिशें कौन-कौन सी थी, क्या सरकार ने उन सब को स्वीकार कर लिया है और क्रियान्वित किया है ? उन्होंने किन-किन सिफारिशों पर श्रम आयोग की सलाह मांगी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : क्या मैं स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूँ ? ये अध्ययन दल सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किये गये थे। सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग नियुक्त किया था तथा आयोग ने कोयले, कपास, कपड़े, वायु परिवहन उद्योग आदि विभिन्न उद्योगों पर विचार करने के लिये विभिन्न अध्ययन दल बनाये थे। यह दल भी उन दलों में से एक है जो आयोग ने बनाये थे। अतः यह आयोग का दल है। यह अध्ययन दल अपना प्रतिवेदन सरकार को नहीं, श्रम आयोग को प्रस्तुत करता है। आयोग सभी अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों पर विचार करेगा और सरकार को सुझाव देगा कि क्या किया जाना चाहिये। तब हम उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब अगला प्रश्न 302 तथा उसके साथ प्रश्न संख्या 303 भी ले लिया जाये।

जीवन बीमा निगम में संगणक

*302. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जिन देशों में विद्युत-संगणकों द्वारा स्वचालित प्रणाली अपनाई गई है वहां इसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी और कर्मचारियों की छंटनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत में भी जीवन बीमा निगम में विद्युत संगणक प्रणाली के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी आवश्यक होगी; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विद्युत संगणकों के लगाये जाने से कुछ लिपिक वर्गीय श्रमिक विस्थापित हुये हैं लेकिन वे सम्बन्धित उपक्रमों के विस्तार अथवा रोजगार के नये क्षेत्र निर्मित किये जाने से उत्पन्न वर्धित मांग के द्वारा सामान्य रूप से पुनः रोजगार पर लग गये।

(ख) जीवन बीमा निगम में संगणकों की स्थापना से कोई छंटनी नहीं हुई है। इस निगम ने यह कहा है कि उसके सभी कर्मचारियों का रोजगार और उपलब्धियां सुरक्षित रखी जायेंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में संगणकों की संख्या

*303. **श्री समर गुह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक भारत के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में कितने संगणक लगाये गये;

(ख) क्या केरल सरकार को भी अपने यहां एक संगणक लगाने की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या सरकार ने उन संस्थानों के वास्तविक और संभावित रोजगार पर संगणकों के प्रभाव का अनुमान लगा लिया है जहां ये संगणक लगाये जाये; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में सामान्य तौर से उत्पादन और रोजगार पर संगणकों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 44 संगणक लगाए गए हैं।

(ख) केरल सरकार द्वारा कोई संगणक नहीं लगाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। समिति में विशेषज्ञों सहित सभी हितों के प्रतिनिधि होंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह यहां नहीं है। मुझे गलती लगी है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है कि संगणक लगाये जाने से रोजगार पर असर पड़ता है। इस तरह से भाग (ख) और(ग) के उत्तर में कहा गया है कि बम्बई में जीवन बीमा निगम द्वारा संगणक लगाये जाने से कोई छंटनी नहीं हुई है। परन्तु कलकत्ता में संगणक लगाये जाने के बारे में देश भर के बीमा कर्मचारियों में असंतोष की लहर भड़क उठी थी तथा वे 25 दिसम्बर, 1968 से सांकेतिक हड़ताल करना चाहते थे। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता में संगणक लगाये जाने की सम्भावना है अथवा उसे लगाने से पहले वे नये सिरे से चर्चा करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : बम्बई में संगणक लगाया जा चुका है तथा वहां पर कोई छंटनी नहीं की गई है। हमें यह भी आश्वासन मिल गया है कि न तो कोई छंटनी की जायेगी और न ही श्रमिक आय में कोई हानि होगी। इस आश्वासन को देखते हुए कलकत्ता में संगणक लगाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु उसे अभी तक कलकत्ता में लगाया नहीं गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : अधिकांश राज्य सरकार, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार के नेता, बीमा कर्मचारियों के हितों के लिये संघर्ष करते रहे हैं तथा वे उन्होंने हमेशा इन आदमखोरों का विरोध किया है क्योंकि संगणक आदमखोर होते हैं। वित्त मंत्री ने इस बारे में कड़ा रवैया अपनाया है कि वह कर्मचारियों के संगठनों के साथ इस बारे में नये सिरे से विचार

नहीं करना चाहते हैं । मैं नहीं जानता कि क्या श्रम मंत्री का दिल अभी भी खुला है परन्तु उनका दिल पहले तो खुला था । वह भिन्न-भिन्न कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर विचार करना चाहते थे तथा उन्होंने एक समिति भी नियुक्त की है । चाहे पश्चिम बंगाल हो या केरल, जहां कहीं भी विरोधी दलों की सरकारें बनी है, उन्होंने संगणक लगाने का विरोध किया है । इन बातों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य उद्योग में और संगणक लगाने से पहले वे पश्चिम बगाल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सलाह करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि पहले कई बार घोषणा की जा चुकी है, सरकार यह महसूस करती है कि जहां कहीं संगणक लगाने से छटनी होती हो अथवा उससे आय में कमी हो अथवा उससे सामाजिक हित को ठेस पहुंचे वहां उन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । हमने संगणक लगाने के बारे में एक स्पष्ट प्रकिया निर्धारित की हुई है । जो कोई भी संगणक लगाना चाहें उसे एक प्रपत्र भरना पड़ता है जिसमें हम सभी पहलुओं पर जानकारी मांगते हैं । उसके बाद हम नियोजकों, कर्मचारियों तथा कार्मिक संघों से सलाह करते हैं । उसके बाद यदि श्रम मंत्रालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि सभी शर्तें पूरी की गई है तथा इससे कोई हानि नहीं होगी तब हम उसे लगाने की अनुमति दे देते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । वित्त मंत्रालय तथा जीवन बीमा निगम तो संगणक लगाने के परिणाम के बारे में ही बातचीत करना चाहते हैं जबकि कर्मचारियों के संघ तो उनके लगाने के बारे में ही नये सिरे से बातचीत करना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में चर्चा की जायेगी कि क्या संगणक लगाना आवश्यक है या नहीं, क्या इससे कार्यदक्षता बढ़ती है या नहीं इत्यादि ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस प्रश्न पर स्थायी समिति की उस बैठक में विचार किया गया था, जो इस काम के लिये विशेष रूप से बुलाई गई थी । आम राय तो यह थी कि जहां अनुसंधान, प्रौद्योगिकी को आदि के लिये संगणक लगाना आवश्यक समझा जाये, वहां हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये । परन्तु इसके साथ ही साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए अंधाधुंद तरीके से संगणक नहीं लगाये जाने चाहियें । इस बारे में यह निश्चय किया गया है कि एक समिति जिसमें सभी हितों के लोग श्रमिक, नियोजक, अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ-होंगे पहले मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करेगी । तब हम इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे कि हमें इसके लिये कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिये ।

Shri D. N. Tiwary : The hon. Minister has said just now that as retrenchment has been affected, I do feel that he will not retrench persons and if at all any persons are retrenched they will be absorbed some where else. May I know whether any assessment has been made that with the introduction of computers the extent to which the depletion of employment will take place. May I also know whether any assessment has also been made regarding the number of persons who could have been absorbed had the computers been not introduced ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Experiences of the countries, such as U. K. and U. S. A. where computers have been installed, have been studied. I. L. O. has given a full report

over this matter. Thereby it has been observed that the introduction of compu ors has no wheer led to unemployment. Here also take the case of data processing, the introduction of computer has led to the increase of emp oyment potential rather than decreasing it.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने यह बहुत अच्छी बात कही है कि संगणक लगाने से पहले या कोई मुख्य परिवर्तन करने से पहले कर्मचारियों समेत सभी हितों के लोगों के साथ सलाह की जायेगी। परन्तु जब स्थायी श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किया जा रहा था और यह सूत्र तैयार किया जा रहा था तो क्या मंत्री महोदय को पता है कि उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि जीवन बीमा निगम में संगणक लगाये जायेंगे तथा कर्मचारियों के साथ सलाह नहीं की जायेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस मामले पर विचार किया है तथा जीवन बीमा निगम में संगणक लगाये जाने के खिलाफ सिफारिश की है ?

श्री हाथी : जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है नियोजकों को अर्थात् निगम के प्रधान को संघों के साथ सलाह करनी थी और हमें भी संतुष्ट करना था। वास्तव में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि संगणक लगाये जाने से कोई छंटनी नहीं की जायेगी। उस आश्वासन के होते हुए यदि किसी व्यक्ति की छटनी की गई तो निस्सन्देह हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मुझे खेद है कि यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। मैंने कहा है कि बम्बई में संगणक लगाये जाने से पहले कर्मचारियों के साथ सलाह नहीं की गई थी और मैं यह आश्वासन लेना चाहता कि कलकत्ता में संगणक लगाये जाने से पहले कर्मचारियों की सलाह की जायेगी। जब ये चीजें हो रही थी तो वित्त मंत्री ने कह दिया कि सलाह करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री हाथी : नवम्बर अथवा उसके लगभग जब यह प्रश्न कर्मचारियों के सामने आया तो कर्मचारी संघों ने कहा कि वे स्वचालित मशीनें लगाये जाने के प्रश्न पर बातचीत करना चाहते हैं। इस पर हमने बैठक को स्थगित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के वक्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री हाथी : वित्त मंत्री ने कहा था कि कोई छंटनी नहीं की जायेगी। हमने इस बात का पता लगा लिया है इसलिये शंका की कोई बात नहीं है। हमने कार्मिक संघों को भी इस की जानकारी दे दी है।

श्री विश्वनाथम : प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री रा० को० अमीन : जब राज्य मंत्री उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के अनुभव की बात कही परन्तु उन्होंने रूस के अनुभव के बारे में हमें नहीं बताया। अब क्योंकि हमने अधिकाधिक सलाह रूस से लेनी आरम्भ कर दी है, तो क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता

हूं कि विशेष रूप से इन क्षेत्रों से संगणकों की स्थापना के बारे में रूस का क्या अनुभव रहा है? दूसरे, क्या हटाये गये कर्मचारियों को उसी संस्थान में दूसरे पदों पर रखे जाने की सम्भावना है ?

श्री भागवत झा आजाद : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इस सम्बन्ध में उन सभी देशों का विश्लेषण किया गया है जहां ये संगणक लगाये गये हैं तथा वहां के श्रमिक संघों तथा प्रबन्धकों द्वारा व्यक्त विचार दिये गये हैं। उस से यह निष्कर्ष निकलता है कि वहां कोई छटनी नहीं हुई है बल्कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जहां तक सोवियत रूस का सम्बन्ध है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सम्भवत. वहां संगणकों के लगाये जाने का कोई विरोध नहीं है।

श्री रा० कि० अमीन : दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहते हैं ? मान लीजिये, संगणकों को लगाने से कुछ कर्मचारी फ़ालतू हो जाते हैं, तो क्या उन्हें किसी अन्य प्रकार के काम में लगाना सम्भव हो सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि कोई छंटनी नहीं हुई है ; अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस० आर० दामानी : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि संगणकों की स्थापना के फलस्वरुप छटनी नहीं होगी। जीवन बीमा निगम का स्वामित्व पालीसी-धारियों के हाथ में है तथा उसका कार्य तेजी से बढ़ रहा है। आजकल पालीसी-धारियों को उनके दावों की राशि ठीक समय पर नहीं मिल रही है कभी-कभी तो उन्हें 6 या 8 मास तक लग जाते हैं। दूसरे प्रशासनिक मामलों में भी काफी देरी होती है और पालीसी-धारियों को बड़ी असुविधा होती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पालीसी-धारियों की कठिनाईयों पर विचार करेगी तथा संगणक लगाकर जीवन बीमा निगम की कुशलता को बढ़ाने का यत्न करेगी ताकि उन लोगों को उनके दावों की राशि उचित समय पर मिल जायें ?

श्री भागवत झा आजाद : जीवन बीमा निगम ने कहा है कि कोई छटनी नहीं होगी और बम्बई में भी नहीं हुई हैं ये जहां संगणक लगाये गये हैं ? हम चाहते हैं कि संगणक लगाये जायें।

Shri Rabi Ray : The replies being given by Shri Bhagwat Jha Azad and Shri Hathi appear to be contradictory. Shri Azad says that as per the ILO's report regarding the other parts of the world, where computors have been introduced, there has been no retrenchment; but Shri Hathi says that keeping in view our economic condition, we have got more manpower which has to be provided with work, and we are faced with the problem of unemployment. In this context, I want to know whether the Government would reconsider their decision regarding automation in L. I. C. and will decide not to install computors because that is likely to result in retrenchment ?

श्री हाथी : मेरे विचार से मेरे शब्दों तथा मेरे सहयोगी के शब्दों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि भारत की हालत तथा यहां की रोजगार सम्बन्धी परिस्थितियों को देखते हुए हमें बिना सोचे समझे ही स्वचालित यन्त्रों की ओर नहीं भागना

चाहिये। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों का अनुभव कहता है कि जहां भी संगणक लगाये गये है वहां एक क्षेत्र में स्थिति में कुछ परिवर्तन तो हुआ है परन्तु कार्य व्यापार के बढ़ जाने से कुल मिलाकर रोजगार में कमी नहीं आई है। अतः मेरे और उनके शब्दों में कोई विरोध नहीं है। यह निश्चय करना हमारा कर्त्तव्य होगा कि जहां संगणकों के लगाने से हम तकनीकी विकास और अनुसन्धान करे वहां साथ में बेरोजगारी न हो।

श्री क० नारायण राव : मन्त्री महोदय ने कहा है कि संगणकों के लगाने से बेरोजगारी नहीं होगी। परन्तु वास्तव में प्रत्येक संगणक के लगाने के फलस्वरुप बेरोजगारी पैदा होगी। जो लोग हटाये जायेंगे उन्हें कहीं और लगा लिया जायेगा। सरकार कहती है कि छटनी नहीं होगी। लोगों को हटाने और फिर लगाने से भी बेरोजगारी पैदा होती है क्योंकि जिन लोगों को सामान्यतः नौकरी मिलनी थी उन्हें अब संगणकों के लगाये जाने के कारण नौकरी नहीं मिलेगी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या संगणकों के कारण वास्तव में बेरोजगारी नहीं फैलती अथवा उन लोगों की छटनी नहीं होती जिन्हें आप इस प्रकार अन्य कामों पर लगायेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : हमें तो सभी पहलुओं पर विचार करना है। जैसाकि मैंने कहा है, यह सम्भव है कि कुछ अनुभागों, उदाहारणतः आंकड़े तैयार करने वाले अनुभाग में कुछ लोगों को हानि हो। परन्तु पूर्ण स्थिति का अवलोकन करने पर जहां रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के अवसर हैं, अध्ययन से पता चलता कि वहां ऐसी परिस्थिति नहीं हैं। कुल मिला कर स्थिति अच्छी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार हमें इस बारे में कुछ बतायेगी कि उनका विचार किन-किन संस्थानों, निगमों तथा उद्योगों में संगणक लगाने का है ? साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया कि इससे रोजगार की क्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा, तो क्या सरकार किसी गैर-सरकारी संस्थान में भी संगणक लगाने पर प्रतिबन्ध अथवा कोई शर्त लगायेगी ताकि उनका भी कोई निश्चित कार्यक्रम हो तथा उनकी रोजगार-क्षमता पर भी कुप्रभाव न पड़े ?

श्री भागवत झा आजाद : संगणक लगाने के बारे में न तो कोई सार्वजनिक रूप से प्रतिबन्ध ही लगा हुआ है और न ही अपने इस देश में जहां बेरोजगारी फैली हुई है, हम यही कहते हैं कि बिना सोचे समझे संगणक लगा दो। मैंने अभी कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो इस बारे में हमारा मार्ग दर्शन करेगी कि हम किन संस्थानों को संगणक लगाने के लिये चुनें। हम इस बारे में प्रत्येक सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं अवांछित ढंग से संगणक न लगाये जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं तो गैर-सरकारी संस्थानों के बारे में पूछ रहा था कि यदि वे लोग संगणक लगाना चाहें तो इस बारे में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी क्या स्थिति होगी ?

श्री हाथी : विदेशी मुद्रा के बारे में यदि कोई गैर-सरकारी कम्पनी किसी मशीन का आयात करना चाहती है तो उसे आयात-लाइसेन्स के लिये आवेदन करना होता है। वह

आवेदन-पत्र श्रम मन्त्रालय को भेजा जाता है तथा श्रम मन्त्रालय उसे सम्बन्धित राज्य के श्रम-निदेशालय को भेजता है। यदि उन्हे संतोष हो जाता है कि कोई छंटनी नहीं होगी तो श्रम मन्त्रालय अपनी स्वीकृति दे देता है तथा आयात-लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या यह सत्य है कि संगणक लगाने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा कार्य-कुशलता में वृद्धि करना है ; और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा कार्य-कुशलता में कहां तक सुधार हुआ है ?

श्री हाथी : कार्य-कुशलता में वृद्धि का अर्थ हमारी अर्थ-व्यवस्था में विकास होता है। यदि तकनीकी विकास में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमें इसे नहीं रोकना चाहिये। परन्तु स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिये। अतः हमें इन दोनों बातों में समन्वय करना है।

Shri S. M. Joshi : You have not replied to Shri Vishwanatham's question whether on of the recommendations of the Administrative Reforms Commission is that there is no need of installing computors in the L. I. C.

Our friend Shri S. M. Banerjee had asked whether you are prepared to discuss denovo this issue with the Union leaders. I want that these questions are answered.

श्री हाथी : मेरे विचार से प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें श्रम मन्त्रालय को नहीं भेजी गई हैं। हमने उन्हें नहीं पढ़ा है। जैसाकि मैंने कहा है, जहां भी संगणक लगाये जाते हैं अथवा आयात किये जाते हैं, श्रमिक संघों से विचार-विमर्श किया जाता है। जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है वह पहले ही दो संगणकों का आयात कर चुका है, एक स्थापित किया जा चुका है और दूसरा स्थापित किया जा रहा है।

श्री एस० एम० जोशी : बिना विचार-विमर्श किये ?

श्री हाथी : विचार-विमर्श कैसा ? यह स्पष्ट है कि वहां छंटनी नहीं होनी चाहिये। यदि वहां छंटनी नहीं होती है तथा वे लोग गारंटी देते हैं कि न तो वहां छटनी होगी और न ही वेतन कम होंगे तो फिर चिन्ता किस बात की है ?

Shri G. S. Mishra : Will the hon. Minister be pleased to state whether the payment of claims in the L. I. C. is being delayed particularly because of installation of computors there? Is it also not a fact that the efficiency decreases owing to the installation of computor and that is why the possibilities of employment have increased there ?

Mr. Speaker : Shri Shastri !

Shri Ram Avtar Shastri : On 5th Dec., 1968, the employees of the Life Insurance Corporation were to go on strike to press some of their demands. This was to be a strike an indefinite period and one of their demands was that the computors should not be installed. That strike did not materialise because the Government held some discussions with that Union and gave certain assurances, and the Union decided not to go on strike.

I want to know whether Government had given an assurance not to install computors, and if so, What was that assurance ?

श्री हाथी : जहां तक सरकार द्वारा कर्मचारियों और मजदूरों को यह आश्वासन देने का सम्बन्ध है कि कोई छंटनी नहीं होगी, इस सम्बन्ध में उसे कोई कठिनाई नहीं है।

उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में पशुपालन कार्यक्रम

***304. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर में विशेषकर बिहार के कोसी क्षेत्र की बाढ़ में बड़ी संख्या में पशुओं के नष्ट हो जाने के कारण पशु-पालन (विकास) विभाग का विचार उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आसाम के कुछ भागों में 'अच्छी नस्ल के पशु' विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापक ढोर सुधार कार्यक्रम में कोसी क्षेत्र को सम्मिलत करने के लिए इस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या उन लोगों को अच्छे दुधारु पशु मुफ्त देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; जिनके पशु गत अक्तूबर में आपदाजनक बाढ़ में कोसी क्षेत्र में नष्ट हो गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) बिहार के उत्तर भागों में "पशुओं की उत्तम नस्लों" के विकास कार्यक्रम जारी करने का बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। आसाम और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : बिहार सरकार का कोसी नदी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को जिन्हें पिछले अक्तूबर की बाढ़ में पशु हानि हुई दूध देने वाले अच्छे पशु मुफ्त देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, जंगली घुमक्ड़ पशु पकड़ने की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले, दूध देने वाले पशुओं में से, इन व्यक्तियों को, जिनके पशु पिछली भीषण बाढ़ में नष्ट हो चुके हैं, वितरण के लिये 2000 पशुओं के नियतन की प्रार्थना प्राप्त हुई है। इस पर विचार किया जा रहा है। जंगली पशुओं को पकड़ने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अच्छे पशुओं की संख्या मांगे गये 2000 पशुओं से बहुत कम है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : On the midnight of 4th October the unforeseen natural calamity, the floods, rendered all the farmers homeless in both the belts of the Kosi river. Their principal occupation was agriculture and animal husbandry. Our hon. Food Minister went there and saw the pitiable conditions himself, but did nothing for those poor farmers. Neither the advisers sent there in Bihar did anything. I want to

know what will happen to those poor farmers whose occupation or wealth was animal husbandry only ?

खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : यह सच है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से किसानों को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ा और हम जानते हैं कि किसानों के लिये पशु का कितना महत्व होता है। राज्य सरकार ने कुछ राहत प्रदान करने के लिये कुछ उपाय किये हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वन्य पशु पकड़ने की योजना के अन्तर्गत कितने पशु उन लोगों को दिये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत यदि वे कुछ जंगली गऊएं पकड़ते हैं, तो क्या वे पशु उन्हें ही आवंटित करना सम्भव हो जायेगा। मूल उत्तर में यह कहा गया है कि क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले पशुओं की संख्या बहुत सीमित हैं, सारी मांगे पूरी नहीं की जा सकी परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि राज्य सरकार को किसानों के लिये आवश्यक सहायता देने के लिये आवश्यक उपाय करने से रोका जा रहा हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : He has said that he would give only 2000 animals. They have sent cattle several times under the Wild Cattle Catching scheme, but these cattles cannot live in that climate there. It is not like Haryana or certain other cities where these animals wander freely. Neither they can live there nor they do. May I know whether the Government are contemplating any other plan to provide animals of a better breed ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम यह कार्य करने के बहुत इच्छुक नहीं थे परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा था तो हम उनकी बात स्वीकार करने का पूरा यत्न कर रहे थे।

Shri Om Prakash Tyagi : Are Government aware that if a pet and good cattle has to live in jungle hae too becomes wild and loses his qualities of giving milk and doing other jobs in the agricultural field, and then it takes a long time to make him pet again. Kosi area has got plenty of grass fields and fodder areas and a large scale animal husbandry programme can be taken up there just like Haryana. May I know whether Government have formulated a scheme to arrange good breed caws and buffaloes from other parts of India and distribute them to the farmers in the Kosi area ; if so, the details of that scheme and the number of cows/buffaloes to be distributed there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न पशुओं के मुफ्त आवंटन से सम्बन्धित है परन्तु मानीय सदस्य पशु-पालन आदि के सामान्य निवास का जिक्र कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा, पंजाब तथा देश के अन्य भागों से दुधारन पशुओं के भेजने का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi ; The Government are catching wild animals and giving them to the farmers there. What will they do with them ?

Shri Randhir Singh : Everybody including the hon. Minister knows that the animals in Delhi's neighbourhood including Delhi, Rajasthan, U. P., Haryana and Punjab, are of a very good breed and give good quantity of milk and ghee. The hon. Minister had sent our team to Pantnagar. There we saw very nice Haryana cows. We saw Banga. Nore-cows also which give plenty of milk. I want to know from the hon. Minister whether he

would take steps to raise such progeny or breed of cows which would give as much milk as a Bangalore-cow gives and be as beautiful as Haryana Cow so that our country may have strong and beautiful cows which give one maund of milk ?

Have Government formulated any scheme under the Fourth Five Year Plan to provide the poor and landless Harijans and also those who are interested in animal husbandry, a large scale loans on at low rate of interest so that this area may become an "Indian Denmark" ; there may be plenty of milk not only in Haryana, Delhi and Punjab but also in the whole country, and the hon. Minister as also other Ministers and M.Ps. may become very healthy ; we may have more and more live-stock and milk ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हरियाणा के पशुओं की शारीरिक गठन देश में सबसे अच्छी है । हमारा समस्त प्रयत्न इस दिशा की ओर रहा है कि दूध उत्पादन में वृद्धि करते हुए हमारे पशुओं की शारीरिक गठन दूध उत्पादन के साथ-साथ बनी रहे जो कि उत्पत्ति विषयक सम्बन्धी विशेषता है और जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है । हमारा प्रयत्न इसी दिशा में है जिसका कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है, हम संकर नस्लों तैयार करने की विस्तृत योजना पर कार्य कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि यही विकास हरियाणा में आए ।

Shri Ram Charan : „Under the Wild Cattle Catching Scheme in Delhi, cows of good breed are caught and sent to forests where they do not get fodder and this they die of hunger. Many cows are sent to slaughter-House. Will Government formulate a scheme under which the cows are caught and sent to nearest areas, such as Haryana, Meerut, Bulandshar or Aligarh, in U. P. by opening feeding centres there and thus their slaughtering may be stopped.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि का विकास हो रहा है तथा जहां बहुत बड़ी संख्या में किसान हों, वहां वे जंगली पशुओं को अपनी फसल के लिए बाधा समझते हैं । इस कारण राज्य सरकार के अनुरोध पर यह योजना चलाई जा रही है । कई बार जैसे ही हम कुछ पशुओं को पकड़ते हैं तो किसान आकर उनको मांगते हैं, अगर वे इसके मालिक होने का दावा करते हैं तो हम पशुओं को वापिस कर देते हैं । पशुओं को केवल मांगने पर ही दिया जाता है, हम इनको किसी पर जबरदस्ती नहीं कोप सकते ।

Shri Tulsidas Jadhav : As a large number of cattle perish in the flood in Kosi area, serious difficulties arise frequently. May I know whether Government have any scheme under which some arrangement may be made again in this respect ; if so., what is the nature of it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक विचार का सम्बन्ध है, हमने दो जिलों अर्थात् बरूनी और पटना में विस्तृत पशु विकास योजना आरम्भ की है, इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में विस्तृत पशु विकास योजना का कार्य चल रहा है, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में पशु पालन के विकास के लिए योजना में काफी धन नियत किया गया है ।

दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण

***305. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कुछ सहकारी समितियां, जिन्हें दिल्ली में उर्वरकों के वितरण का कार्य सौंपा गया हैं, कदाचार के तरीके अपनाती रही है तथा इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच कराने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कुछ सहकारी समितियों के विरुद्ध उर्वरकों के वितरण में कदाचारों की शिकायतें मिली हैं।

(ख) सही हिसाब न रखना ; कुछेक मामलों में झूठे हिसाब बनाना, झूठी बिक्री दर्ज करना , दिल्ली के इलाके से बाहर के अनधिकृत व्यक्तियों को उर्वरक बेचना ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के सहकारिता विभाग के एक अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के बाद अब इस मामले की जांच उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, नरेला द्वारा की जा रही है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : ये शिकायतें कब मिली थीं और जांच कार्य में क्या प्रगति हुई है ? शिकायतों के अनुसार कितनी राशि का गबन हुआ हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जून और जुलाई 1968 के मध्य शिकायतें प्राप्त हुई थी । कुछ गांव वालों ने महानगर परिषद, दिल्ली के कार्यकारी पार्षद से ये शिकायतें की थीं ।

जहां तक हिसाब का सम्बन्ध है, शिकायतों मे इस प्रकार का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं हैं, परन्तु उन्होंने कहा है कि कदाचार किये गए हैं और इनकी जांच की जानी है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इन सहकारी समितियों द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरक वितरित किया जाता है और बिक्री द्वारा समितियों को कितना लाभ लेने की अनुमति है ? इन समितियों के अलावा ऐसी कौनसी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है और उनके मामलों में सरकार ने कितना लाभ लेने की अनुमति दी है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जिन क्षेत्रों में ये सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं वहां की आवश्यकताओं के अनुसार इनके द्वारा उर्वरकों का वितरण किया जाता है। लाभ के बारे में बताने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि इस समय कितना वितरण किया जा रहा हैं। उनका जो आवश्यकताओं के अनुसार उत्तर दिया है इसका कोई अर्थ नहीं है । लाभ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, दूसरा प्रश्न यह था कि सहकारी समितियों के अलावा अन्य कौनसे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा उर्वरकों का वितरण किया जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह प्रश्न कदाचार से सम्बन्धित है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचना दे सकता हूं । अब तक सहकारी विपणन संघ ने 1.7.68 से 30.11.68 तक

23½ लाख रूपये मूल्य के लगभग 34,244 क्विंटल उर्वरक वितरित किये। लाभ तथा अन्य बातों के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : वितरण के अन्य साधन क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ये साधन सुप्रसिद्ध हैं सहकारी तथा गैर सरकारी एजेंट जो उर्वरकों को बेच रही हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the history of Co-operative Societies in Delhi has been a scandalous one. Complaints against the Co-operative Societies have been received and the charges were proved in light cases. Complaints in respect of fertilizer were made and departmental enquiry was conducted. All the Societies are being run by Congressmen. A Police sub-inspector and two officials of the Police are involved. Not only this, according to the complaints made earlier, Chaudhary Brahm Prakash of Congress was involved in Gur scandal, Shri Shiv Chandra Gupta in Steel Scandal and Shrimati Subhdra Joshi was involved in Hide and Skin Scandal.....

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? आप जानकारी दे रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Gur, Steel and Hide and Skin scandals took place and now a latest incident has come to light. The office Secretary of the All India Congress Committee Shri Patki, and P. A. to the Congress President is involved in malpractices in consumer Co-operative Stores and House Building Societies and the Police is conducting an enquiry.

अध्यक्ष महोदय : आप उर्वरक पर आइये।

Shri Kanwar Lal Gupta : There Co-operative Societies are dominated and monopolised by the political leaders of Delhi. Through their political sold they are amassing wealth and have become the Tatas and the Mundhras within a few years. I want to put two questions in this connection. First, the political leaders should not have monopolies on these Cooperative Societies and they should not misuse their political influence. What action is being taken by Government in this respect. Secondly, Government hand over those cases of the big leaders to C. B. I, who have been found guilty by the Police or Departments concerned so that action may be taken against them after conducting the enquiry ; if not, the reasons therefore ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि हम सहकारी समितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सहकारी समितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सहकारी समितियों सहकारी कानून के अन्तर्गत आती हैं। दिल्ली प्रशासन को जो मामले दिए हुए हैं, उनको वे देखेगी, अगर किसी व्यक्ति ने सहकारी समितियों में कदाचार किया है तो उस विषय पर उसके साथ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। राजनीतिक दलों अथवा दलों कार्य कर रहे व्यक्तियों को इसमें घसीटना न उचित है और न ही संगत।

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked two questions. The Hon. Minister has not answered them. I wanted to know the action that Government were taking to end the monopoly of politicians. It must be answered ....(Interruptions).....

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द

यह असंगत बात है, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं किसी राजनीतिक दल की निन्दा नहीं करना चाहता और न दूसरे दल के ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जो सहकारिता का झूठा कार्यकर्ता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। देश में सहकारी आन्दोलन साधारण आदमी की आर्थिक उन्नति के लिए आरम्भ किया गया है और व्यापारी वर्ग को अनुचित लाभ नहीं देना चाहिए। मेरे विचार में समस्त सहकारी आन्दोलन का उद्देश्य उपभोक्ता को संतुष्ट करना है। परन्तु भारत में सहकारी समितियों का दूरगामी उद्देश्य रहा है। उर्वरक सहकारी समितियां किसान को सहायता देने के लिए बनाई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द :- में जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि क्या इन उर्वरक सहकारी समितियों में किसान हैं अथवा मुख्यतः व्यापारी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ऐसी कोई उर्वरक सहकारी समिति नहीं है। परन्तु ऐसी सहकारी समितियां हैं जो उर्वरकों का वितरण करती हैं। जहां तक विभिन्न सहकारी समितियों में हितों का सम्बन्ध है, यह एक अलग प्रश्न है और अगर माननीय सदस्य इसके लिए पूर्व सूचना दें तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

चौथी योजनावधि में काजू उद्योग का विकास

+

*306. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काजू उद्योग का विकास करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और उसके अन्तर्गत उत्पादन और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है और उसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंशदान अनुमानतः कितना-कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अप्पासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पैकेज कार्यक्रम के सगठन द्वारा वर्तमान बागों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया जायेगा। पैकेज कार्यक्रम में काजू एयर लेयरस द्वारा अधिक उपज देने वाले वृक्षों के

उत्पादन की योजनायें, पैकेज की प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रदर्शन खेतों का संगठन, कच्ची गिरी को एकत्र करने के कार्य में सुधार लाने के लिये बाजारों का सर्वेक्षण करने और पौध संरक्षण साधनों को लोकप्रिय करना सम्मिलित है ।

चौथी योजना के लिये 76000 मीटर टन के अतिरिक्त उत्पादन और निर्यात के लिये 80000 मीटरी टन के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है ।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कुल 75 लाख रुपये की पूंजी निर्धारित की गई है । अभी योजना के आधार पर ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

जहां तक राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के लिये व्यय का सम्बन्ध है, ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री ए० श्रीधरन :- काजू उद्योग देश में डालर अर्जित करने वाले उद्योगों में से एक है और इसका डालर अर्जित करने वाले उद्योगों की सूची में दूसरा स्थान है इससे प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रुप में प्राप्त होती है । इस उद्योग के समक्ष मुख्य समस्या यह है कि इस उद्योग के लिए कच्चा माल पूर्वी अफ्रीकी देशों से आयात किया जा रहा है और उन देशों ने स्वयं माल तैयार करने का कारखाना तैयार कर लिया है और वे योरुप तथा अमरीका को काजू निर्यात करने की सोच रहे हैं । इससे हमारी मंडी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । हमारी हमारी कच्चे माल की आवश्यकता लगभग 26 लाख मीट्रिक टन है और इसमें वृद्धि होनी है क्योंकि कई राज्यों में मद्य निशेष को हटा देने के बाद भारत में भी यह लोकप्रिय होता जा रहा है । हम 60,000 मीट्रिक टन काजू का उत्पादन करते हैं जो कि कच्चा माल है । मन्त्री महोदय ने कहा है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय एक पैकेज कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है और यदि मुझे ठीक याद है, तो 46,000 हेक्टेयर भूमि को जोतना था । मेरा प्रश्न यह है कि सरकार निकट भविष्य में कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है । क्या सरकार निर्बाध सामान्य लाइसेंस सूची के अन्तर्गत विदेशों को काजू के आयात को शामिल करने के लिए कदम उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : हम निर्यात की दृष्टि से काजू उद्योग के महत्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु हम अपनी योजना कच्चे माल के आयात और तैयार माल को निर्यात करने पर आधारित नहीं कर सकते, हमारे ही देश में काजू के विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं इसी कारण हमने कृषि प्रणाली, पौध संरक्षण उपाय, उर्वरकों की व्यवस्था आदि के लिए समुचित जोर दिया है। इस समय मुख्य दोष यह है कि पेड़ों का विकास जंगली पेड़ों की तरह होता है, पौध संरक्षण उपाय काम में नहीं लाये जाते और उर्वरकों का भी प्रयोग नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं था, प्रश्न यह था कि क्या खुले आयात की अनुमति दी जाएगी ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार का आशय खुला आयात नहीं करने देने का है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, यह सुस्पष्ट है ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा था कि क्योंकि मेरे राज्य में काजू कारखानों के बन्द हो जाने से कई लाख व्यक्ति बेकार हो रहे हैं । यह एक सामयिक मानवीय समस्या है । यह समस्या शीघ्र उत्पन्न होने वाली है । जब तक आप काजू की पैदावार करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और लोगों को भूखा मरना पड़ेगा, यही कारण है कि मैंने इस प्रश्न पर जोर दिया है कि सरकार इस उद्योग की चुनौती का सामना करने के लिए क्या शीघ्र कदम उठाने जा रही है । यह मेरा प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, जब इसका उत्तर दिया जाएगा तब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है । आप उस उत्तर को पसन्द नहीं करते हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : यह एक विकट स्थिति है जिसमें इस उद्योग में लगे लाखों लोग बेरोजगारी तथा भुखमरी से पीड़ित होने वाले हैं, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है । क्या सरकार केरल में अपना उद्योग स्थापित करेगी ? सरकार राज्य में काजू उद्योग में बेरोजगारी के प्रश्न को सुलझाने के लिए क्या कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के प्रति आभारी रहूँगा अगर वे इस प्रश्न को वैदेशिक व्यापार मंत्रालय से पूछें ।

Shri Maharaj Singh Bharati : In view of the fact that cashewnut industry is relatively less profitable, are Government considering any scheme for making it a more profitable industry by way of putting its by-products to proper use.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : काजू अधिकतर कृषि के लिए अनुपयुक्त तथा गैर-कृषि योग्य भूमि में पैदा किया जाता है । अतः इस भूमि पर सामान्यतः अनाज की फसलें नहीं उगाई जा सकती है । इस समय काजू उद्योग में बिचौलिये उत्पादकों का शोषण करते हैं और इसका परिणाम यह है कि गौण उत्पादों से होने वाली आय उत्पादकों की जेब में नहीं जाती है । अतः ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब उत्पादक अपनी समितियां बना लें । यदि राज्य सरकारें यह कार्यवाही करें, तो हमें कोई आपति नहीं होगी । वास्तव में हम उदारता से उनकी सहायता करेंगे ।

श्री लोबो प्रभु : एक ओर तो हम काजू का आयात कर रहे हैं । इस वर्ष इसका आयात मूल्य शायद 14 करोड़ रुपये पहुंच जायेगा । दूसरी ओर हमारे पास लगभग 3 करोड़ हैक्टेयर बंजर भूमि पड़ी है जिसमें काजू पैदा किया जा सकता है । क्या सरकार ने इस भूमि में काजू न पैदा किये जाने के कारणों का पता लगाया है ? क्या सरकार ने पंचायतों के द्वारा इस बंजर और खेती योग्य भूमि के वितरण के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारें इस काम को करने के लिए सक्षम हैं । मैं इस सुझाव को उन तक पहुंचाने को तैयार हूं ।

श्री प० गोपालन : क्या केरल सरकार ने एक काजू विकास निगम स्थापित करने के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; यदि हां, तो कितनी और क्या उसे कोई सहायता मंजूर की गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री स० चं० सामन्त : उन राज्यों के क्या नाम है जिनमें काजू पैदा किया जाता है ? क्या दक्षिण पश्चिम बंगाल में एक विकास समिति स्थापित की गई थी और यदि हां, तो उसको कितनी सहायता या अनुदान दिया गया था और वहां विकास के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : काजू मुख्यत: दक्षिणी राज्यों में उगाया जाता है । यदि पश्चिम बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में जलवायु अनुकूल है और वहां काजू की खेती की जाती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : माननीय मंत्री ने एक पैकेज कार्यक्रम का उल्लेख किया । उड़ीसा में 30,000 एकड़ से भी अधिक संगठित बागान क्षेत्र है और सरकार चतुर्थ योजना में 15,000 एकड़ और भूमि इसके अन्तर्गत लाने जा रही है । क्या पैकेज कार्यक्रम में उड़ीसा को भी शामिल किया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : काजू पैदा करने वाले सभी महत्वपूर्ण राज्य इसमें शामिल किये गये हैं । उड़ीसा के भागों को भी सहायता दी जायेगी ।

मैक्सिकन गेहूं के बीजों का निर्यात

***307. श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से मैक्सिकन गेहूं के बीजों का पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मैक्सीकन गेहूं के बीज सम्बन्धी देश की आवश्यकता को पूरा कर सकती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी हां, पूर्ण रूप से ।

Shri Meetha Lal Meena : Whether Government is aware that the Rajasthan's Golden-227 and Hybrid qualities of wheat seeds which farmers purchased @ Rs. 3-50 to Rs. 6/—

per Kg. in the past and the same, when procured in plenty have no market attraction and are not fatching a price more than Rs. 70/—to Rs. 80/—per quintal. Will Government procure this seed and arrange its distribution amongst the farmers so that they can get its proper price ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रत्येक राज्य सरकार से अपनी अपनी आवश्यकताओं को आंकने की आशा की जाती है। यदि वे केन्द्र से इसके लिये निवेदन करते हैं तो हम उनकी प्रार्थना को राष्ट्रीय बीज निगम भेज देंगे।

मैसूर और महाराष्ट्र में कृषि-प्रदर्शन फार्मों का कृषि विस्तार केन्द्रों में बदला जाना

+

*311. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जापान के बीच एक इस आशय का समझौता सम्पन्न हुआ है कि मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में जापानी सहायता से बने कृषि-प्रदर्शन-फार्मों को कृषि विस्तार केन्द्रों में बदला जाय;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार को इससे कृषि में कितनी सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। 13-12-68 को भारत और जापान के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे उस के अधीन मांडया (मैसूर) और खोपोली (महाराष्ट्र) की जापान-कृषि-प्रदर्शन की दोनों फार्मों को कृषि विस्तार केन्द्रों में बदला गया है।

(ख) समझौते के अनुसार कृषि विस्तार केन्द्र का उद्देश्य दोनों सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा माने हुये कृषि विस्तार कार्यक्रम द्वारा, कृषि उत्पादन बढ़ाना है। सुधरी हुई मशीनों और कलपुर्जों द्वारा यह केन्द्र कृषि तकनीकों पर परीक्षण और प्रदर्शन करेंगे और भारतीय तकनीकियों और कृषकों को प्रशिक्षण भी देंगे।

जापान सरकार अपने खर्चे पर दोनों केन्द्रों को चलाने के लिये मशीनें और अन्य कलपुर्जों का प्रबन्ध करेगी और 3 या 4 विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करेगी जो सलाहकारों के रूप में कार्य करेंगे। सम्बन्धित राज्य सरकारें भारतीय प्रतिरूप में कार्य करने के लिये तकनीकी अधिकारी और अन्य अम्ले का प्रबन्ध करेंगी और जापानी विशेषज्ञों के लिये उचित सज्जित आवास का प्रबन्ध करेंगी।

(ग) यह केन्द्र कृषकों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण और साथ के क्षेत्रों में फील्ड विस्तार कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार वे चुनीदा क्षेत्रों में विस्तार कार्यक्रम द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि करेंगे। **[कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए]**

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाना

+

अ० सू० प्र० 2. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 21 फरवरी, 1969 से दूध की कीमतों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि दूध का स्तर गिर गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दूध के क्रय मूल्य में वृद्धि तथा भारी हानि उठाने के परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को विभिन्न प्रकार के दूध की कीमतें बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ा ।

(ख) नहीं, श्रीमान्‌जी ।

Shri Shri Chand Goyal : The prices of Milk in Delhi were, in the first instance increased on 26th December, 1968 from 84 Paise per litre to Rs. 1.04 P. per litre and on 22nd February, 1969 these price were again increased from Rs. 1.04 to Rs. 1.16 per litre. Therefore the prices of milk have been increased @ 32 Paise per litre within two months. The hon.Minister has stated that such a step has to be taken because of the increase in purchase price of milk. I want to know from hon.Minister whether purchase prices of milk have been increased during the last two months; if so, the rate of increase ?

Secondly, the hon.Minister has stated so many times that they want Delhi Milk Scheme to run on "No profit No Loss" basis; therefore I want to know whether Government intends to change this principle, also whether the Government has changed its policy that subsidy in the price of Milk may be given to the Poor & Middle class people ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे यह बताते हुये खेद होता है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह गलत है । पिछले दो महीने से ही केवल मूल्य नहीं बढ़े हैं। 1.04 पैसे प्रति लिटर का भाव 25–12–67 को लागू किया गया था और इसको पुनः पिछले महीने में बदला है ।

मैं सदन का ध्यान लोक लेखा समिति के अवलोकनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि ऐसे कई प्रश्नों का निवारण किया जा सके । लोक लेखा समिति ने अपने विवेचन में बताया है कि जबकि दूध के क्रय मूल्य का स्थिरीकरण तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर किया गया है । सलाहकार समिति और दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धक मण्डल के प्रस्तावों पर विचार करके सरकार ने उसके विक्रय मूल्य का स्थिरीकरण किया था । इस दीर्घकालिक

प्रक्रिया को अपनाने का परिणाम यह हुआ है कि दूध का विक्रय मूल्य सदा क्रय मूल्य से कम रह जाता है। समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार दूध के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तथा दूसरे खर्चों को देखते हुये और अधिक व्यावसायिक प्रक्रिया का विस्तार करने का अवलोकन करें जिससे इस योजना को, जहां तक सम्भव हो, बिना लाभ-हानि के आधार पर सुचारू रूप से चलाया जा सके।

Shri Shri Chand Goyal : Mr. Speaker, I would like to know from the hon.Minister what is the present total demand of Milk and its total production capacity and the number of people who are still on waiting list, to have the milk tokens ? Simultaneously I want to know what is your total installed capacity and how much of this is being utilised ? Apart from this there was a scheme to establish a Cattle Colony in Delhi, for which land was allotted outside Delhi, 13 years ago. In order to increase the supply of milk what action is being taken for this project to get high yielding variety of cows and buffaloes ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हाल ही में दूध सम्भरण की दशा अत्यधिक सुधर गई है। 81,000 आवेदकों के आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में थे। पिछले सप्ताह तक हमने 65,000 लोगों को दूध के टोकन दे दिये। पिछले कई वर्षों में यह पहला ही अवसर है कि दिल्ली दुग्ध योजना 65,000 की लम्बी सूची लोगों को दूध के टोकन दे सकी है। यदि दूध के सम्भरण में और सुधार हुआ तो हम बाकी सूची को भी एक अथवा दो मास के भीतर निपटा देने की आशा करते हैं।

जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता का प्रश्न है, हमारे पास इस समय 2,30,000 से 2,40,000 लिटर प्रति दिन की क्षमता है। इसकी कुछ मात्रा से स्किम्मड मिल्क पाउडर से टोन्ड और डबल टोन दूध बनाया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान क्षमता 3 लाख लिटर की है, और कुछ व्यवस्था करके यह 3,50,000 लिटर तक पहुँच जाती है।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमन्, मन्त्री महोदय के उत्तर से मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरे पास एक कार्ड नम्बर 39636 है जो मुझे 6 जनवरी, 1968 को मिला था और अब तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं लगता कि इनका कितना जमाव हो गया है, अथवा क्या यह सही है कि कुछ स्नेहभाजन व्यक्तियों को दूध के टोकन कार्ड दिये जा रहे हैं ? यह क्या मामला है ?

परन्तु इसके सम्बन्ध में एक मुख्य प्रश्न है। इस दिल्ली दुग्ध योजना की जांच करने के लिये कुरियां समिति बनाई गई थी। इसने एक मुख्य सिद्धान्त बनाया था कि दिल्ली में दूध के भावों पर प्रतिबन्ध लगाए रखने के लिये ही दिल्ली दुग्ध योजना के पास 'मूल्य' का ही सब से बड़ा सहारा होगा। इसका आशय एक आदर्श व्यवस्था निर्माण करने का था जिससे कि मूल्यों पर रोक लगाकर सिद्धान्तहीन उत्पादकों को हटा दिया जाये। इस पर भी मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

पिछले डेढ़ वर्ष में मुझ पर, यह कहने के कारण कि कीमतों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये, मुकदमा लगाया गया है। मुझे तीस हजारी जाने-आने में 40 चक्कर लगाने पड़े। मैं

पूछता हूँ कि मन्त्री महोदय खाद्य सामग्री में मिलावट निषेधाधिनियम को प्रतिदिन भंग करने के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते, क्योंकि ये दूध में से चिकनाई और दूसरे स्थूल पदार्थ निकालकर फिर उसको दुबारा मिलाते हैं जो इस देश के नियमों के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त कुछ अवांछनीय कर्मचारी बोतलों के लिये पतली टीन के ढक्कन खरीदते हैं और उनको दूध की बोतलों पर लगा देते हैं। मैं मन्त्री महोदय, श्री जगजीवनराम. जो कि गांधीवादी हैं, से निवेदन करता हूं कि वे यहां आये और स्थिति को देखें। यह घटनायें बस्तियों और नगरों में प्रतिदिन हो रही हैं कि ये लोग उन डाटों को दूध की बोतलों से उतार कर दूध की दूसरी बोतलों पर लगा देते हैं।

यमुना से घिरी हुई इस भूमि में दुग्ध-विकास की दृष्टि से आदर्श दुग्ध शालाएं बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, परन्तु यहां तो व्यवहार ही बहुत बुरा हो रहा है और कुछ भी कर पाना असम्भव हो रहा है। इस दिशा में मुख्य उद्देश्य उत्पादकों की सहकारिताएं बनाने का था।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पर आएं।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमान्जी, यदि दिल्ली के बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो मेरे यहां सदन में रहने का क्या प्रयोजन है ? मेरा कहना है कि कुरियान समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली में दूध के भावों पर रोकथाम करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। कौन से साधनों को पुनः स्थापित किया जा रहा है ? उत्पादकों की सहकारिताओं के माध्यम से दूध के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और दिल्ली में आदर्श दूध उत्पादक संघ की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ? दिल्ली में दूध के वितरण तथा घर में दूध पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए पांच क्षेत्रीय भण्डारों को बनाने का जो विचार था उसके विषय में क्या किया जा रहा है ? इसका तो वचन भी दिया गया था। दिल्ली दुग्ध योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए दूध के डिपों को पूरे समय खुला रखने की दशा में क्या किया जायेगा ? दूध के कार्ड बनाने के लिए इससे अधिक अच्छी और क्या प्रक्रिया है ? जिनके पास पुराने कार्ड हैं और जो और कार्ड चाहते थे, उनके पास केवल कार्ड हैं, दूध के कार्ड नहीं हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के इस विवरण को मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि दूध के कार्ड केवल कुछ स्नेह पात्रों को ही दिए जा रहे हैं। 81,000 लोगों की प्रतीक्षा सूची में 65,000 का निपटारा कर दिया गया है। क्या इसका यह तात्पर्य है कि कार्ड केवल कृपा पात्रों को ही दिए जा रहे हैं ? मैंने यह भी बताया कि प्रतीक्षा सूची के बाकी लोगों को भी निकट भविष्य में जितना शीघ्र होगा कार्ड दे दिए जायेंगे।

माननीय सदस्य ने एक बात तो बहुत ही सुसंगत कही है कि दूध उत्पादकों को संघ बनाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से दिल्ली और हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों में संगठन नहीं है तथा दलाल दुग्ध वसूली में उनका शोषण कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया

है । दिल्ली दुग्ध योजना हर प्रकार से उनमें संगठन लाने का प्रयत्न कर रही है जिससे कि जो भी मूल्य उत्पादकों को दिया जाता है वह मवेशी मालिकों के हित में हो ।

तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, जब तक मूल्यों को उत्पादकों के हितों की रक्षा की दिशा में नहीं मोड़ा जाता तब तक दिल्ली दुग्ध योजना की पूर्ति की समस्या हल नहीं होगी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में उचित संतुलन लाना है तथा समस्या के समाधान के लिए केवल यही अच्छा उपाय है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय.....वह उपस्थित नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : महोदय : मैं दिल्ली का नहीं हूं किन्तु दिल्ली में रह रहा हूं । जब मैं कालीकट से दिल्ली आया तो मैं सोचता था कि मेरे छोटे से कस्बे की दुग्ध योजना से दिल्ली की दुग्ध योजना बहुत अच्छी होगी । किन्तु यहां आकर मैं महसूस करता हूं कि दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध वितरण में न्यूनता का पारितोषिक प्रदान करना चाहिए । यह प्रश्न सदन में पहली बार नहीं उठाया गया । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि दुग्ध के क्रय मूल्यों में वृद्धि के कारण दुग्ध मूल्यों में वृद्धि हुई है । किन्तु मेरे विचार से इसका एकमात्र कारण यही नहीं है । सदन में कई बार यह कहा गया है कि उसमें दुग्ध-चूर्ण की भारी चोरी होती है तथा सम्भाल में कमी के कारण अधिक बोतलें टूट जाती हैं । दिल्ली दुग्ध योजना की मन्त्रणा समिति ने भी यह आरोप लगाया था कि 72 लाख रुपयों के दुग्ध चूर्ण की चोरी हुई थी ।

तभी मेरे माननीय मित्र श्री पी. सी. वर्मा ने इस सदन में विशिष्ट अभियोग लगाए थे । उन्होंने कहा था:--

> "1962 में लगाया 169,000 बोतलों का टूटा जाना दिखाया गया था । 1964 में इसकी संख्या 400,000 हो गई । नित्य 2000 बोतलों का टूटा जाना दिखाया गया था । यह कहते हुए कि ये आंकड़े सही नहीं हैं उन्होंने अभियोग लगाया कि झूंठे इंदराज बनाए गए हैं तथा बोतलों और टिनों की पत्तियों पर अनियमित ट्रेड लगाए जा रहे हैं ।"

ये अभियोग सदन में लगाए गए थे । दुग्ध-चूर्ण की चोरी और दुर्विनियोजन का आरोप सरकार के समक्ष है । मैं मन्त्री महोदय से पूंछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इन सभी अभियोगों की परीक्षा करली है । क्या सरकार ने उन अभियोगों की जांच कराई है जिनकी सूचना सरकार को दी गई थी, और यदि कराई है तो जांच से उन्हें क्या प्राप्त हुआ ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम अंश का सम्बन्ध है, देश में दिल्ली के उपभोक्ताओं को सबसे सस्ते दामों पर दुग्ध सप्लाई किया जाता है मैंने बहुत बार सदन में उल्लेख किया है कि बम्बई, कलकत्ता और अन्य नगरों की तुलना में दिल्ली में दुग्ध के मूल्य बहुत सस्ते हैं ।

प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या की जांच करने वाली विशेज्ञ समिति ने भी दुग्ध की वसूली, परिष्करण और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए 21 पैसे प्रति लीटर का प्रमाप निर्धारित किया था यह 1964 में हुआ था। यदि पूर्णरूप से विचार किया जाय यह व्यय लगभग 21 पैसा रहा है। केवल गत-वर्ष भण्डार आदि के क्रम मूल्यों में वृद्धि होने के कारण यह व्यय 22 पैसे हो गया था। जहां तक जांच कार्य का सम्बन्ध है कि क्या सरकार ने पूर्ण समस्या को समझाने का प्रयास किया है या नहीं, मैं निवेदन करता हूँ कि हाल ही में हमने अपने एक संयुक्त सचिव से सम्पूर्ण वितरण पद्धति की परीक्षा करने को कहा था। उन्होंने सिफारिशें की हैं। यह डा० कुरियन समिति का उत्तरवर्ती था। हाल ही में हमने निर्णय किया है कि दिल्ली के महावीर की अध्यक्षता में प्रशासनिक लागत आदि की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की जायगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri : During the last two years the prices of Milk have been raised to 32 p. per litre by the Delhi Milk Scheme. Two years ago the price of the standardised milk was 84 paise and now it been raised to Rs. 1.16. Earlier what was the price of the standardised milk is the price of the toned milk now. There is a deficit of Rs. 88 lakhs in this year. While raising the prices of the milk it has become the common practice of the Government to say that it is being done on account of loss, but that loss has never been made good. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether it is necessary for the Government to incur an annual subsidy of Rs. 1 crore to provide milk for inhabitants of Delhi ?

Secondly, the Kurien Committee suggested some measures and one of them was to convert it into a Public Company so that there would be no loss. Thus, what are the reasons not adopt this scheme on the business point of view to avoid the loss ? May we hope of the day when there would be no loss in the Delhi Milk Scheme and the Government would confirm it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि भारी राज सहायता देकर इस प्रकार की योजना को नहीं चलाया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया था, लोक लेखा समिति ने भी यही विचार प्रकट किया है। जहां तक दिल्ली दुग्ध योजना को निगम में बदलने का सवाल है सरकार उस पर सक्रियता से विचार कर रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I did not got the answer. My question was that when it would be expected from you to say that there would be no loss in the Delhi Milk Scheme.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : नए मूल्यों के लागू किए जाने के बाद आशा की जाती है कि अगले वर्ष लाभ और हानि में सतुलन आ जाएगा।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : 32 पैसे की वृद्धि का कितने प्रतिशत उत्पादक को मिलता है तथा कितने प्रतिशत वेतन तथा मंजूरी में जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मोटेरूप से सम्पूर्ण मूल्य का 76.71 प्रतिशत उत्पादक को मिलता है।

Shri Bal Raj Madhok : If the justification made by the hon. Minister to increase the prices is taken for granted, I would like to know the number of milk booths have been increased for meeting the requirements of 65 thousand new card holders as he had said that 65 thousand new cards have been issued to them ? Is it a fact that the milk booths are very inadequate here. Certain places are there where there is only one milk booth having 500 families at its disposal and at certain places each milk booth has 5000 families at its disposal. And due to this people are found to stand in the long ques for hours together and yet some of them return without milk.

Secondly, the system of appointing boys and girls on the part time basis for running the milk booths is a great factor in creating troubles there. In view of this, will you appoint full time depot men and have the management improved there so that there would be no black marketing of the milk and that the consumers would not be deprived of milk.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक अलग अलग दुग्ध केन्द्रों से दूध खरीदने वाले कार्ड-धारियों का सम्बन्ध है हमारी यह प्रणाली उस केन्द्र से दूध खरीदने वाले कार्ड-धारियों की संख्या के अनुकूल है तथा स्पष्ट रूप से देखने पर प्रणाली ठीक तरह से चल रही है। यदि माननीय सदस्य को इस विषय में कोई विशिष्ट शिकायत है तो मैं उसकी जांच करने के लिए तत्पर हूं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के दल के कुछ सदस्य नए दुग्ध-केन्द्र खोलने पर बल दे रहे हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि जब तक वर्तमान केन्द्रों में प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं होती तब तक नए केन्द्र खोलना संगत नहीं होगा। फिर भी यदि पूर्ति की स्थिति में सुधार होता है तो हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री बलराज मधोक : मैं यह चाहता हूं कि दुग्ध केन्द्रों का समान और उचित वितरण हो। इस समय केन्द्रों के वितरण में समता नहीं है। कहीं कहीं 500 घरों के पीछे एक केन्द्र है और कहीं कहीं 5000 घरों के पीछे एक केन्द्र है। मैं केन्द्रों का समान वितरण चाहता हूं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : डी० एम० सी० की सलाह से केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है, और अब तो दिल्ली के महापौर भी हमारी समिति के सदस्य है। हम उनके सुझावों पर विचार करेंगे।

Shri Shashi Bhushan : May I know the percentage of the skimmed milk powder which is mixed in the milk supplied to the people of Delhi in comparison to that of Bombay and Calcutta ?

Secondly, the Mawa-Sweet is not allowed to be prepared in Delhi but there is no restriction imposed on the preparation of ice-creame. In this connection, certain persons belonging to the Delhi Administration are charged of bribary. Have you got any knowledge in this matter ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसमें मक्खन निकाले हुए दुग्ध-चूर्ण की मात्रा बहुत कम है। पूरी सप्लाई में इसका थोड़ा सा अंश होता है। लगभग 2,60,000 या 2,70,000 लीटर

दूध की पूरी सप्लायी में 2,20,000 या 2,30,000 लीटर मानक दुग्ध होता है तथा केवल लगभग 30,000 लीटर दूध मक्खन निकाले दुग्ध-चूर्ण का बनाया जाता है।

Shri Shashi Bhushan : My point was that during the summer on Mawa Sweet was available because of a ban imposed on that the ice-cream was free from all sorts of bans. What is this discrimination ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हाल ही में हमने दूध से बनने वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया है। किन्तु उसमें आइस-क्रीम पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा गया।

अध्यक्ष महोदय : अब चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है, अत. मंत्री महोदय उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार को यह विदित है कि दिल्ली के दुग्ध-केन्द्र भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं जहां दूध की बोतलों की चोर बजारी होती है। वहां भ्रष्टाचार के अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं जिनसे वास्तविक कार्ड-धारी अपने हिस्से को दूध से वंचित रह जाते हैं और अन्य लोग दूध ले जाते हैं ? यदि सरकार को यह सब विदित है तो दिल्ली दुग्ध योजना को भ्रष्टाचार से बचाने और वास्तविक कार्ड-धारी को दुग्ध दिलाने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे हाल ही के अनुभव के अनुसार केन्दों को वितरण के लिए भेजे जाने वाले दूध में से भारी मात्रा में दूध बिना वितरण हुए वापस चला जाता है। अतः फिलहाल दूध की कम सप्लाई की समस्या तो नहीं है। मुझे ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व माननीय सदस्य ने मुझसे शिकायत की थी तथा मैंने स्वयं इस मामले की जांच भी की थी। किन्तु अब उस स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय श्रम आयोग

*308. **श्री स० कुंजू :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग के सदस्यों का चयन करने के आधार क्या थे; और

(ख) क्या सदस्य किन्हीं श्रम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते है और यदि हां, तो क्या सदस्यों की नियुक्तियां करने से पूर्व उन संगठनों से परामर्श किया गया था ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) आयोग के सदस्यों का चयन उनके श्रम सम्बन्धी अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया गया।

(ख) व्यक्तियों को आयोग का सदस्य उनकी वैयक्तिक हैसियत पर बनाया गया, न कि नियोजकों या श्रमिकों के उन संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में जिनसे वे सम्बन्धित थे। इसीलिये इन संगठनों से परामर्श नहीं किया गया।

जंगली जीवों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय पार्क

309. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जंगली जीवों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो जगली जीवों के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या पर्यटक विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ताकि देश में और अधिक विदेशी पर्यटक जंगली जीवों की ओर आकर्षित हो सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) वन्य प्राणी संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय उद्यान तथा सैंचुरियों की स्थापना।

(2) जीवित व मृत वन्य-जन्तुओं तथा पक्षिगों के निर्यात पर रोक।

(3) समाप्त हो रहे दुर्लभ जन्तुओं तथा पक्षियों की सुरक्षा।

(4) उचित वन्य प्राणी कानून बनाना और

(5) वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिये आम जनता का शिक्षण।

(ग) पर्यटन विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। परन्तु पर्यटन विभाग ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के बजट में, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य-प्राणि सैंचुरियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके विस्तार के प्रस्तावों के लिए कुछ राशि का उपबन्ध किया है।

भारती मिल, पांडेचेरी द्वारा बोनस न दिया जाना।

*310. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री के० रमानी : **श्री नम्बियार :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती मिल, पांडेचेरी के प्रबन्धकों ने वर्ष 1967 को बोनस देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है, जिसके द्वारा प्रबन्धक बोनस का भुगतान करें ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) इस मिल ने वर्ष 1967 के बोनस का भुगतान नहीं किया है ।

(ख) पांडेचेरी प्रशासन ने यह कहा है कि इस मिल को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की परिधि से इस अधिनियम की धारा 32(II) के द्वारा बाहर रखा गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Installation of Telephones in Rural Areas

*312. **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any policy with regard to the installation of telephones in rural areas;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the number of telephones Government have decided to instal in the rural areas in 1969 ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes.

(b) Telephone facility at a station is provided normally if the scheme is remunerative. But at the following category of stations, the facility can be provided even on loss basis subject to an overall limit of loss not exceeding Rs. 40 lakhs during a period of 5 years from 1st April, 66 :

1. District, Sub-Divisional, Tehsil and Sub-Tehsil Headquarters.

2. Places with a population of 20,000 or more and at place in urban areas with a population of 10,000 or more.

3. Remote places i. e. places beyond 40 Kms. from the nearest Telephone exchange -100 offices to be opened.

4. Tourist centres, Pilgrim centres, Agriculture and Irrigation Project sites and Townships-100 such offices to be opened.

(c) The number of Telephones proposed to be opened in the rural areas during the year 1969-70 is about 350.

कोयलाखान विनियम, 1957 में संशोधन

*313 **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 28(1) में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस संशोधन के फलस्वरूप कोयलाखानों के मालिक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा देंगे; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : कोयला खान विनियमन 1957 के विनियम 28(1) में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। कोयला खानों में मैनेजरों, अधिकारियों, शोट फायररों अथवा बांइडिंग इंजिन मैनों के रूप में नियोजित व्यक्तियों को बड़े दुष्कर ढंग के कार्य करने पड़ते हैं और खानों में नियोजित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा उनके द्वारा सन्तोषजनक ढंग से कार्य किये जाने पर निर्भर है। अब जिस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, उसके अधीन ऐसे कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद रोजगार पर नहीं रखने दिया जायेगा।

(ग) ऐसे किसी परिणाम की आशंका नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी

*314. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम सचिव ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि प्रादेशिक न्यूनतम मजूरी के स्थान पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नियत करना व्यवहारतः कठिन होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मत से सहमत है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में हाल ही में हुई न्यूनतम मजूरी विधान संबंधी गोष्ठी में केन्द्रीय श्रम सचिव ने यह मत व्यक्त किया कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के निर्धारण से क्षेत्रीय और उद्योगवार भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग इस मामले का अध्ययन कर रहा है और सरकार इस संबंध में उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों में स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग

*315. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यंत्र कितने डाकघरों में लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) सभी डाकघरों में स्वचालित यंत्र कब तक लगाये जायेंगे; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति फालतू घोषित किये जायेंगे और उनकी वैकल्पिक नौकरियां दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) इस देश में डाकघरों में स्वचलीकरण प्रणाली चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी काउंटर कार्यों में तेजी लाने तथा डाक का शीघ्रता से निपटान करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां तथा मशीनों, जैसे फ्रेंकिंग मशीनों, विक्रय मशीनों, रद्द करने की मशीनें, बंडल बांधने की मशीनों और परिवहनों इत्यादि, को अपनाने के संबंध में क्षेत्रीय परीक्षण चालू है ।

(ख) जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता जाएगा, मशीनें भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त, होती जाएंगी और जिन मशीनों को भारत में निर्माण हो सकेगा, वैसे-वैसे उनका प्रयोग विभिन्न स्थानों पर चालू कर दिया जाएगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ऐसी मशीनों और युक्तियों के प्रयोग से कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतएव फालतू कर्मचारियों का पुनर्नियुक्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रतिवेदन

***306. श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार के मूल उपायों में सामुदायिक विकास अभिकरणों तथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 1967 में उड़ीसा राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री वी० रामनाथन के नेतृत्व में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विस्तार

*317. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के विस्तार के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है अथवा क्या सरकार का विचार टेलीफोन तारों की आवश्यकता गैर-सरकारी क्षेत्र से पूरी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार इस मामले पर गौर कर रही है और इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) ऊपर (क) की दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने की कीमतें

*318. **डा० बाबूराव पटेल :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की कीमतों में पुनः परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पहले की कीमतों की सूची के साथ राज्य-वार वर्तमान कीमतें क्या हैं;

(ग) इतने थोड़े समय में पुनरीक्षण के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा गन्ने की फसल, चीनी मिलों तथा चीनी के वितरण और बिक्री के मामले में अपनाई गई दीर्घकालीन नीति तथा सिद्धान्तों के ब्यौरे के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर सरकारी नियन्त्रण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस नीति का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ता को सस्ती दर पर पर्याप्त चीनी देना है; और

(च) यदि हां, तो चीनी की कीमतों में वृद्धि तथा उनमें उतार-चढ़ाव के क्या कारण हैं और कीमतों को स्थिर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, 1968–69 के लिए निर्धारित गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य में संशोधन नहीं किया गया है परन्तु आमतौर पर कारखाने न्यूनतम मूल्य से अधिक दे रहे हैं।

(ख) 1968–69 के लिए अधिसूचित गन्ने का राज्यवार न्यूनतम मूल्य और 1967–68 के लिए तुलनात्मक मूल्य का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 216/69]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार की चीनी नीति के सम्बन्ध में दूर-दर्शी नीति गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने की है और मिलों के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करने की है जिसमें वे अधिकतम चीनी उत्पादन कर सकें। जहां तक चीनी का वितरण और बिक्री का सम्बन्ध है; केन्द्रीय सरकार प्रत्येक महीने राज्य सरकारों को उगाही चीनी का निर्धारित कोटा देती है ताकि वे निर्धारित मूल्यों में नियन्त्रित वितरण कर सकें। राज्य सरकार चीनी के निर्माणी कीमत, वास्तविक परिवहन व्यय और प्रासंगिक व्यय, जिसमें थोक और फुटकर व्यापारियों को मिलने वाले लाभ की उचित गुंजाइश शामिल है, के आधार पर थोक और फुटकर कीमत निर्धारित करती है। वितरण का वास्तविक पैमाना तथा उचित वितरण करने की अन्य व्यवस्था राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है जो कि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्णय करेगी।

(ङ) और (च) : वर्तमान नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी चीनी का एक बड़ा भाग उचित मूल्यों में सुलभ कराना है। यह गन्ना उत्पादक और उद्योग के हित में भी है। खुले बाजार में चीनी का मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है।

उत्तर प्रदेश में अनाज की खरीद

*319. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने यह मांग की है कि संघ की 203 विपणन समितियों तथा 1400 बीज भण्डारों को अनाज खरीदने के लिये एकाधिकार दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने उन केन्द्रों पर जहां सहकारी विपणन समितियां कार्य कर रही हैं वहां रबी अनाजों की अधिप्राप्ति के लिये क्रय ऐजेन्ट के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सेवायें राज्य सरकार को पेश की है। राज्य सरकार ने जिसे अधिप्राप्ति कार्य सौंपने का प्रस्ताव किया है वह भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है। भारतीय खाद्य निगम की सहकारी समितियों की सेवाओं का यथा सम्भव उपयोग करने की नीति है।

Unemployment in Eastern Districts of U.P.

*320. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether there is wide spread unemployment in the Eastern Districts of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the steps taken to create more employment opportunities to cope with the problem of increasing unemployment ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b): The information is being collected from the State Government and it will be placed on the table of the House as soon as available.

Reports of Agriculture Labour Enquiry

*321. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first Agriculture Labour Enquiry was instituted in 1950-51, the second in 1956-57 and the third in 1963-64 and in 1965 and the reports of the first and second Agricultural Labour Enquiry were published in 1954 and 1960 respectively and the third enquiry report has already now been received by the Indian Statistical Institute and Labour Bureau, Simla;

(b) if so, whether a copy of each of the above reports will be laid on the Table; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, the First Agricultural Labour Enquiry was instituted in 1950-51 and the Second one in 1956-57. The reports relating to those were published in 1954 and 1960 respectively. The Third Enquiry, called the Rural Labour Enquiry, was conducted in two rounds in 1963-64 and 1964-65. A report on one aspect of the data collected in 1963-64 has been prepared by the Indian Statistical Institute.

(b) and (c): Reports of the 1st and the 2nd Agricultural Labour Enquiries are available in the Parliament Library. As regards the Rural Labour Enquiry, tabulation of the data collected in 1963-64 has been completed by the Indian Statistical Institute. A report on the income aspect of the data collected in 1963-64 has also been prepared by the Indian Statistical Institute which will be released shortly. The work relating to the tabulation of the remaining data is in progress at the Labour Bureau, Simla.

गन्ने की कीमतें निश्चित करने के बारे में विलम्ब के कारण हानि

*322. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के मूल्यों के निर्धारण तथा उनकी घोषणा करने में विलम्ब के फलस्वरूप केवल उत्तर प्रदेश में ही एक लाख टन चीनी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों से भी चीनी कम होने के समाचार मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के कारण कुल कितनी कमी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। 1968–69 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य घोषित करने में कोई देरी नहीं हुई थी। पूर्ववत, इसकी घोषणा फरवरी, 1968 के दूसरे सप्ताह में बुवाई के समय की गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Fall in Prices of Pulses and Coarse Grains

*323. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Onkar Singh :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of pulses and coarse grains have registered a steep fall during the last 4-6 months; and

(b) if so, the extent to which these prices have fallen ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : There has generally been a fall in the prices. The percentage fall in the all India index number of wholesale prices during end of September, 1968 to February, 1969 are jowar 16.3, bajra 7.6, maize 4.1, ragi 11.4, gram 14.7 and pulses 20 5.

नाइट्रोजन और फासफेट युक्त उर्वरक का आयात

*324. **श्री म० सुदर्शनम्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में नाइट्रोजन और फास्फेट युक्त उर्वरक का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) क्या इससे देशी उत्पादन की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है और क्या इस उद्योग से उर्वरक के आयात को क्रम/बन्द करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	(लाख मीटरी टन) आयात की गई मात्रा	(लाख मीटरी टन)
	एन	पी ओ 2 5
1963–64	2.13	0.13
1964–65	2.35	0.15
1965–66	3.20	0.14
1966–67	6.33	1.48
1967–68	8.57	3.49

नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों के विक्रय में अनुभव होने वाली कठिनाइयों के विषय में विनिर्माताओं से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। परन्तु सिंगल सूपर-फास्फेट के विक्रय के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ कठिनाइयां थी जिसका कारण डाई-अमोनियम फास्फेट व अमोनियम फास्फेट आदि कम्पलैक्स उर्वरकों का अधिक आयात होना था। फिर भी देखने में आया है कि सूपरफास्फेट के विनिर्माताओं को (जिन्होंने सुव्यवस्थित रूप से उनके विपणन और प्रवर्त्तन सम्बन्धी कुशल प्रबन्ध किये थे) अपना माल बेचने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है।

भारतीय वनस्पतियों और जन्तुओं के सम्बन्ध में टिकटें

*325. **श्री वी० ना० शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक तथा तार विभाग ने भारतीय वनस्पतियों और जन्तुओं पर कितने डाक टिकट जारी किये;

(ख) क्या भारतीय वनस्पतियों और जन्तुओं पर और टिकटें जारी करने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) केवल चार डाक-टिकट 31-12-68 को भारतीय पक्षियों पर जारी किये गये हैं।

(ख) और (ग) : वनस्पतियों एवं जन्तुओं पर टिकटों को बहुरंगों में छापने की आवश्यकता है। बहुरंगों में छापने की मशीन के अभाव में अभी ऐसे डाक-टिकट छापने की कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है।

जब कभी बहुरंगों में छापने की मशीन का संस्थापन होगा तो भारतीय वनस्पतियों और जन्तुओं पर डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

खाद्यान्नों का आयात

*326. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री शिवचन्द्र झा :**
डा० रानेन सेन : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) 1968-69 के लिए खाद्यान्नों के आयात का क्या लक्ष्य नियत किया गया है;

(ग) अब तक खाद्यान्न की कितनी मात्रा आयात की गयी है और उसका मूल्य कितना है; और

(घ) चालू वर्ष के शेष भाग में खाद्यान्न की कितनी मात्रा आयात किये जाने की आशा है और किन-किन देशों के साथ इस बारे में करार किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968–69 के लिये खाद्यान्नों की फसल के उत्पादन से सम्बन्धित पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष के अन्त तक अर्थात् जुलाई–अगस्त, 1969 में किसी समय उपलब्ध होंगे ।

(ख) मौजूदा अनुमानों के अनुसार, 1968–69 के वित्तीय वर्ष में लगभग 51 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के आयात करने की सम्भावना है ।

(ग) पहली अप्रैल, 1968 से 31 जनवरी, 1969 की अवधि में आयातित खाद्यान्नों की कुल मात्रा 45.4 लाख मीटरी टन थी जिसका मूल्य अनुमानत: 293.64 करोड़ रुपये था ।

(घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 217/69]

भविष्य निधि की बकाया राशि

*327. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० एम० अब्राहा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा चूककर्ताओं के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : उप समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को 18 जनवरी, 1969 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । यह रिपोर्ट न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों को परिचालित कर दी गई है और आशा की जाती है कि बोर्ड की 26 अप्रैल, 1969 को होने वाली आगामी बैठक में इस पर विचार किया जायेगा ।

लक्कदीव द्वीपसमूह में रोजगार

*328. **श्री प० मु० सईद :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव द्वीपसमूह में विभिन्न योजना अवधियों में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध किये गये; और

(ख) उनका किस सीमा तक उपयोग किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting up of Tractor Manufacturing Plant in the Public Sector

*329. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether keeping in view the acute shortage of tractors and spare parts of imported tractors, Government propose to set up a tractor manufacturing plant in the public sector;

(b) if so, the details of proposed project; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are under examination.

(c) Does not arise.

Working Condition of the Miners

*330. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of the labourers working in mines in India is most pitiable;

(b) whether it is also a fact that the problem of providing residential accommodation and drinking water to them is most acute;

(c) if so, whether Government have drawn up any scheme to solve these problems; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d): It would be difficult to reply to the question categorically in a general way, but there are areas where conditions have to be improved.

The Mines Act 1952 deals with working conditions in mines and the Central Government has set up a suitable administrative appratus for the effective enforcement of the Act in the field so that workers do in fact benefit from the provisions of the Act. The Act lays down, for instance, the specific responsibility of the mine-owners to provide

adequate drinking water facilities. In addition, the Central Government has established statutory welfare funds for the benefit of workers in coal, mica and iron-ore mines under which adequate provision exists for the setting up of schemes for housing and water supply in particular. Under the existing different housing schemes which are in operation there is provision for the grant of subsidy and loan to mine owners, workers and other cooperative societies. Under the existing schemes there is also provision for the grant of subsidy to mine owners and to State Governments for digging wells and for executing water supply schemes. Further, it is intended to concentrate on programmes of housing and water supply schemes which are expected to be expanded substantially during the 4th Plan period.

नई दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन

1851. श्री म० ला० सौंधी : क्या सूचना तथा प्रसारण, और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में नई दिल्ली में जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को छूट प्राप्त श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं; और

(ख) इन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने में किन सिद्धान्तों का पालन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संसद, नगर निगम या टेलीफोन सलाहकार समिति के किसी सदस्य और जिस संस्था से उनका सम्बन्ध हो उससे अपनी सामाजिक गतिविधियों के प्रमाण स्वरूप प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के छूट-प्राप्त वर्ग (जिसे अब 'विशेष' वर्ग कहा जाता है) की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों के नाम दर्ज कर लिए जाते हैं। विशेष वर्ग' में अन्य कई समूह भी शामिल हैं जैसे कि पंजीकृत चिकित्सक, सार्वजनिक संस्थाएं, प्रेस प्रतिनिधि, लघु उद्योग और कृषि फार्म आदि। नये कनेक्शनों में से 15 प्रतिशत इस वर्ग के लिए आरक्षित है और इनका 50 प्रतिशत नाम दर्ज कराने की तारीख के अनुसार बारी आने पर दिये जाते हैं और शेष 50 प्रतिशत टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिश पर बिना बारी के दिए जाते हैं।

Reports of the Department of Communications

1852. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Information & Broadcasting and Communications be pleased to state the names, dates of publication, language, price and the position regarding the availability of the report's submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to the Department of Communications and its subordinate and attached offices during the last 3 years ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : A statement giving the requisite information is laid on the table of the House. [Placed in Library. See No L. T. 218/69]

जबलपुर के डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को उनके द्वारा चिकित्सा पर व्यय को धन राशि का दिया जाना

1853. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर के डाक तथा तार कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में कितनी धनराशि दी गई और धोखाधड़ी के ये मामले किस प्रकार किये गये ;

(ख) उक्त मामलों से सम्बन्धित रसायनज्ञों और प्राधिकृत डाक्टरों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जिन ग्यारह व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं और उन पर किन आरोपों के लिए तथा किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है ;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच विभाग का जांच का कोई ठोस प्रभाव हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप अपराधों में कमी हुई हो और यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ङ) इस बारे में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी न हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मामले से संबंधित कर्मचारियों के नाम और पद सभा पटल पर उचित समय में रख दिये जायेंगे । इनसे सम्बन्धित धनराशि लगभग 41000 रुपये है । जबलपुर के टेलीग्राफ वर्कशाप के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों और केमिस्टों या उनके कर्मचारियों की सांठ-गांठ से, वास्तव में दवाइयां बिना खरीदे या चिकित्सा न करा कर और झूंठे केशमिमों लगाकर जाली दावे पेश किये गये थे । बिल कुशल व्यक्तियों द्वारा बनाये गये थे जिनके साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित और प्रमाणीकृत अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा केशमिमों लगे हुए थे ।

(ख) इन मामलों से नूतन मेडिकल हाल, नर्वदा मेडिकल कार्नर, गुरुदेव मेडिकल स्टोर्स, सर्वोदय मेडिकल स्टोर्स, जयसवाल मेडिकल स्टोर्स, विकास मेडिकल स्टोर्स और अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स के भूतपूर्व कर्मचारी सम्बन्धित है । इनसे सम्बन्धित डाक्टर ये हैं:—डा० वी० एल० सिंह, डा० पी०सी० जैन, डा० याकूब खां, डा० आर०पी० तिवाड़ी, डा० वी०के० दीवान, डा० एम० पी० गुप्ता, डा० एम० ए० अहमद और डा० के० सी० पाण्डेय, डा० याकूब खां, डा० पी० सी० जैन और डा० वी० एल० सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 465, 468, 109, 420 और 511 के साथ पढ़ी गई उसी दण्ड संहिता की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार अवरोध अधिनियम की धारा 5(1) के साथ पढ़ी गई उसी अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये हैं ।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420,511 और 471 के साथ पढ़ी गई उसी संहिता की धारा 120-बी तथा भ्रष्टाचार अवरोध अधिनियम की धारा 5(1) (घ) के साथ पढ़ी गई उसी अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये हैं:-

	नाम	पद
1.	श्री रामदास	मजदूर
2.	श्री रामनाथ	मिस्त्री
3.	श्री हैयत मोहम्मद	मिलर
4.	श्री गोपालदास	इन्स्ट्रूमेंट फिटर
5.	श्री मोहम्मद आरिफ	पोलिसर ग्रेड I (दो मामलों में)
6.	श्री मकसूद अली	मशीन आपरेटर (दो मामलों में)
7.	श्री छोटेलाल	कारपेन्टर
8.	श्री पूरनलाल	कारपेन्टर
9.	श्री रामकृपाल	मजदूर

(घ) बिलों की रकम में काफी कमी हुई है। इसमें कमी होने का कारण आंशिक रूप से केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच करना और आंशिक रूप से जनवरी, 1968 से डाक-तार चिकित्सालयों का खोलना है। मासिक औसत व्यय जो 1966-67 में लगभग 32000 रुपये था वह 1968-69 में घटकर 10000 रुपये हो गया।

(ङ) ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(i) जहां कर्मचारियों की अधिकता है, वहां डाक-तार चिकित्सालयों का खोलना।

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुसार उन व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सदिग्ध मामले जो ऐसे दावे पेश करने के आदी हों या ऐसे मामले जो अन्यथा विशेष महत्व के हों, को केन्द्रीय जांच विभाग को जांच के लिये भेज दिये जाते हैं।

(iii) ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सामान्यतः भारी रकम के होते हों। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का स्थानान्तरण ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां डाक-तार चिकित्सालय खुले हों।

(iv) डाक-तार बोर्ड ने इन धोखाधड़ियों को कम करने और इसके लिए स्थायीतौर का उपाय सुझाने के लिए इस मसले को अपने दक्षता संगठन को सुपुर्द करने का फैसला किया है और अब दक्षता सगठन के सामने इस समस्या के समाधान का प्रश्न खड़ा है।

(v) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय ने राज्य सरकार से उन केमिस्टों की सूची बनाने के लिये अनुरोध किया है, जो अधिकृत औषध व्यापारी हैं और

केवल जिनसे ही चिकित्सा व्यय पूर्ति के दावों के लिये दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। मन्त्रालय ने प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों की संख्या पर भी रोक लगाने तथा केवल ऐसे डाक्टरों को ही प्राधिकृत करने के लिये अनुरोध किया है जिनकी ईमानदारी पर कोई सन्देह न हो।

मध्य प्रदेश में नलकूप

1854. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने नलकूप तथा कुएं काम कर रहे हैं और उन से कितनी भूमि को पानी मिलता है और वे कुएं किन किन गांवों में हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कितने नलकूप तथा कुएं खोदने का प्रस्ताव है, इन से कुल कितनी भूमि में सिंचाई करने का प्रस्ताव है और इस परियोजना पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश द्वारा क्या मांगे की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : मध्यप्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

पटसन सम्बन्धी केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड

1855 **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन से सम्बन्धित केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड ने पटसन उद्योग के कर्मचारियों की मंजूरी में और वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो पटसन उद्योग के कर्मचारियों के वेतनों में कितनी वृद्धि की सिफारिश की गई है ; और

(ग) सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पटसन उद्योग के एक मंजूरी बोर्ड सन 1960 में स्थापित किया गया था। इसकी अन्तिम रिपोर्ट 4 सितम्बर, 1963 को प्राप्त हुई और रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार ने 27 सितम्बर, 1963 को स्वीकार कीं। मजूरी बोर्ड द्वारा निर्मित मजूरी विन्यास 31-12-1967 तक लागू रहना था। पटसन उद्योग के लिए और कोई मजूरी बोर्ड नहीं बनाया गया है।

(ख) इस मजूरी बोर्ड ने निम्नतम वर्ग के श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 81 रुपये प्रतिमास न्यूनतम मजूरी तथा निर्वाह मूल्य सूचनांक से सम्बद्ध और मंहगाई भत्ते की अदायगी की सिफारिश की।

(ग) यह सूचना प्राप्त हुई है कि सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति 85 मिलों में और अंशकालिन क्रियान्विति 4 मिलों में की गई है।

Sugar Quota For States

1856. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have increased sugar quota given to States ;

(b) if so, the extent of increase in monthly quota for Maharashtra ; and

(c) the impact there of on distributionof sugar in rural areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The Central Government have increased the total of the monthly levy sugar quots of the States from 1.00 lakh to 1.26 lakh tonnes from 23rd January, 1969.

(b) The monthly levy sugar quota of Maharashtra has been increased by 2774 tonnes.

(c) The scale of distribution of sugar in rural areas of the Maharashtra has been increased by 50 grams per adult per months.

Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society

1857. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) when the Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society was established ;

(b) the year upto which their accounts have been audited and the irregularites found therein ; and

(c) the action taken by Government against such office-bearers of the Society as have been found guilty and also for safeguarding the interests of the Members of the Society ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Ghrupadaswamy) : (a) No society under the name of "Delhi State Teachers" Cooperative Housing Society has been registered in Delhi.

(b) and (c) : Does not arise.

वर्ष 1947-48 में कृषि उत्पादन की दर

1858. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963-64 से अब तक (एक) कृषि उत्पादन (दो) खाद्यान्न उत्पादन (तीन) चावल उत्पादन (चार) गेहूं उत्पादन (पांच) भूमि के प्रति हैक्टर में खाद्यान्न की उपज चावल, गेहूं तथा कृषि का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष हुआ है तथा (छः) कृषि के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है तथा भारत में तथा प्रत्येक राज्य में जनसंख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : अनुमान प्रणाली और इसके सीमा क्षेत्रों में हुये परिवर्तनों के कारण विभिन्न

राज्यों के उत्पादन और क्षेत्रफल के तुलनात्मक अनुमान केवल 1952-53 से ही उपलब्ध है, चावल, गेहूँ, खाद्यान्नों और कृषि फसलों के उत्पादन, उत्पादिता और क्षेत्रफल सम्बन्धी राज्यवार मिश्रित विकास की दरें 1952-53 से 1964-65 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। राज्यवार कृषि-उत्पादन, चावल, गेहूँ, खाद्यान्नों और अन्य सब फसलों की उत्पादिता, क्षेत्रफल और जनसंख्या के राज्यवार मिश्रित विकास की दरों के विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 219/69]

देश में बेरोजगारी

1859. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1967 से दिसम्बर 1968 तक देश में रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से बेरोजगार स्नातकों, इन्टरमीडियेट पास तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों की संख्या कितनी कितनी थी ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क)

		जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1968 के दौरान पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या
1-	योग	79,51,264
2-	योग में सम्मिलित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	8,64,637
3-	योग में सम्मिलित अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार	1,45,763

(ख)

		31-12-68 को चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1-	मैट्रिकुलेटस	8,09,631
2-	हायर सैकण्डरी (इण्टरमीडिएट/अंडर ग्रेजुएटी समेत)	3,24,319
3-	ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएटी समेत)	1,75,390

(ग)		31-12-68 को चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1–	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	3,46 409
2–	अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार	61,050

Import of Russian Tractors

1860. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of Russian tractors imported in India during 1968 ;

(b) the total number of tractors required in the country as on the 31st December, 1968 ; and

(c) the number of tractors that had been demanded by the Maharashtra Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1,289 nos. of Russian tractors were imported into India during 1968. Besides, a further import of 6,5(0 tractors from Russia was also decided upon during that year.

(b) The total estimated requirements of wheeled tractors in the country as on 31st December, 1968 were of the order of sixty thousand nos. Against these, import to the extent of 15,000 nos. of tractors of various makes and sizes was approved during 1968. This is in addition to 1,289 nos. of tractors already imported and 14,763 tractors indigenously manufacturered.

(a) The relative demand of tractors as intimated by the Maharashtra Government and the State Agro-Industries Corporation was of the order of 2,100 nos. Against this demand 1,450 nos. tractors of various makes and sizes have been allotted.

पुनः प्रेषण केन्द्र को नागपुर से भोपाल ले जाना

1861. श्री देवराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनः प्रेषण केन्द्र को नागपुर से भोपाल ले जाने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुनः प्रेषण केन्द्र नागपुर के कर्मचारियों को वही सुविधाएं दे रही है, जो पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के स्थानान्तरण के समय उसके कर्मचारियों को दी गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्यतः मुख्यालय बदलने के समय जो सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाती हैं, वे ही सुविधाएं नागपुर पुनः प्रेषण केन्द्र के कर्मचारियों को यदि वे जयपुर, भोपाल और

बम्बई जाना चाहेंगे तो दी जाएगी। फिर भी भोपाल में आवास की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगी जैसा कि पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के स्थानान्तरण के समय किया गया था।

(ग) इस समय ऐसे कोई विभागीय या राज्य सरकार के क्वार्टर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि 1965 में पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के स्थानान्तरण के समय उपलब्ध थे।

पुनः प्रेषण केन्द्र, नागपुर का तीन भागों में विभाजन

1862. श्री देवराव पाटिल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थान न मिलने के कारण डाक भण्डार डिपो, नागपुर का भोपाल ले जाने का काम हाल में स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या भोपाल तथा जयपुर में पुनः प्रेषण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और आनुपातिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा विदर्भ भाग का पुनः प्रेषण केन्द्र, बम्बई में विलय किया जायेगा ;

(ग) क्या पुनः प्रेषण केन्द्र, नागपुर को, जो कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय का भाग है, अब तीन भागों में बांटा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो भोपाल में स्थान प्राप्ति के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : जी हां।

(घ) भोपाल में आवास के लिए स्थानों को प्राप्त करने निर्माण कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों का चयन

1863. श्री अ० श्री० कस्तूरे : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था में वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन एक केन्द्रीय चयन बोर्ड काम कर रहा है :

(ख) केन्द्रीय चयन बोर्ड बनने के बाद अब तक कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है ;

(ग) बोर्ड बनने से लेकर अब तक इसके द्वारा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है ;

(घ) क्या सरकार बोर्ड तथा अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों में से वर्ग-वार आरक्षित कोटा के लिये चुने गये उम्मीदवारों की संख्या से संतुष्ट हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो संविधान के अन्तर्गत इन जातियों के लिये आरक्षित कोटे को भरने के लिये सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ङ) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक पदों के लिये चयन समितियां बनाई जाती हैं जैसाकि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के उप-नियमों में निहित हैं। गृह मन्त्रालय के आदेशों के अनुसार सारे वैज्ञानिक पद, जैसाकि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के संस्थानों में विद्यमान है, खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरे जाने चाहियें और अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं रखे जाने चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने अपने विभिन्न संस्थानों के लिये कितने वैज्ञानिकों का चयन किया इसके बारे में सूचना संस्थानों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में निदेशकों के पद

1864. **श्री अ० श्री कस्तूरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के अधीन अनुसन्धान संस्थाओं के निर्देशकों, डिवीजनों के अध्यक्षों तथा अनुभागों के प्रमुखों के कितने पद हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के अधीन केन्द्रीय संस्थाओं के निर्देशकों, डिवीजनों के अध्यक्षों तथा अनुभागों के प्रमुखों के पदों पर अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(ग) क्या सरकार के मतानुसार उक्त वर्गों में अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के पर्याप्त लोग हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में संविधान के अनुसार आरक्षित कोटे को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रशिक्षणार्थी

1865. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा 1963 से लेकर अब तक सेवा कर रहे कितने प्रशिक्षणार्थियों को उच्च अध्ययन अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण अथवा अध्ययन यात्रा के लिये विदेशों में भेजा गया है ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा 1963 से लेकर अब तक उक्त प्रयोजनों हेतु अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के सेवा कर रहे कितने प्रशिक्षणार्थियों को विदेशों में भेजा गया है ;

(ग) क्या विदेशों में उम्मीदवारों की प्रतिनियुक्ति में सरकार कोटा प्रणाली के अनुसार काम कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या विशेष कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा 1963 से 1968 तक भेजे गये सेवा कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 111 है ।

(ख) और (ग) : विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये कोई कोटा प्रणाली नहीं है । उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर भेजा जाता है । अतः यह जानकारी नहीं रखी जाती है कि प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जाति । आदिम जाति का है या नहीं ।

(घ) उच्चतर या विशेष प्रशिक्ष के लिये विदेशों में प्रतिनियुक्ति योग्यता के आधार पर होती हैं तथा यह विदेशी प्रायोजित निकाय के परामर्श से की जाती है । अतः कोई कोटा प्रणाली नहीं है ।

मध्य प्रदेश में खेती योग्य भूमि में सिंचाई सुविधायें

1866. **श्री गं० चं० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खेती योग्य कुल कितनी भूमि है और इसमें से कितनी भूमि अभी तक प्रकृति पर निर्भर हैं, जिसके लिए अभी तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं ; और

(ख) चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में खेती योग्य कितनी भूमि बचेगी, जिसमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965-66 के नवीनतम उपलब्ध भूमि प्रयोग आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि 566.30 लाख एकड़ थी जिसमें से 439.30 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई । आशा है 1968–69 के अन्त तक, इस क्षेत्र में से लगभग 31.00 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जायेंगी ।

(ख) राज्य सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार आशा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई आदि समस्त संसाधनों के अन्तर्गत लगभग 49,00 लाख एकड़ क्षेत्र आ जायेगा ।

मध्य प्रदेश में हड़तालें तथा तालाबन्दी

1867. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में हड़तालों, तालाबन्दियों तथा कारखानों के बन्द होने के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) इनके क्या कारण थे ; और

(ग) ये घटनायें किन-किन और कितने उद्योगों में घटी, कितने जन-दिनों की हानि हुई और उनसे कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकारि में आता है ।

मुजफ्फरपुर (बिहार) में तम्बाकू की खेती

1868. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार (मुजफ्फरपुर जिले) में गहरे नल कूप लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने का है क्योंकि इस क्षेत्र का कुछ भाग गंडक कमान क्षेत्र से बाहर पड़ता हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के तम्बाकू उत्पन्न करने वाले किसानों की इस प्रकार सहायता करने का है कि किस्म सुधारने तथा अधिक भूमि में खेती करने हेतु उत्पादन कर अथवा "शुल्कों" द्वारा वसूल किये गये राजस्व में से वित्तीय सहायता दी जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार इस क्षेत्र में तम्बाकू की खेती के लिये ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बिहार में कृषि उद्योग

1869. श्री कामेश्वर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिहार के खगरिया और बेगूसराय सब-डिवीजनों में कृषि उद्योगों के विकास के लिए एक योजना तैयार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर प्रतिवेदन तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रैक्टरों का आयात

1870. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में भारत में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को देश में कुल कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भारत में 2289 पहियेदार ट्रैक्टरों का आयात किया गया। विभिन्न किस्मों के 1,000 पहियेदार ट्रैक्टर और आयात करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) 31 दिसम्बर 1968 तक देश में ट्रैक्टरों की कुल आवश्यकतानुसार मांग 60 हजार थी ।

Elections to Panchayats

1871. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gram Panchayat Elections in Rajasthan have been stayed by issuing an Ordinance and if so, the details in this regard and the reaction of Government thereto ; and

(b) the States in which progress is being made according to the policy and scheme of establishing Panchayati Raj in the country and the names of those States where elections to Gram Panchayats and Panchayats at higher level have been held up as also the time since when they have been held up ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b): Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House, when received.

दण्डकारण्य परियोजना में गबन

1872. श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में कोंडागांव दण्डकारण्य परियोजना में एक बड़ी राशि का गबन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और क्या यह अधिकारियों द्वारा वसूल कर ली गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि मामले को अग्रेतर जांच के लिये पुलिस को नहीं सौंपा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पशु चिकित्सालय, तीस हजारी, दिल्ली राज्य

1873. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस हजारी दिल्ली का पशु चिकित्सालय केवल दिल्ली राज्य की सहायता से चल रहा है तथा उस पर उसी का प्रशासनिक नियन्त्रण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वहां रोगी पशुओं को केवल सामान्य औषधियां ही दी जाती हैं तथा चिकित्सालय अधिकारी टीके तथा अन्य औषधियां मुफ्त नहीं देते है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पशु चिकित्सालय, तीस हजारी, दिल्ली का संचालन दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है । दिल्ली प्रशासन ने केवल एक पशु-चिकित्सक इस चिकित्सालय में सहायता के रुप नियुक्त किया है जिसका वेतन प्रशासन देता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कारण यह है कि दिल्ली नगर निगम के वित्तीय साधन सीमित हैं । नगर अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष में औषधियों की उपलब्धि हेतु अधिक प्रावधान करेंगे ।

Kaushalyapuri Looting Case

1874. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 767 on the 15th November, 1968 and state :

(a) whether the District authorities connected with the Kaushalyapuri looting case were asked to clarify the basis on which a private registered institution was attacked and dissolved and a case filed against it;

(b) the reasons for not fixing its responsibility up till now;

(c) whether Government propose not to take any action against the guilty officials on account of the case being as old as 16 years; and

(d) whether Government consider the importance of the possibility of all the facts coming into light by way of an open enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Grupadaswami) : (a) According to the records available the facts of the case are that about 500 acres of land were acquired by the U. P. Government in 1949 in connection with the Grow More Food Compaign. The land was not transfersed to the unregistere Kaushalyapuri Cooperative Organisation. Shri Ganga Ram Dhanuk was entrusted with the watch and ward duty on a part of the land on ¼ Batai. The question of dissolving it or conducting a raid on it did not, therefore, arise. It is a fact that Shri Ganga Ram Dhanuk was prosecuted in two criminal cases under sections 419/511 and 406/409 Indian Panel Code. Shri Dhanuk was convicted by the Trial Court in one case under section 419/511 but was acquitted by the Sessions court. In the second case under section 406/4 9 Indian Panel Code he was acquitted by the Asstt. Session Judge.

(b) The Government of U. P. did not find anything necessitating the fixation of responsibility in this connection.

(c) and (d) In view of replies to parts (a) and (b) above, these do not arise.

Kausbalyapuri Farm

1875. Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the reasons for not fixing the responsibility so far in regard to the looting of Kaushalyapuri Farm situated near Achhalda in 1949–50 by the then District officers;

(b) the date when the orders were issued for launching prosecutions against the Manager and Members of the Samiti and the name of the person who issued the orders and the basis of launching prosecutions against an unregistered and private aided institution;

(c) the expenditure incurred by Government thereon; and

(d) the reason for not realising it so far from the officers involved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswami) : (a) According to the information furnished by the Govt. of U. P., there was looting in 1949–50 by the then District Officers of Kaushalyapuri Farm as alleged and as such the question of fixing responsibility does not arise.

(b) In a meeting of the prospective members of the Cooperative Farming Society, its bye laws were adopted and it was named as "Ashokpuri Cooperative Agricultural and Industrial Society." The meeting was attended among others by one Shri Ganga Ram Dhanuk who was elected one of the Directors of the new society. Shri Dhanuk was alleged to have collected subscription from a large number of persons promising them shares in the cooperative society. He was called upon by the society to render account of the money he had raised. When Shri Dhanuk allegedly failed to submit accounts of the

money collected by him, the then District Development Officer in his capacity as the President of the Ashokpuri Cooperative Farming Society, in pursuance of a resolution of the Cooperative Society dated 18.6.1950, submitted a report dt. 27.10 to the District Magistrate, Etawah, who forwarded it to policeauthorities. A case was then registered U/S 406/409 IPC against Shri Ganga Ram Dhanuk. Similarly, on the basis of another report dated 7.7.1950 by the then District Development Officer, a case was registered U/S 419/511 IPC.

(c) Since no account of expenses incurred in connection with the prosecution of individual cases is maintained, it is not possible to work out the figures.

(d) There is no question of recovery of legal expenses incurred in such prosecutions.

Kaushalyapuri Embezzlement Case

1876. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 767 on the 15th November, 1968 and state :

(a) whether the enquiry into the matter has since been completed;

(b) if so, the mode and level of enquiry;

(c) if not, the reasons for delay in the completion of the enquiry and the further time likely to be taken in the completion of the enquiry; and

(d) the efforts made to trace out the records which are reported to have been concealed by the officers involved in the case ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Gurupadaswami) : (a) Attention in this connection is kindly invited to the answer given by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Rajya Sabha to Unstarred Question No. 206 on 20.11.68 on the question wherein it was stated that an enquiry had been held and the allegations could not be substantiated.

(b) It was a departmental enquiry.

(c) Does not arise.

(d) According to the state Government of U. P., the records lay consigned in the record room of District Planning Officer, Etawah.

उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में पशुपालन कार्यक्रम

1877. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाई-गुड़ी जिले में बाढ़ पीड़ित गरीब किसानों को कुछ दुधारू पशु दिये गये हैं;

(ख) क्या उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में हरियाणा अथवा अन्य नस्लों के पशुओं का विकास करने के बारे में कोई व्यापक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रकार का अध्ययन चौथी पचवर्षीय योजना काल में कोसी क्षेत्र (उत्तर बिहार) में आरम्भ किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) पूछी गई जानकारी बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पशुप्लेग के टीकों का निर्माण तथा सम्भरण

1878. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशुप्लेग के टीकों का निर्माण तथा सम्भरण देश में इसकी आवश्यकताओं से कम है;

(ख) देश में कितने केन्द्रों में इनका निर्माण किया जाता है और उसका कितना वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इसकी वार्षिक खपत कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश में सात केन्द्रों में पशुप्लेग के टीकों का निर्माण हो रहा है । केन्द्रों के नाम और 1967-68 के दौरान उनका उत्पादन निम्नलिखित है :—

	केन्द्र का नाम	उत्पादित खुराकों की संख्या (लाखों)
1.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर ।	87.90
2.	जैव उत्पाद केन्द्र, बंगाल पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कलकत्ता ।	77.20
3.	जैव उत्पाद अनुभाग-पशुधन अनुसन्धान केन्द्र, पटना ।	54.20
4.	जैव उत्पाद अनुभाग, पशुपालन विभाग, लखनऊ ।	62.00
5.	जैव उत्पाद अनुभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा, हिसार ।	20.70
6.	पशुचिकित्सा जैव उत्पाद संस्थान, महऊ (म० प्र०)	78.60
7.	पशु चिकित्सा निरोधक औषधि संस्थान, रानीपेट (तमिलनाडु)	99.30
		479.90

(ग) 1967–68 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई टीके की खपत इस प्रकार थी :—

राज्य	प्रयोग की गई खुराकों की संख्या (लाखों में)
असम	22.3
आन्ध्र प्रदेश	30.7
बिहार	59.2
पश्चिम बंगाल	32.3
गुजरात	13.0
जम्मू और काश्मीर	3.5
केरल	13.3
महाराष्ट्र	16.2
मद्रास	60 6
मध्य प्रदेश	70.9
मैसूर	16.1
उड़ीसा	18.5
पंजाब	8.8
हरियाणा	7.2
राजस्थान	16 6
उत्तर प्रदेश	48.0
अन्य	4.4
	441.6

नवतनवा खण्ड में पाताल तोड़ कुए

1879. डा० महादेव प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गोरखपुर जिले के नवतनवा खण्ड में पातालतोड़ कुवों का निर्माण करने की सम्भावनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में उपर्युक्त प्राकृतिक सिंचाई साधन के बारे में जांच करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कच्चे पटसन का उत्पादन

1880. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लक्कप्पा :
श्री समर गुह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में देश में कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कच्चे पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्यत: पटसन के क्षेत्र में कमी के कारण हुई है जिसका मुख्य कारण धान और पटसन के मूल्य की प्रतिकूल औसत और बुवाई के समय प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों का होना है।

(ग) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) फोलियर छिड़काव के लिये यूरिया की नि:शुल्क सप्लाई।

(2) यूरिया छिड़काव के लिये लो वोल्यूम पावर स्प्रेयर्स की कम मूल्य पर सप्लाई।

(3) यूरिया के हवाई छिड़काव के लिये नि:शुल्क प्रदर्शन।

(4) पटसन के उन्नत व प्रमाणीकृत बीजों को सहाय्यप्राप्त मूल्य पर वितरित करना।

(5) पटसन के रेशों की प्रति एकड उपज बढ़ाने के लिये पटसन के सम्बन्ध में विशेष पैकेज कार्यक्रम।

(6) गलाने की उन्नत सुविधाओं के लिये उपदान व ऋण के रूप में वित्तीय सहायता।

(7) दोहरी फसलों के लिये प्रदर्शन की योजना।

अंशकालिक पत्रकार

1881. **श्री स० कुन्दू** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों अथवा समाचार अभिकरणों के अंशकालिक पत्रकारों अर्थात जिला मुफस्सिल पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार माना जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी दोनों मजूरी बोर्डों की सिफारिशों से इनको लाभ पहुंचा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में समुचित संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि अंशकालिक जिला पत्रकारों को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख): अधिनियम की धारा 2 (एफ) में "श्रमजीवी पत्रकार" की परिभाषा की गई है। अंशकालिक पत्रकार इस परिभाषा के अन्तर्गत आता है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ग) जी हां। मजूरी बोर्ड ने समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों के अंशकालिक संवाददाताओं को दिये जाने वाली मासिक प्रतिधारण शुल्क की दरें निधारित की हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में नलकूप लगाना

1882. डा० कर्णी सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के विशेषतः बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में 1968 की समाप्ति तक कितने कितने नलकूप लगाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों का आयात

1883. डा० सुशीला नैयर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात करने के बारे में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टरों का आयात किये जाने की सम्भावना है तथा इन ट्रैक्टरों का आयात किन देशों से करने का विचार है; और

(ग) इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : जी नहीं। विदेशों से ट्रैक्टरों के आयात के प्रस्तावों को वर्ष प्रति-वर्ष के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है। 1968-69 में विभिन्न केन्द्रों और आकारों के 15,000 ट्रैक्टर फालतू पुर्जों और सम्बन्धित उपकरणों सहित आयात किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

देश का नाम	ट्रैक्टर का माडल	आयात की जाने वाली मात्रा	कुल मूल्य (रुपयों में)
रूस	डी टी 14 बी बाईलारैस-एम टी जेड-5 एम एस	6,000) 500)	4,26,92,500 (लागत बीमा भाड़ा)
चैकोस्लोवीका	जैटर-2011	5,000	4,61,85,000 (पोत-पर्यन्त निशुल्क)
रूमानिया	सुपर यू टी ओस	500	77,50,000 (लागत और भाड़ा)
	फालतू पुर्जे		775,000
जी॰डी॰आर॰	आर एस-09	3,000	3,18,00,000 (लागत और भाड़ा)
	अतिरिक्त फालतू पुर्जे		31,80,000 (लागत और भाड़ा)
	उपकरण		47,70,000 (लागत और भाड़ा)

इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि

1884. श्री उमा नाथ : **श्री वि॰ कु॰ मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के॰ एम॰ अब्राहम :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की भविष्य निधि की देय राशि के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) भुगतान कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : यह मामला अभी विचाराधीन है और इसमें यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास की केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनायें

1885. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति योजनाओं की संख्या कितनी है और उनका मोटा ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी; और

(घ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिये 1968–69 में स्वीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 220/69]**

खाद्यान्नों (खरीफ की फसल) की वसूली

1886. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री देवराव पाटिल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खरीफ की फसल से अब तक कुल कितना अनाज वसूल किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फसल मौसम 1968-69 में अब तक लगभग 23 लाख मीटरी टन खरीफ के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की गई है।

(ख) और (ग) : कुछ राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक अधिप्राप्ति हो चुकी है और इस बात की प्रत्येक सम्भावना है कि मौसम के अन्त तक चावल का समूचा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अधिकांश राज्यों में मोटे अनाजों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है और ऐसे राज्यों में मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में घाटा

1887. श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनियमितताओं, चोरियों और माल में कमी हो जाने के कारण, उसके आरम्भ होने के समय से अब तक वर्षवार कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या इन मामलों में जांच पड़ताल की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इसके कार्य-संचालन को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी की खड़ी फसल में कीड़ा लगना

1888. श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से पूर्वी जिलों, हरियाणा और पंजाब में रबी की खड़ी फसल को एक कीड़े से हानि हो रही है, जिसका नाम स्थानीय तौर पर 'भूडिली' है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे समाचार मिले है कि इन रेंगने वाले तथा बालों वाले कीड़ों ने खेतों पर आक्रमण कर दिया है और वे मटर आलू फूलगोभी तथा अन्य पत्ती वाली सब्जियों को शीघ्र नष्ट कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों की फसलों को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी जिलों में खड़ी रबी की फसल को बालों वाले मैटरपिलर जिसे मुडिलिली या बिहार मुरली कहा जाता है का प्रकोप था । हरियाणा तथा पंजाब से मुडिलि कैटरपिलर द्वारा फैलाई गई किसी महामारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस विनाशकारी कीड़े से उत्तर प्रदेश के नौ जिले प्रभावित थे, जिस से सरसों, गेहूं, जौ, मटर, शकरकन्द, आलू, बैंगन, फूलगोभी तथा मूली की फसलों को नुकसान पहुँचा ।

(ग) इस विनाशकारी कीट के भली प्रकार विनाश के लिये राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विनाशकारी कीटाणु अधिनियम की धाराओं को लागू कर, 2 लाख रु० की लागत से विनाशकारी कीटाणु के ग्रस्त जिलों में नियन्त्रण कार्य किया । केन्द्रीय सहायता, प्राकृतिक संकट-निवारण निधि के अन्तर्गत दी जाती है ।

Shortage of Postal Stamps etc. in Rural Areas of U. P.

1889. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Sharda Nand :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Onkar Singh :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Information and Boardcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that postal stationery in post offices in the Hilly areas of Uttar Pradesh mostly remains in short supply; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There has been a temporary shortage of only Inland Letter Cards & 20 P. Embossed Envelopes in Almora Division and the situation was met by obtaining supplies from neighbouring offices.

b) Delay in timely replenishment of stock by Controller of Stamps, Nasik Road.

पटना और दानापुर (बिहार) में अनधिकृत टेलीफोन कनेक्शन

1890. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि पटना और दानापुर (बिहार) में (1) अनधिकृत टेलीफोन बड़ी संख्या में हैं; जिनको सरकारी अभिलेखों में या तो

'काट दिया गया' दिखाया गया है या वे उन व्यक्तियों के नाम में हैं जो मर चुके हैं अथवा अन्य स्थानों को चले गये हैं; (2) वस्तुतः बोगस आवेदन पत्रों पर नये टेलीफोन कनेक्शन दिये हैं; (3) उक्त टेलीफोन कनेक्शनों के किराये तथा इनसे की गई ट्रंक कालों की बड़ी राशि के बिल लम्बे समय से इनके मालिकों की ओर बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सूचनाओं का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अनधिकृत टेलीफोन कनेक्शनों की सख्या कितनी है;

(ग) टेलीफोन सम्बन्धी इस जालसाजी का पता लगाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या; और

(घ) कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) (i), (ii) और (iii) : जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल

1891. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री भारत सिंह चोहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों में पृथक-पृथक हड़ताल, घेराव तथा तालाबन्दी की कितनी घटनायें हुई थीं;

(ख) राज्यवार, वर्गवार इन संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें कितने श्रमिकों ने भाग लिया था तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष आय की कितनी हानि हुई थी;

(घ) प्रत्येक वर्ष कितने जन दिवसों की क्षति हुई;

(ङ) प्रत्येक वर्ष दोनों क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को पृथक-पृथक कितनी हानि हुई थी;

(च) इन घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने संस्थान बन्द करने पड़े थे तथा उसके कारण उन्हें कितनी हानि हुई थी; और

(छ) इन हड़तालों, घेरावों तथा तालाबन्दियों के क्या कारण थे तथा इन हड़तालों, तालाबन्दियों और घेरावों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (छ) : अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

आस्ट्रेलिया से चावल का आयात

1892. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री गणेश घोष :
श्री ई० के० नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० राम मूर्ति :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार भारत को 10,000 टन चावल और बाद में अप्रैल, 1969 की अगली फसल से 50,000 मीटरी टन चावल देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) माल भारतीय तट पर कब तक पहुँचने की आशा है;

(घ) इस चावल की आयातित लागत कितनी होगी और उपभोक्ताओं को यह किस मूल्य पर बेचा जायेगा; और

(ङ) अन्य किन-किन देशों से चावल खरीदने के बारे में बातचीत की गई है और उनका इस सम्बन्ध में क्या उत्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) बर्मा से 2 लाख टन चावल तथा संयुक्त अरब गणराज्य से 60,000 मीटरी टन चावल पहले ही सरकार से सरकार के आधार पर खरीदा जा चुका है ।

अधिक उपज वाले चावल और गेहूं बोने का कार्यक्रम

1893. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मीठालाल मीना :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक उपज वाले चावल और गेहूं का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपनाये गए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कोई शिथिलता आ गई है; और

(ख) क्या संकर किस्मों के बीज के प्रयोग से वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के पूर्वार्ध में हुई औसत उपज निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गई थी और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। वस्तुतः इन फसलों में हुई प्रगति बड़ी उत्साहवर्द्धक है और इन का क्षेत्र भी तीव्रता से बढ़ रहा है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसल के लिए धान की उपयुक्त किस्मों के चुनाव में कुछ कठिनाई थी। उपलब्ध अधिक उत्पादनशील किस्मों से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए सर्वप्रथम आदानों की व्यवस्था और द्वितीय स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलतम नई किस्मों के विकास के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, धान की दो नई अधिक उत्पादनशील किस्में 'जया" और "पदमा" अभी हाल ही में निर्मुक्त की गई है और अन्य किस्में परीक्षण/अनुसंधान के विभिन्न स्तरों पर है।

(ख) खरीफ 1968 के उत्पादन का दित्ता अभी तक राज्यों से उपलब्ध नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों से 1966-67 और 1967-68 में उपलब्ध उत्पादन दित्ता के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिक उत्पादनशील किस्मों ने परम्परागत किस्मों की अपेक्षा पर्याप्त अधिक उत्पादन दिया है और इन किस्मों का औसत उत्पादन उन की उत्पादन क्षमता के अनुकूल है।

दिल्ली में सुपर बाजार

1894. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रा० की० अर्मान :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रा० वें० नायक :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सीता राम केसरी :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री समर गुह :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जे० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री रवि राय :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री देवेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1967, 1968 और 1969 में दिल्ली के तीनों सुपर बाजारों को कितनी-कितनी हानि हुई और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1969 को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुए तत्सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) भारत सरकार का इस बढ़ती हुई हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वह उद्देश्य पूर्ण हो सके जिसके लिए दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सुपर बाजार खोले गये थे ; और

(घ) इनको लाभ पर चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सहकारी वर्ष 1966–67 में कुल 7.08 लाख रुपए की हानि हुई थी ; वर्ष 1967–68 के बारे में 13.04 लाख रुपए की हानि का अनुमान है, जिसकी अभि लेखा-परीक्षा द्वारा पुष्टि होनी रहती है और वर्ष 1968-69 की स्थिति का पता 30 जून, 1968 को सहकारी वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् चलेगा। हानि के मुख्य कारण ये हैं— प्रवर्तन, प्रशासन और परिचालन सम्बन्धी अधिक लागत, जिसमें कनाट सर्कस की इमारत का अधिक किराया भी शामिल है।

(ख) जी हां।

(ग) यह कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली, जो दिल्ली में सुपर बाजारों को चलाता है, के प्रबंधकों का काम है कि वे इसके द्वारा उठायी गई हानियों को खर्चों में कमी करके, प्रशासनिक तथा परिचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाकर और बिक्री को बढ़ा कर पूरा करने के लिए कदम उठाएं। हानियों के बावजूद भी, दिल्ली के सुपर बाजार जिस प्रयोजन के लिए खोले गये थे उसे उपभोज्य वस्तुएं उचित दरों पर बेचकर, अच्छी किस्म की वस्तुएं ही रख कर और स्वस्थ व्यापारिक चलन अपना कर पूरा कर रहे हैं।

(घ) कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली ने सुपर बाजारों को लाभ पर चलाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें ये शामिल हैं—सिब्बंदी तथा परिचालन व्ययों में कमी करना, स्टाक स्तर का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, वस्तुओं के अनधिकृत रूप से बाहर जाने को रोकना, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुपरवाही बनाना, क्रय नीतियों का मानकीकरण और व्यापार का विस्तार करना कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भण्डार को उसके महा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिए सौंपी गई हैं।

कृषक ऋण सहकारी समितियां

1895. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री गाडलिंगन गौड :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषक ऋण सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली ऋण की राशि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1966, 1967 और 1968 को समाप्त हुए वर्षों में ऐसी राशि कितनी-कितनी थी, जो चुकायी नहीं गई थी ; और

(ग) ग्रामीण लोगों के लगातार ऋणी रहने के क्या कारण हैं और कृषकों की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : उन बकाया ऋणों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है जो 30 जून, 1966, 30 जून, 1967 और 30 जून, 1968 को अतिदेय हुए :—

(करोड़ रु० में)

	अतिदेय		
	30 6.66	30.6.67	30.6.68 (अनन्तिम)
अल्प तथा मध्य-कालीन ऋण	125.36	160 15	156.92
दीर्घकालीन ऋण	4.42	5.74	7.43

सहकारी समितियों से किसानों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण लेने का काफी बड़ा कारण यह है कि सघन कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत उर्वरकों जैसे आधुनिक आदानों के प्रयोग के लिए अधिकाधिक कार्यकर पूंजी की जरूरत पड़ती है और अर्द्धस्थायी तथा स्थायी प्रकार के लघु सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यों के लिए पूंजी लगाने के लिए भी अधिक परिव्यय करना पड़ता है ।

कृषि उद्यम मौसमी स्वरूप का है जिसके कारण आदानों के रूप में किए जाने वाले व्यय के समय और अन्तिम उपज में से होने वाली आय की प्राप्ति के समय के बीच काफी अन्तर पड़ जाता है । किसानों, विशेष रूप से साधारण साधन वालों, को इस प्रकार की परिस्थिति के अन्तर्गत कृषि-कार्य हाथ में लेने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है । उन क्षेत्रों में किसानों की वापसी अदायगी की क्षमता सीमित होती है, जहां घटिया मिट्टी, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और अपर्याप्त वर्षा जैसे प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों से खेती अलाभकर होती है । अन्य क्षेत्रों में भी अपूर्वदृष्ट प्राकृतिक आपदाओ के परिणामस्वरूप कभी-कभी फसल आंशिक रूप से खराब हो जाती है और उससे अतिदेय बढ़ जाते हैं । चूंकि सहकारी ऋण अधिकतर कृषि उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओ और उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने के लिए ही दिए जाते हैं, अत: ऋण के बकायों में होने वाली वृद्धि इस रूप में नहीं ली जानी चाहिए कि ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है ।

फिलीपीन से चावल का आयात

1896. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 सितम्बर, 1968 को 25,000 मेट्रिक टन चावल की खरीद के लिए फिलिपीन के साथ जो समझौता हुआ था, उसकी मुख्य बात क्या है, और भारत में चावल किस भाव में पहुँचेगा ,

(ख) इस समय भारतीय चावल की उसी किस्म या उसके बराबर की किस्म का प्रति टन मूल्य क्या है ; और

(ग) फिलिपीन से भारत द्वारा चावल खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फिलिपीन से 26 सितम्बर, 1968 को 25,000 मीटरी टन चावल खरीदा गया था जिसमें 35-40 प्रतिशत टोटे के साथ फिलिपीन वाईट राइस आई० आर०-8 किस्म का चावल 10,000 मीटरी टन और 30-35 प्रतिशत टोटे के साथ फिलिपीन वाईट राइस किस्म का 15,000 मीटरी टन चावल शामिल है। आई० आर०-8 किस्म के चावल का लदान 15 अक्तूबर, 1968 और अन्य किस्म के चावल का लदान 15 नवम्बर, 1968 को होना था। 15-10-68 तक लदान के लिए आई० आर०-8 किस्म का लागत तथा भाड़ा जहाज़ तक निःशुल्क तयशुदा मूल्य 163.0 डालर प्रति मीटरी टन और 15 नवम्बर, 1968 तक लदान होने वाली अन्य किस्म का लागत तथा भाड़ा जहाज़ तक निःशुल्क तयशुदा मूल्य 158.50 डालर प्रति मीटरी टन था।

क्योंकि आई० आर०-8 किस्म के चावल की सारी मात्रा का लदान निर्धारित तारीख के बाद कर दिया गया था, इसलिए इस किस्म के चावल के मूल्य में परस्पर समझौते से लागत तथा भाड़ा 3.00 डालर प्रति मीटरी टन कम कर दिए गए थे। अतः इस चावल की लागत भाड़ा समेत 1200 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है।

जहां तक फिलिपीन वाईट राइस का सम्बन्ध है, कुछ मात्रा को सुपुर्दगी निर्धारित तारीख अर्थात् 15 नवम्बर, 1968 के बाद की गई थी और इसके परिणामस्वरूप उस मात्रा पर 3.00 डालर प्रति मीटरी टन की कटौती मांगी गई थी। अतः इस किस्म के चावल की औसत लागत भाड़ा समेत 1177.48 रुपये प्रति मीटन टन बैठती है।

(ख) फिलिपीन चावल की कुछ मात्रा का वर्गीकरण बढ़िया, कुछ का मध्यम और मोटा चावल के रूप में किया गया था। इन तीनों किस्मों के चावल का निर्गम मूल्य क्रमशः 1100, 1020 और 960 रुपये प्रति मीटरी टन है।

(ग) फिलिपीन से चावल विभिन्न राज्यों में सरकारी वितरण की जरूरतें पूरी करने के लिए आन्तरिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु खरीदा गया था।

Telephone connections to Police Stations

1897. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Information & Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Government feel it necessary to provide telephones to the Police Stations with a view to facilitate maintaining law and order in the country ;

(b) if so, the number out of the total number of Police Stations in India which have been provided with telephones uptill now; and

(c) the time by which all the police stations in India are likely to be provided with telephones ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Deparatment of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Law and order is normally a State Subject and the question whether the police stations in the country should be provided with telephones is a matter of policy to be decided by the State Government concerned. Demands for telephones to Police Stations are, however, met expeditiously.

(b) The information regarding the number of Police Stations actually having telephones in the country is not readily available as no separate account of such telephones is maintained by the Department.

(c) Does not arise in view of (a) above.

Research on the Electronic Communications System

1898. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whetherei t is a fact that the Deparatment of Communications is doing research on the electronic communications system ;

(b) if so, the result thereof ;

(c) when the electronic communications system is likely to be introduced in India ; and

(d) whether this change over would be economically profitable ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Deparatment of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. The Telecommunication Research Centre of the Posts and Telegraphs Department is developing an Electronic Telephone Exchange.

(b) Development work is in progress.

(c) It is expected that the prototype of the Electronic Exchance will be put on field trial early in 1971.

(d) The type of Electronic Exchange under development is mainly meant for large metropolitan cities, where it is expected that they will be economically comparable with the existing types of electro-mechanical system taking into account the additional facilities that are available in them.

Violation of Factory Act

1899. **Shri Mohanu Prasad** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2460 on the 28th November, 1968 and state :

(a) whether the requisite information regarding the violation of Factory Act in States has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) A statement is placed on the Table of the Sabha. [Placed in Library, See No. LT-221/69]

(c) Does not arise.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Training Institutes

1900. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5172 on the 19th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the number of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and non-Scheduled castes in the Central Training Institutes has been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The information has been co lected aud is given in the statement. [Placed in Library, See. No. LT-222/69

(c) Does not arise.

M/s Army and Police Equipment Supply Co., Kanpur

1901. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3362 on the 5th December, 1968 and state the progress made so far in the matter of legal proceedings launched by U. P. Government against M/s Army and Police Equipment Supply Co. Kanpur for not implementing the recommendations of the Wage Board by them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The information asked for is not available. The matter falls in the State sphere.

Super Bazars

1902. Shri Molahu Prasad :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government propose to recover the amount of losses incurred by Super Bazars from the salary and allowances of the officers and staff of these Markets ;

(b) if not, whether Government propose to restrict the strength of officers and staff of the ratio of 1:50 by reducing the number of officers and to run the Super Bazars strictly on commercial basis by imposing restriction on the purchase of furniture and air-conditioning equipment ; and

(c) if so, whether Government propose to withdraw the facilities being given to the Super Bazars free of any charge and not to meet their losses ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) : The Super Bazars are not run by the Government, though financial assistance is given to them through the State Governments and Union Territory Administrations concerned. They are set up and managed by Central/Wholesale Consumer Cooperative Stores/State Federations which are registered under the Cooperative Societies Acts in the respective States and Union Territories. They are autonomous and voluntary cooperative institutions, subject to the statutory control of the Registrar of Cooperative Societies of the State concerned. If any Super Bazar runs into losses, the question of Government making any recoveries from the staff or reducing or adjusting the strength of the staff does not arise, as it will be for the management of the store to take appropriate remedial measures, for avaiding the losses and even wiping them out from the profits to be made in future years, as is done in commercial under takings. These measures may include reduction or adjustment of the strength of the staff, cutting down expenditure, and restricting purchases, as may be deemed necessary. Recovery from officers and staff can also be made where the responsibility for the loss can be fixed personally on a particular individual or individuals.

(c) Does not arise.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों द्वारा देय बकाया राशि

1903. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० ऐम० अब्राहम :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1968 तक विभिन्न नियोजकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 4,15 00,384 रुपये की बकाया राशि देनी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन नियोजकों के नाम क्या हैं जिन्होंने 5,000 रुपये से अधिक बकाया राशि देनी थीं ;

(ग) क्या यह बकाया राशि और बढ़ गई है ;

(घ) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1968 तक बकाया राशि कितनी थी ; और

(ङ) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये विभिन्न नियोजकों के विरुद्ध क्रमशः क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान की वसूली का दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम का है। निगम द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) 30-6-1968 की कुल बकाया राशि —4,51,00,384 रु० थी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 223/69]

(ग) और (घ) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत देय अंशदानों की बकाया राशि का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और 31-12-1968 तक की समयावधि की स्थिति मई, 1968 के मध्य तक मालूम होगी।

(ङ) जहां कहीं आवश्यक समझा गया वहां वसूली कार्यवाही और अभियोजन के द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि के सम्बन्ध में नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जा चुकी है और एक करोड़ रुपये की और बकाया राशि की अदायगी करने के लिये नियोजकों को नोटिस भेज दिये गये हैं।

दूरसंचार सुविधा

1904. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में देश में दूर संचार की सुविधाओं में सुधार बना हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किये गये मुख्य सुधार क्या हैं ;

(ग) इस अवधि में सागर पार संचार सेवा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रायोजित कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस अवधि के दौरान दूर संचार सुविधाओं के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य प्रगति के आंकड़ों को विवरण पत्र में दिखाया गया है जो सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 224/69**]

(ग) इस अवधि के दौरान समुद्र पार संचार सेवा के सम्बन्ध में हुई प्रगति को विवरण-पत्र II में दिखाया गया है, जो सभा-पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 224/69**]

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किये जाने वाले विकास कार्यक्रम का ब्यौरा III और IV विवरण-पत्रों में दिखाया गया है जो सभा-पटल पर रखे जा रहे हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 224/69**] III विवरण-पत्र दूरसंचार सुविधाओं के सम्बन्ध में और IV विवरण-पत्र समुद्र पार संचार सेवा के सम्बन्ध में है।

फल उत्पादन कार्यक्रम

1905. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठ मुख्य फलों के बारे में, जिनमें से निर्यात प्रधान फलों को प्राथमिकता दी जायेगी, एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने फल उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिये बंगलौर में केन्द्रीय बागवानी अनुसन्धान संस्था भी स्थापित की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये आठ मुख्य फलों के बारे में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना बनाई है । प्रायोजना पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है और उसकी स्वीकृति के पश्चात् भारत सरकार की व्यय-वित्त समिति द्वारा वह प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

फिर भी प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य तो शुरू करने के लिये, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अग्रिम कार्य के रूप में 1968-69 के दौरान चार फलों के बारे में निम्नलिखित छः अनुसन्धान केन्द्र पहले ही स्वीकृत कर दिये गये हैं :—

1.	आम	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।
2.	केला	एस० ए० वी० डी० ए०, महाराष्ट्र ।
3.	अंगूर	(i) बागवानी अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर । (ii) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली ।
4.	निम्बु फल	(i) गन्नि कोप्पल, (कुर्ग), मैसूर राज्य । (ii) श्रीरामपुर, महाराष्ट्र ।

मुख्य योजना देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आम, केला, निम्बु फल, अंगूर, अनानास, पपीता, अमरूद आदि 8 प्रमुख फलों और सेब, अखरोट, आदि समशीतोषण फलों के लिये अनेक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ।

निर्यात अनुस्थापित अमरूद, निम्बु, अनानास आदि फलों से सम्बन्ध रखने वाली समस्यायें इस प्रायोजना में प्राथमिकता प्राप्त करेंगी ।

(ग) जी हां ।

चीनी का विनियंत्रण

1907. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हिम्मतसिंहका :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ।
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का और विनियंत्रण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increasing Unemplayment In Delhi

1908. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the minister of Labour and Rehabilation be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the employment opportunities are going down and the number of unemployed persons is increasing ralhidly in Delhi;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) The steps proposed to be taken by Government to solve this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) : Available information is given below :

Year	No. of vacancies notified to the Employment Exchanges	No. of work seekers on the Live Register of Employment Exchange
1966	44254	77405
1967	38295	77112
1968	40220	115114

(b) : Slackness in the growth of economy during the recent years.

(c) : Various Development Schemes included in the 4th Plan and the Annual Plan of 1969-70 are likely to generate larger number of employment opportunities.

बोनस अधिनियम का उल्लंघन

1909. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों द्वारा बोनस अधिनियम का बार-बार उल्लंघन किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) वर्ष 1967 और 1968 में किये गये इन उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन उल्लंघनों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : ऐसे मामले हुये है जिनमें बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के उपबन्धों के उल्लंघन हुए हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध संबन्धित अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। अब तक 123 अभियोजनों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

कोयला खान दुर्घटनायें

1910. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कितनी कोयला खान दुर्घटनाएं हुई थीं,

(ख) प्रत्येक खान में कितनी कितनी दुर्घटनायें हुई,

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे, और

(घ) मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

श्रम रोजगार तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश के उद्योगों में हड़ताल/तालाबन्दी

1911. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में आंध्र प्रदेश में उद्योग-वार कितनी हड़तालें/तालाबन्दियां हुई;

(ख) प्रत्येक के क्या कारण थे, और

(ग) कुल कितने जनदिनों की हानि हुई तथा उद्योगों को कितनी हानि हुई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

बिहार में गन्ने की सप्लाई में कमी

1912. **श्री सीताराम केसरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गन्ने की सप्लाई कम पड़ जाने से चीनी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : सूखे के कारण 1966-67 तथा 1967-68 के दो वर्षों में बिहार की चीनी मिलों को गन्ने की कम सप्लाई हुई थी। चालू वर्ष में गन्ने की कुल उपलब्धि में पर्याप्त सुधार होगा। गन्ने की अधिक बुआई के कारण आगामी वर्ष में स्थिति में और भी सुधार होने की आशा है।

न्यूनतम मजूरी निर्धारण

1913. श्री सी० जनार्दन :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी सम्बंधी कानून के बारे में हाल में हुई गोष्ठी ने सिफारिश की है कि कृषि को छोड़ कर सभी अनुसूचित रोजगारों में दैनिक मजूरी दो रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के तत्वाधान में हाल ही में हुई न्यूनतम मजूरी संबंधी गोष्ठी ने सिफारिश की है कि कृषि को छोड़कर किसी भी अनुसूचित रोजगार में अकुशल श्रमिकों की मजूरी दो रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जायेगा।

Minor Irrigation Schemes in U. P.

1914. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) Whether any programme of minor irrigation schemes for U. P. has been Prepared;

(b) Whether it is a fact that if oil engines instead of tube wells are brought into use for drawing water and are distributed in large number it would have good effect on the food production of the state; and

(c) If so, whether any detailed scheme has been prepared in this connection ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture, Community Development and Coop (Shri Annasahib Shinde) : The State Government has proposed the following minor irrigation works in their Fourth Plan.

(i)	Dug-wells	3,28,000 Nos.
(ii)	Boring in wells	5,00,000 Nos.
(iii)	Sinking of private tube wells.	2,00,000 Nos.

(iv) Sinking of state tubewells.	2,400 Nos.
(v) Installation of diesel pumpsets.	85,000 Nos.
(vi) Installation of electric pumpsets	70,000 Nos.
vii) Installation of parsian wheels.	2,00,000 Nos.

An outlay of Rs. 130.53 crores has been proposed. These perposals are still under consideration of the Central Government.

(b) and (c) The use of oil engines is possilbe only where there is existing source of water like dug-wells, rivers, streams, lakes, nallahs etc. The State Government has proposed to distribute 85,000 diesel pumpsets to the cultivators during the Fourth Plan period.

Direct Dialling System

1615 Shri P. C. Adichan : Will the minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) Whether direct dialling system would be introduced in some more important cities during the current year;

(b) If so, the details thereof and the effect on Government's revenues where the above system starts working; and

(c) Whether measures are being contemplated to remedy the difficulties which have been experienced in this system in certain cities ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in Department of Communication (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : Diarect dialling system is likely to be introduced between the following cities during 1969 :

1. Station to be connected to **Trunk Automatic Exchange.**

Madras TAX	-Coimbatore (Bangalore already connected).
Delhi TAX	-Chandigarh, Agra & Jullunder.
Bombay TAX	-Poona, Surat and Ahmedabad.

2. **Point-to-Point STD Routes.**

Delhi	-Hapur	
Delhi	-Amritsar	
Ahmedabad	-Rajkot	
Jullunder	-Amritsar	
Madras	-Trichy	
Madras	-Chingleput	
Srinagar	-Anantnag	Srinagar-Baramulla
Srinagar	-Sopore	
Mussoorie	-Dehradun.	

No separate account is maintained to indicate amount of revenue exclusively earned on trunk calls directly dialled by subscribers, However, on the basis of quarterly sampling that is carried out it is seen that while the revenue on these routes during the Pre-STD period was of the order of 80,88 lakhs per year, the post-STD revenue were approximately as below.

1965	-130·85 Lakhs
1966	-297·33 Lakhs
1967	-416·78 Lakhs
1968	-494·13 Lakhs

(c) Trunk Junctions are being increased on the existing STD routes, wherever there is congestion. Steps have also been taken to improve maintenance of the lines and equipments.

मोती बाग-2, नई दिल्ली में दुध का डिपो

1916 श्री बलराज मधोक : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीबाग-2, नई दिल्ली में, जहां सरकारी कर्मचारियों के 1000 से अधिक क्वाटर हैं, दुध का केवल एक ही डिपो है;

(ख) क्या यह भी सच है कि साउथ मोती बाग में, जहां केवल 816 क्वाटर और फलैट हैं, दूध के चार डिपो हैं;

(ग) क्या मोती बाग के निवासियों की कल्याण संस्था उस बस्ती में एक और डिपो खोलने की मांग काफी समय से कर रही है;

(घ) यदि हां, तो पास पास की दो बस्तियों में दूध के डिपो खोलने के सम्बन्ध में भेदभाव क्यों किया गया है और मोती बाग-2 मे दूध का एक और डिपो क्यों नहीं खोला गया है; और

(ङ) वहां पर दूध का एक नया डिपो खोलने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मोती बाग-2 में 165-166 तथा 449-450 नम्बरों वाले 2 दूध के डिपो काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना ने मोतीबाग-2 में एक अतिरिक्त दूध का डिपो स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके लिए दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति से एक उपयुक्त स्थान चुन लिया गया है ।

(ङ) दूध के डिपो के निर्माण के लिए अन्तिम रूप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है और निर्माण में लगभग 6 महीने लग सकते हैं ।

With-Holding of Telegrams in U. P.

1917. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Yajna Dutt Sharma :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 14 on the 18th December, 1968 and state :

(a) Whether the investigation into the with-holding of the telegrams sent by U. P. School Teachers to the Members of Parliament has been concluded; and

(b) If so, the conclusions arrived at ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The matter was duly enquired into. As stated earlier, the telegra ns under reference were with held under section 5 (1) (b) of the Indian Telegraph Act by the competent state authority.

(b) Does not ari·e.

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

1918 **श्री हिम्मतसिंह :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए० श्रीधरण :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री एस०-आर० दामानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दिसम्बर के अन्तिम भाग में पूर्वी पाकिस्तान के अनेक शरणार्थी परिवार बिहार से तथा अन्य शरणार्थी शिविरों से, उन शिविरों में अपनी दयनीय दशा के सम्बन्ध में बताने और शिविरों में उनकी दशा में सुधार करने हेतु सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये, उनसे मिलने के लिये दिल्ली आये थे;

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों के प्रत्येक वर्ग ने अपने-अपने शिविरों की क्या स्थिति बताई; और

(ग) उनकी दशा को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं; यह सत्य नहीं है कि बिहार तथा अन्य शरणार्थी शिविरों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारी संख्या में दिल्ली आये थे । दिल्ली में आने वाले पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी बिहार तथा अन्य प्रदेशों के पुनर्वास स्थलों से आये थे; उन स्थलों पर उन्हें सहायता शिविरों से, जहां कि उन्हें सर्वप्रथम बास दिया गया था, भेजा गया था ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

With-Holding of Telegrams in U. P. under section 5 (i) (b) of Indian Telegraphs Act

1919. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of telegrams withheld in various post offices in U. P. during the last five years under section (5) (i) (b) of the Indian Teleg.aphs Act and the number of telegrams belonging to Congress party out of them;

(b) whether Government propose to amend above sections;

(c) if not, the authority who is authorised to take dect ons under the above section; and

(d) arrangements made to ensure that Postal authorities at the instanch of or under the influence of any ruling party do not misus this section ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Brocasting and the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Total number of telegrams with-held under Section 5 (i) (b) of the Indian Telegraphs Act in U. P. Cricle was 57 during the period from 1-4-65 to 21-2-1969. As the these figures are not maintained partywies, it is not possible to state the number of such telegrams belonging to the Congress party.

(b) Yes, Sir, The matter is under consideration,

(c) Does not arise.

(d) The P & T Officers Act strictly according to the regulations on the subject.

Non. Payment of Dues by Sugar Mills to cane Growers

1920. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculturebe pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of sugar mills have not paid huge amounts of cane price to the cane growers;

(b) if so, names of mills and the amount in arrears from each mill; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to get the arrears paid to the growers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communitry Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) A statement showing, factory-wise, the total price of sugarcane purchased in 1968-69 by sugar mills and cane price in arrears as on the 15th February, 1969 and the arrears of cane price for 1967-68 and earlier seasons as on that date is laid on the Table of the Sabha. **[Pleaced in Library. See No 225/67]**

(c) The State Government have been asked from time to time to take stringent measures, including prosecutions, to ensure clearance of arrears of cane price by sugar factories in their States.

Rates for Purchase of Soyabean

1921. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Auriculture be pleased to state :

(a) whether Government have given any guarantee to purchase soyabean at certain minimum rates f om the farmers to boost its production; and

(b) if so, the minimum rate fixed therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of High-yielding Variety of Paddy Called 'Hamsa' to Uttar Pradesh Formers

1922, **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state when the U.P. farmers are likely to get he new high yielding and superior variety of paddy called 'Hamsa' evolved for the farmers of Andhra Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The veriety, "Hamsa" of paddy has so far been found suitable in certain areas of Andbra Pradesh only. Its performance in other State is currently being tested. It may take a year or more before the decision can be taken regarding its suitability outside Andbra Pradesh.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना

1923. **श्री स० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में टोकन जारी करने के लिये 57,000 आवेदन पत्र लम्बित है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले एक वर्ष से वह प्रार्थना में है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास अक्तूबर 1965 से लगभग 81,000 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से लगभग 45,000 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है ।

(ख) कुछ आवेदन 1-8-1966 से अनिर्णित पड़े हुए हैं ।

(ग) अधिक से अधिक आवेदनों का निपटारा करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । यह कार्य दुग्ध उपलब्धि पर निर्भर करता है । दूध की सप्लाई बढ़ाने के बारे में कदम उठाये गये हैं । अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि समस्त अनिर्णित आवेदनों पर दूध सप्लाई करने में कितना समय लगेगा ।

भूमि अर्जन जांच समिति

1924. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन के बारे में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । समिति अपनी रिपोर्ट 31-3-1969 तक प्रस्तुत करनी थी, किन्तु उसने 30-6-69 तक समय बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गुड़ में सेलखड़ी की मिलावट

1925. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ (उत्तर प्रदेश) में गुड़ के रसायनिक विश्लेषण से पता चला है कि निर्माता लोग गुड़ को ठोस रूप देने के लिये गन्ने के रस में बड़ी मात्रा में सेलखड़ी मिला रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुड़ में सेलखड़ी मिलाने से गुड़ खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य के लिये खतरा हो गया है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या; और

(घ) इस बुरी चीज को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न मण्डियों से लिये गये 13 नमूनों का विश्लेषण किया था और उससे पता चला कि गुड़ में सेलखड़ी की मिलावट नहीं की गई थी। मिलावट का गुड़ (सेलखड़ी की मिलावट का नहीं) बेचते हुए जो दो व्यक्ति पाए गये थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावट की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिये गुड़ के नमूनों के परीक्षण हेतु उनको नियमित रूप से इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिये निर्देश जारी किये हैं ।

फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए स्थायी तकनीकी समिति

1926. **श्री हेमराज. :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 5 दिसम्बर 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 555 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिये स्थापित स्थायी तकनीकी समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) स्थायी तकनीकी समिति आजकल फसलों की खेतों पर आने वाली लागत के अध्ययनों के लिये कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रही है और आशा है कि यथासमय इस विषय पर अपने सुझाव देगी ।

कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के पालनपुर 'कैम्पस' पर किया गया खर्च

1927. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की पालमपुर 'कैम्पस' के सम्बन्ध में किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अनुदान को कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के पालमपुर 'कैम्पस' के लिये 1967–68 और 1968–69 के वर्षों में 5·67 लाख रुपये की वित्तीय सहायता निम्नलिखित मदों के लिये मंजूर की गई है:—

क्रम संख्या	मद का नाम	मंजूर की गई राशि 1967-68	1968-69
		(रुपये लाखों में)	
1.	इमारतें	0·42	4·09
2.	साज-सामान	0·34	0·68
3.	पुस्तकें	0·14	—
	कुल	0·90	4·77

वन संसाधनों का पूर्व-नियोजन सर्वेक्षण

1928. **श्री हेम राज :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री, 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रों के विकास कार्यक्रम की सहायता से पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण करने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना नियतन किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वन साधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण नामक एक योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये योजना आयोग ने अनुमोदित कर दी है, जिस से कि वन साधन का निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना का कार्य जारी रहे जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिये 160 लाख रु० के नियतन का प्रस्ताव है ।

रेडियो आपरेटरों द्वारा विदेशों में दूरसंचार

1929. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अमेच्योर रेडियो आपरेटरों, जिनको "हैम्स' कहा जाता है, को विदेशों से दूरसंचार व्यवथा बनाने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार से इस प्रयोजन के हेतु कोई लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको काम करने देने की अनुमति देना ठीक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रलय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अव्यवसायी (अमेच्योर) रेडियो अनुज्ञप्तिधारी लोग विहित अव्यवसायी रेडियो पट्टी (अमेच्योर रेडियो बैंड) में भारत या विदेश स्थित अव्यवसायी रेडियो वालो से सम्पर्क कर सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सामान्यतया अव्यवसायी अनुज्ञप्तिधारियों (अमेच्योर लाइसेंसीज) के रेडियो-सम्पर्क वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान के लिये होते हैं। समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों (लाइसेन्सों) के नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो जांच-पड़ताल की जाती रहती है।

लक्कदीप द्वीपसमूह में कामदिलाऊ दफ्तर

1930. श्री प० मु० सईद :
श्री वीर भद्र सिंह :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीप द्वीपसमूह में काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने द्वीपसमूह में शिक्षित बेरोजगारी का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) रोजगार दफ्तर के शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

(ख) जी हां।

(ग) द्वीपसमूह में पच्चास से लगभग मैट्रिकुलेटस और ग्रेजुएट बेरोजगार हैं।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता।

पुनर्वास आवास निगम

1931. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास आवास निगम ने परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार कारखानों की स्थापना और उनमें उत्पादन तथा विकास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम की स्थापना करने के लिए कोई विदेशी सहयोग लिया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या है, सहयोग की शर्तें क्या हैं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) क्या इस समय निगम के सामने कुछ कठिनाइयां हैं; और यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें किस प्रकार दूर करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल, 1953 में ।

(ग) विदेशी सहयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ; निगम ने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, कीर्ति नगर में 150 एकड़ क्षेत्र भूमि का विकास किया था और उसे रिहायशी प्लाटों के रूप में मुख्यत: विस्थापित व्यक्तियों को बेच दिया था ।

(घ) जी, नहीं । चूंकि सारे प्लाट बेच दिये गये हैं इस लिए 12–7–1968 से निगम ने एच्छिक परिसमापन कर लिया है ।

गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1932. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगे हुए हैं और उनकी देखभाल पर कितनी धन-राशि खर्च की जाती है;

(ख) कितने केन्द्र ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा कितने केन्द्रों को नुकशान पहुंचाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में चोरी के कारण तथा रिसीवर का ठीक प्रकार से प्रयोग न करने के कारण कितनी हानि हुई है;

(घ) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की ठीक प्रकार से देखभाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उन अपराधियों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में टेलीफोन रिसीवर, टेलीफोन तार, डायल आदि चोरी करते हुए पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिं): (क) गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या 432 उनकी देखभाल पर होने वाले खर्च लगभग 5,000 रुपये प्रतिषष।

(ख) अहमदाबाद में लगभग 20 केन्द्रों को कुछ तो चोरी के कारण और कुछ उन्हें प्रयोग करने में असावधानी बरतने के कारण नुकसान पहुँचा है। छोटे स्थानों पर ऐसे केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) लगभग 1,500 रुपये प्रति वर्ष।

(घ) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की देखभाल के काम पर लगाये गये कर्मचारी उनका नियमित रूप से निरीक्षण करके खराबियां दूर करते हैं। चोरी के मामलों की पुलिस को रिपोर्ट की जाती है।

(ङ) पुलिस अभी इन मामलों की छानबीन कर रही है और अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

उड़ीसा में भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय

1933. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की सरकार को भूमि सम्बन्धी उपाय क्रियान्वित करने का कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1967 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि की नई नीति के सन्दर्भ में भूमि-सुधार सम्बन्धी मामलों पर जब विचार शुरू हुआ तो राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमि सुधार कार्यान्विति समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया विशेषतया पुनधिकार, पट्टों का रिकार्ड और खेती करने वाले पट्टेदारों को ऋण-सुविधायें प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के सम्बन्ध में जिसमें वे लोग कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में प्रभावशाली रूप में भाग ले सकें।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन सुझावों के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

क्रास-बार प्रणाली में प्रशिक्षित टेलीफोन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या

1934. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या सूचना तथा प्रसारण, और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक टेलीफन विभाग के कितने राजपत्रित अधिकारी क्रास-बार प्रणाली में प्रशिक्षित किये गये है;

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने अधिकारी वास्तव में क्रास-बार प्रणाली टेलीफोन सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) बहुत से प्रशिक्षित अधिकारियों को क्रास-बार टेलीफोन सम्बन्धी प्रणाली में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण थे यद्यपि उन्हें प्रशिक्षण देने पर काफी धन-राशि खर्च किया गया था ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	निदेशक	8
	मण्डल इंजीनियर	38
	सहायक मण्डल इंजीनियर	67
	सहायक इंजीनियर	163
(ख)	निदेशक	7
	मण्डल इंजीनियर	37
	सहायक मण्डल इंजीनियर	18
	सहायक इंजीनियर	70

(ग) क्रास-बार प्रशिक्षण कार्यक्रम को पेशगी बनाया गया था, चूंकि विभाग का भविष्य के मानक के रूप में क्रास-बार स्थानीय तथा ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों के संस्थापन का प्रस्ताव था। विभाग ने क्रास-बार एक्सचेंज स्थापित करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम बना रखा हैं और प्रति वर्ष लगभग एक लाख लाइनों की वृद्धि करने का विचार है जिसके लिए बहुत बड़ी तादाद में प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होगी। सभी अधिकारियों को क्रासबार तकनीकों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है चूंकि भविष्य में स्थापित किये जाते वाले अधिकांश स्वचालित एक्सचेंजों में क्रासबार उपस्कर प्रयोग में लाया जाएगा। इससे पदोन्नति इत्यादि पर स्थानान्तरण होने के कारण अधिकारियों को पदों पर नियुक्ति देने में सुलभता होगी। निकट भविष्य की मांग की तुलना में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या अभी इतनी अधिक नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यन्नों की वसूली

1935. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तावित अनाज खरीदने में असमर्थता प्रकट करने के मामले सामने आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शुद्ध घी के मूल्य

1936. **श्री ए० श्रीधरन :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों की तुलना इस वर्ष शुद्ध घी के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) देश में शुद्ध घी के मूल्यों को कम करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, देसी घी की थोक कीमतों का सूचकांक जो 1966 में 176·4 था, बढ़कर 1968 के दौरान 213·8 हो गया और प्रतिशत वृद्धि 21·2 प्रतिशत हुई है।

(ख) घी की कीमत दूध की कीमत से परस्पर सम्बन्धित है। दूध की कीमत का सूचकांक भी इस अवधि से बढ़कर 36·7 प्रतिशत हो गया है ।

(ग) विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में पग उठाये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय के उपरान्त दूध और उसके उपोत्पाद घी के मूल्यों में कमी की आशा है। मुख्यत: वे इस प्रकार हैं:—

1. पशु विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना
2. सघन पशु विकास परियोजना
3. संकरण योजना
4. गौशाला विकास योजना
5. दाना और चारा विकास योजना
6. समन्वित पशु प्रजनन कार्यक्रम

7. राज्य पशुधन फार्मों को विस्तृत करना और उन्हें सशक्त बनाना
8. बछड़ा पालन योजना
9. पशु-प्रदर्शन और दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता योजना
10. जंगली और आवारा पशुओं को पकड़ने की योजना।

नलकूपों का लगाया जाना

1937. **श्री ए० श्रीधरन :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 31 दिसम्बर, 1968 तक प्रत्येक राज्य में कितने नलकूप लगाये गये; और

(ख) सरकार द्वारा नलकूपों को चालू हालत में रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड

1938. **डा सुशीला नैयर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक निगम ने केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों से अलग अलग कितना ऋण ले रखा था; और

(ग) गत तीन वर्षों में इसके कार्य-संचालन के क्या परिणाम रहे हैं और सरकार को इसके कार्य में क्या अनियमितातायें मिली हैं और प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी निम्न थी:—

		निगम की स्थापना के समय	31 मार्च, 1968 को
		रु०	रु०
(i)	अधिकृत पूंजी एक सौ प्रति शेयर वाले 50,000 सामान्य शेयर	50 लाख	50 लाख
(ii)	प्रदत्त पूंजी— (25,000 रु० के सामान्य शेयर, प्रत्येक शेयर 25 रुपये)	6.25 लाख	6.25 लाख

(ख) कोई नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों में इसके कार्य संचालन के अन्तरिम परिणाम निम्न हैं:—

1966	53,524.00	रुपये	लाभ
1967	6,08,530.00	रुपये	हानि
1968	44,641.00	रुपये	लाभ

1967 में हुई हानि का यह कारण था कि निगम के लिए अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में बढ़े हुए मुआवजे के मूल्य के रूप में सरकार ने 6.33 लाख की मांग की थी।

निगम द्वारा आयकर अधिकारियों को, उनके द्वारा पहले किये गये, मूल्यांकन पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया है। चूंकि निगम की गतिविधियां अकेले उद्यम के रूप में हैं, इसलिए लाभ और हानि का अन्त में एक ही लेखा होगा।

निगम के कार्य संचालन की क्रियाविधि में किसी प्रकार की अनियमिततातें नहीं हुई थीं किन्तु इन वर्षों के अन्तर्गत कपट तथा गबन के निम्न मामलों का पता लगा है:-

भूतपूर्व लेखापाल द्वारा 37,177 रुपये का दुर्विनियोग किया गया पाया गया था जिसका ब्यौरा निम्न है:-

(i)	प्लाट होल्डर, श्री मदन लाल द्वारा निगम को भेजा गया ड्राफ्ट	1,524.00	रुपये
(ii)	श्री लालचन्द, लेनदार, के हक में दो बार चैक काटा गया	2,850.00	रुपये
(iii)	तीन चैक काटे गये किन्तु पुस्तकों के लेखे में नहीं दिये गये	10,000.00	रुपये
(iv)	पुस्तकों में बैंक में जमा दिखाई गई, किन्तु वास्तव में जमा नहीं की गई, राशि	365.00	रुपये

(v)	कार्यालय भवन के एक प्लाट की कपटपूर्ण बिक्री		11,000,00	रुपये
(vi)	लेन-दारों को लौटाई जाने वाली छोटी मोटी धन-राशि अपने हक में करवा लेना ।		11,467.00	रुपये
(vii)	विविध अनियमिततायें की गई कार्यवाही	(–)	29 00	रुपये
			37,177.00	रुपये

भूतपूर्व लेखापाल के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है । मामला न्यायालय में अनिर्णीत है ।

दिल्ली दुग्ध योजना को हानि

1939. **डा० सुशीला नैयर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना को, इसकी स्थापना के बाद से प्रति वर्ष अनियमितताओं, चोरियों और माल में कमी हो जाने के कारण कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) त्रुटियों का पता लगाने और कार्य संचालन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (रुपये)
1959–61	–
1961–62	–
1962–63	99,600.00
	714.75
1963–64	18,481.12
	1,822.50
	1,810.56
	640.00
1964–65	44,973.00
	499.95
	3,576.00
1965–66	11,000.00

	4,750.00
1966-67	–
1967 68	7,689.58
1968–69	4,570.00
कुल	2,00,127.46

(ख) जी, हां। प्रत्येक मामले की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। जहां पर उचित समझा गया है सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक उपायों के अतिरिक्त अनुशासनिक कार्यवाही भी की गई है।

(ख) भारत सरकार ने 1964 में इस योजना के काम का अध्ययन करने और सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी। दल द्वारा दिये गये अधिकतर सुझावों को लागू कर दिया गया है। योजना के कार्य-संचालन को सुधारने और त्रुटियों को दूर करने में दिल्ली गुग्ध योजना का प्रशासन निरन्तर प्रयत्नशील है।

गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड पंचाट के बारे में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन

1940. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री एस० एम० जोशी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री शशि भूषण :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड पंचाट पर विचार करने के सम्बन्ध में नियुक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो असामान्य विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) इसमें अनेक समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के अनेक वर्गों के मजूरी विन्यास का निर्धारण शामिल है। सरकार नहीं समझती कि इस मामले के निपटाने में कोई अपरिहार्य देरी हुई है।

बिजली मजूरी बोर्ड का पंचाट

1941. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली मजूरी बोर्ड द्वारा पंचाट में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकारों से सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख) : मजूरी बोर्ड ने अन्तिम सहायता मंजूर करने के लिए सिफारिशें की। इन सिफारिशों को सरकार ने सरकारी संकल्प संख्या डब्लु डी–15 (24) /67 दिनांक 20-6-1968 में उल्लिखित कुछ स्पष्टी-करणों/रूप भेदों के साथ स्वीकार किया। संकल्प की प्रतियों 25 जुलाई, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गई थी।

(ग) राज्य सरकारों से सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति करवाने के लिए प्रार्थना की गई है।

मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति

1942. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंचाट को क्रियान्वित कराने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) कुछ मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कराने में हाल ही में कठिनाइयों अनुभव की गई है।

(ख) इस समय मजूरी बोर्डों की सिफारिशों से कोई संविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है और उनकी क्रियान्विति अनुनय और परामर्श द्वारा कराई जाती है। मंजूरी बोर्डों की सारी प्रणाली का राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट की इस समय प्रतीक्षा की जा रही है।

Suspension of Employees in Factories in Bihar

1943. Shri Shiv Chandika Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many big factories of Bihar, employees are suspended without giving them chargesheet and that they are kept under suspension for months and in some cases for years and that they are not paid any wage or allowance as in the case of the employees of Tata Electric and Locomotive Company;

(b) if so, whether Government propose to enact a law to the effect that no employee of a factory is kept under suspension for more then 15 days and during suspension they are paid proper subsistance allowance so that the employers find it difficult to resort to this practice;

(c) whether it is also a fact that the employers suspend the workers when a criminal case is filed against them by the police and they are kept nnder suspension till the final vert verdict of the case is pronounced; and

(d) if so, whether Government propose to take steps for safeguarding the interest of workers from unnecessary harassment ?

The Minister of State in the Ministry of Lbbour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) The matter falls in the State sphere and the Government of Bihar have been addressed on the subject.

चौथी योजना में कृषि के लिये नियतन

1944. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री सु० कु० तापडिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिये राज्यवार कितनी धन राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार खाद्य उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति तथा खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत कुछ तैयार हो चुकी है। किन्तु कृषि के लिए किया गया नियतन एवं खाद्य उत्पादन लक्ष्य, योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही जाने जा सकते हैं।

(ग) 1966-67 से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, कृषि में विकास के लिए एक नयी नीति अपनाई गई है। नयी नीति के अन्तर्गत उठाए गये प्रमुख कदम ये हैं :–

अधिक उपज देने वाली फसलों में कार्यक्रम, सघन खेती के लिए बहुउद्देशीय फसल लघु सिचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों जैसे आदानों की आयोजित व्यवस्था, सामयिक तथा उदार ऋण सुविधायें, जिनमें संस्थानात्मक धन, किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल हैं, अनुसंधान का तीव्रीकरण। आगामी वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नों को और तीव्र किए जाने का प्रस्ताव है।

चावल का उत्पादन

1945. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री क० अनिरुद्धन :
श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के लिये नियत तथा सप्लाई की जाने वाली चावल की मात्रा बढ़ाने के बारे में सरकार विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में चावल उत्पादन के पक्के अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि यह आशा की जाती है कि 1968 में कुछ राज्यों में मौसम की स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद 1968-69 में चावल का उत्पादन 1967-68 के उत्पादन के बराबर हो सकता है।

(ख) और (ग) केरल को यथा सम्भव अधिक चावल देने के लिए प्रयत्न तो किए जाते रहेंगे लेकिन ऐसा दिखायी देता है कि चालू वर्ष में प्रतिमास लगभग 50 हजार मीटरी टन से अधिक चावल की सप्लाई बनाए रखना सम्भव नहीं होगा। कमी वाले राज्यों में वितरण हेतु केन्द्र के पास चावल की उपलब्धि के सम्बन्ध में स्थिति सुधरी नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण और भी खराब हो गयी है।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

1946. श्री भगवान दास : श्री वी० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या है जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्ति कर दिया है;

(ख) क्या इन कोयला खानों ने सिफारिशों को पूर्णतया क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक कोयला खान द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आज़ाद) : (क) से (ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति एक सतत प्रक्रिया है। लगभग 750 कोयला खानें इन सिफारिशों के अन्तर्गत आती है। जिन कोयला-खानों ने सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया है उनकी पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध नहीं है।

फास्फेट उर्वरकों का आयात

1947. श्री एस० नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि फास्फेट उर्वरकों की 6 लाख टन उपलब्धता को देखते हुए 1968-69 में इसका 5 लाख टन उपयोग किये जाने की नीति से इन उर्वरकों का भंडार आवश्यकता से अधिक हो जायेगा और इसकी किस्म में गिरावट आ जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो सभी राज्यों मे अनुपाततः किस प्रकार इसका वितरण किया गया है ; और

(ग) इनके पत्तनों पर पहुंचने से लेकर अब तक वितरण में कितना समय लगा है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) प2 ओ5 की उपलब्धि और उनके आयातों के विषय में स्थिति निम्न प्रकार है :–

	मीट्री टन प2 ओ5
1. 1-4-68 को अवाशिष्ट	294,000
2. देशी उत्पादन, अप्रैल-दिसम्बर, 1968	156 000
3. आयात (अप्रैल-दिसम्बर, 1968)	136 000
1968-69 में खपत के लिये कुल उपलब्धि	**586,000**

इस उपलब्धि के विरुद्ध वर्ष के लिये खपत का लक्ष्य 650,000 मीट्री टन प2 ओ5 का है। फास्फेटिक उर्वरकों की खपत का अनुमान अभी राज्यों से आना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आयात और देशी साधनों से उपलब्धि खपत के लक्ष्य मे परस्पर रूप से सुसंबंधित है और इस लिये ओवर स्टोकिंग और गुण में हास का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) जहां तक फास्फेटिक उर्वरकों का सम्बन्ध है केन्द्रीय उर्वरक पूल केवल आयातित मिश्रित उर्वरकों या जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही शामिल हैं। वितरण करता है। राज्यों के लिए उनकी मांगों को ध्यान में रख कर विनियोजन किया जा रहा है जो कृषि उत्पादन, संतुलित उर्वरीकरण के लिये मांग और देश में प्राप्त होने वाली मात्राओं के लक्ष्यों के संदर्भ में उल्लिखित है।

(ग) राज्यों के लिये आयातित उर्वरकों के विनियोजन जहाजों के आगमनों से पहले ही किये जा रहे है। प्रेषण की ब्यौरापूर्ण हिदायतें साधारणत जहाजों के आगमन से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है और जैसे ही माल जहजों से उतार लिया जाता है रेलगाड़ी में रवाना कर दिया जाता है। थोड़ी मात्रायें जो रेलवे प्रचालन मुश्किलातों के कारण इस प्रकार रवाना नहीं की जा सकतीं, गोदामों में रख दी जाती है और बाद में प्रेषित कर दी जाती है।

आयातित उर्वरकों का संग्रह तथा उनका खराब हो जाना

948. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भांडागारण संग्रह करने एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण आयातित उर्वरक बडी मात्रा में जमा हो गये है और खराब हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भंडारण और परिवहन सुविधाओं के अभाव में आयातित उर्वरक बड़ी मात्रा में न तो खराब हुए है और न ही जमा हुए हैं। आयातित उर्वरकों के भंडारन के लिये और उन्हें शीघ्र खपत करने वाले क्षेत्रों में भेजने के लिये काफी कदम उठाये गये है। फिर भी कुछ खराब मण्डार है और वह बुहारने और बिखरने में होता है जो कि उर्वरकों के इतने बड़े पैमाने पर आयात करने में आवश्यसम्भावी है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

Kaushalyapuri Looting Case

1949. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 4462 on the 13th December, 1968 and state :

(a) the reasons for not taking action by U. P. Government against guilty officers in the kaushlyapuri looting case;

(b) the reasons for non-interference by the Central Government in such serious matters;

(c) the responsibility of the Central Government in such matters during the President's rule;

(d) whether Central Government propose to take some action if it is proved that State Government are providing undue protection to the guilty officers;

(e) the reasons for not accepting the judicial evidence and not taking the evidence of persons on the spot; and

(f) the purpose of Government in presenting new evidence and where and how it will be presented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Corporation (Shri M. S. Gurupadswamy) : (a) According to the Government of U, P, there was no case as kaushalyapuri looting case. The facts about the kaushalyapuri case have already been conveyed to the Lok Sabha in reply to part (a) of Unstarred Question No. 1874 put down for a reply in the Lok Sabha on 6.3.1969.

(b) and (c) In view of reply to part (a) above, these do not arise.

(d) This is a hypothetical question and does not arise.

(e) The Government of U, P. have considered this carefully. No further enquiry is considered necessary.

(f) Does not arise,

ग्राम विकास कार्यक्रम

1950. **श्री शशि भूषण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विकास कार्यक्रम को जिसका योजना आयोग ने अत्यधिक प्रचार किया था, अब समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के बारे में क्या वैकल्पिक सुझाव सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई ग्राम संकार्य/जनशक्ति कार्यक्रम नहीं रखा जाना है जिसके लिए केन्द्र द्वारा अलग से धन दिया जाएगा। आशा है कि जिले के समन्वित विकास कार्यक्रम सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे। तथापि, राज्य सरकारों को इस बात की छूट होगी कि यदि वे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों तथा दीर्घकालिक बेरोजगारी तथा आंशिक रोजगारी से प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम संकार्य कार्यक्रम आरम्भ करना चाहे तो वे इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में ले सकती है और उसकी लागत को समूचे राज्य योजना परिव्यय में से पूरा कर सकती है।

Import of Tractors from Russia.

1951. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bhola Nath Master :

will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any agreement has been concluded between the Government of India and USSR in the month of December, 1968 for the supply of tractors to India by Russia:

(b) if so, the number of tractors to be supplied to India by USSR for the development of agriculture during 1969-70 and the total cost thereof which wouldbe paid by India in this regard and in what form; and

(c) the basis of distribution of these tractors in various part of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Corporation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) An agreement for the import of 6,500 nos, of tractors from Russia has been concluded between the State Trading Corporation of India and V/O Tractor export Moscow on the 18th December, 1968. The shipment of these tractors is to be completed during the year 1969. The payment amounting to Rs 4.27 crores for these tractors will be effected in accordance with the protocol signed between the Govt. of India and the Govt. of USSR on deferred payment

terms for a period of eight years with interest at 3% p. a. on outstanding balabces. The payment for the goods will be made in the following manner :-

(i) 7½% of the total value viz. about Rs. 32 lakhs shall be paid in Indian rupees within 30 days from the date of conclusion of the contract.

(ii) 7½% of the total contract value viz. amount Rs. 32 lakhs shall be paid in Indian rupees upon presentation of shipping documents.

(iii) The remaining 85% of the total value of the contract viz. about Rs. 3. 63 crores with interest at -% p. a. to be paid in Indian rupees every 6 months in 16 equal consecutive instalments.

(c) The distribution of these tractors is made after taking into consideration the following aspects :-

(i) relative demands registered by State Agro Industrial Corporation, State Governments, Union Territories, etc.,

(ii) acreage of high yielding varieties in the respective States, Union Territories, etc.,

(iii) existing population of tractors in the States, Union Territories and

(iv) tractors already allotted to them.

Smuggling of Wheat from U. P. to Delhi

1952. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 500 bags of wheat being smuggled from Uttar Pradesh to Delhi were seized by the police in the month of January, 1969;

(b) whether it is also a fact that the smugglers had fired on the police party in self defence; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the actoin taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Devd. Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 221 bags of wheat were intercepted at Hindon check-post, Meerut District.

(b) No, Sir.

(c) Two persons were arrested. Cases under Essential Commodities Act are under investigation.

Reward to loyal Employees during Token strike

1953. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that such of the class III and class IV employees of the Posts and Telegraphs Department as did not participate in one days token strike declared by the Central Government Employees Fedration on the 19th September, 1968 have been rewarded for their faithfulness to Government;

(b) the total number of such class III and class IV employees rewarded on this account and the minimum and maximum limit of the reward; and

(c) the total number of the reward distributed among the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Government have authrised the Director General, Posts and Telegraphs to sanction monetary awards on a selective basis to the employees of the P&T Department who remained at their posts of duty loyally during the strike on 19-9-68 in circumstances of risk to their personal safety.

(b) and (c) The matter is under consideration of the D. G. P&T.

आधुनिक बूचड़खाने का निर्माण

1954. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या प्रस्तावित बूचड़खाने में इस प्रयोजन के लिये नवीनतम वैज्ञानिक व्यवस्था होगी; और

(घ) इस समय ईदगाह बूचड़खाने में जो उपोत्पाद नष्ट हो रहे हैं, उनको प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के सभी पहलुओं की भली प्रकार जांच किये जाने के बाद, दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आधुनिक वधशाला के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) नयी वधशाला की योजना में उपोत्पादों के उपयोग करने के लिये भी व्यवस्था की जायेगी। दिल्ली विकास अधिकरण को आशा है कि इन उपोत्पादों के उपयोग करने के लिये सहायक व्यापारों की स्थापना की जा सकेगी।

चीनी का निर्यात

1955. **श्री अङ्गाकर सूपकार :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को चीनी का निर्यात चालू वर्ष में बढ़ जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी का निर्यात किया जाएगा तथा किस दर पर किया जाएगा; और

(ग) 1969 में कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात की मात्रा यू० एस० शुगर ऐक्ट के अधीन भारत को आवटित कुल कोटे पर निर्भर करेगी। फिलहाल आवटित कोटा 66,101 मीटरी टन है लेकिन आशा है कि इस वर्ष के अंत तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। चीनी की बिक्री का मूल्य निर्धारण आधार पर की गई थी जो कि एक निर्धारित अवधि में न्यूयार्क काफी तथा शुगर एक्सचेंज इंक के कान्टैक्ट नं० 10 की "स्टाप कोटेशंस" के अनुसार निर्धारित की जाती है। नवम्बर, 1969 में मूल्य निर्धारण अवधि की समाप्ति पर मूल्य का पता लग जाएगा।

(ग) 1969 में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता ने अब तक 91.5 हजार मीटरी टन चीनी निर्यात करने के लिए ठेका किया है।

माधवपुर सार्वजनिक टेलीफोन को मधुबनी से मिलाना

1956. श्री भोगेन्द्र झा. क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 21 नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधवपुर सार्वजनिक टेलीफोन को सीतामढ़ी की बजाय बेनीपट्टी के रास्ते मधुबनी में अधिक लाभप्रद रूप से मिलाया जा सकता है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या लूकाहा तथा बावेस बराही में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के प्रस्ताव पर, उनके नेपाल की सीमा तथा कुण्डा नदी के किनारे होने की दृष्टि से इस बीच अग्रेतर विचार किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। मौजूदा तार लाइन और खंभों पर माधवपुर को सीतामढ़ी से मिलाना अधिक लाभप्रद हैं। मधुबनी से मिलाने के लिए नए खंभे इत्यादि लगाने और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) योजनाओं का सर्वेक्षण कर लिया गया है और प्रस्तावों की वित्तीय दृष्टि से जांच करने पर पता चला है कि योजनाएं लाभकारी नहीं होगी और इससे विभाग को हानि होगी। फिर भी प्रस्तावों की अग्रेतर जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल

1957. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कितने अध्ययन दल नियुक्त किये गये थे;

(ख) ये अध्ययन दल किस प्रयोजन से नियुक्त किये गये थे;

(ग) इनमें से कितने अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(घ) क्या उनमें से किसी प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आज़ाद) : (क) अड़तीस, जिनमें से एक को बाद में मंग कर दिया गया।

(ख) श्रम विधान, श्रमिकों की दशाओं और श्रम कल्याण जैसे श्रम सम्बन्धी विभिन्न मामलों का अध्ययन करने और उन पर आयोग के विचारार्थ मत व्यक्त करने के लिए।

(ग) 36 अध्ययन दलों समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) ये रिपोर्टें सरकार को नहीं बल्कि राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्टों में व्यक्त मतों पर आयोग ने विचार करना है सरकार इस समय इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेंगे।

हिसार में केन्द्रीय भेड़ तथा बीज फार्म

1958. श्री म० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिसार (हरियाणा) में केन्द्रीय भेड़ तथा बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):(क और(ख): खाद्य और कृषि मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से हिसार में 15,000 एकड़ का क्षेत्र पट्टे पर लिया है। इसमें से 8,000 एकड़ भूमि का प्रयोग एक केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने के लिये और 7,000 एकड़ का प्रयोग एक केन्द्रीय भेड़ फार्म स्थापित करने के लिये किया जायेगा। ये दोनों फार्म स्वतन्त्र प्रशासकीय एककों के रूप में कार्य करेंगे। 11,000 एकड़ के क्षेत्र का कब्जा पहले ही ले लिया गया है और अगस्त, 1968 से केन्द्रीय राजकीय फार्म ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। भेड़ फार्म की स्थापना अविलम्ब ही होगी।

केन्द्रीय राज्य फार्म का मुख्य उद्देश्य अच्छा बीज तैयार करना है। चालू रबी के दौरान 740 एकड़ का क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। रूस सरकार इस फार्म के लिये 31 लाख रूपये की लागत की मशीनरी मुफ्त प्रदान करेगी उसमें से कुछ मशीनरी पहले ही आ चुकी है।

भेड़ फार्म आस्ट्रेलिया की सहायता से स्थापित किया जायेगा। आस्ट्रेलिया सरकार 5,000 भेड़ और कोरीडेल नस्ल के 110 मेढ़े और कुछ सामग्री एवं 3 विशेषज्ञ प्रदान करेगी। 7 वर्ष की अवधि में दी जाने वाली आस्ट्रेलिया सहायता लगभग 81.60 लाख रूपये होगी। जब फार्म पूर्णतया विकसित हो जायगा तो इसमें लगभग 12,000 भेड़े होंगी।

आशा है राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों को उनके विकास कार्यक्रमों के लिये वितरण करने के लिये यह फार्म प्रतिवर्ष 3,000 मेड़े और भेड़ें मुहैय्या करेगा।

Pyrotene Tex India Ltd., Bombay

1959. Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of workers in M/s Pyrotene Tex India Limited, Bombay and the amount of Provident Fund deposited by this firm during the last five years and the number of workers in respect of whom it has been done ;

(b) the number of times bonus has been paid to the employees ; and

(c) whether it is also a fact that more amount has been shown on papers while actually less amount was paid ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government of India. The Employees' Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily available with it.

(b) and (c) The appropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

M/s. New Kaisar-E-Hind Mills Ltd., Bombay

1960. Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of workers employed in M/s. New Kaisar-E-Hind Mills Limited, Bombay and the number of employees in respect of whom Provident Fund was deposited by the Mills during the last ten years as also the amount thereof ;

(b) the number of times bonus was paid to employees by the Mill ; and

(c) whether it is a fact that inflated figures of payment of wages have been shown on papers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) : The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government of India. The Employees' Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily available with it.

(b) and (c) : The appropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

M/s. Moon Corporation (P) Ltd., Hargaon

1961. Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of workers employed in M/s Moon Corporation (P) Ltd., Hargaon and the number of employees in respect of whom Provident Fund was deposited by the company during the last five years as also the amount thereof ;

(b) the number of times bonus was paid to employees by the corporation ; and

(c) whether it is a fact that inflated figures of payment of wages have been shown on papers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) : The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government of India. The Employees Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily available with it.

(b) and (c) The appropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

M/s. Avadh Sugar Mills Ltd., Bombay

1962. Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of workers employed in M/s Avadh Sugar Mills Ltd. Bombay and the number of employees in respect of whom provident fund was deducted by the Mills during the last five years as also the amount thereof ;

(b) the number of times bonus was paid to employees by the Mills ; and

(c) whether it is a fact that inflated figures of payment of wages have been shown on papers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The administration of the provident funds of the employees,

of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India The information is not available with the Government of India. The Employees' Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily avallable with it.

(b) and (c) : The apropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

Messrs Voltas Limited, Bombay

1963. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the uumber of employees working in M/s Voltas Limited, Bombay and the number of employees from whose salaries Provident Fund has been deducted by the Company and the amount so deducted during the last five years ;

(b) the number of times bonus has been given to the employees ; and

(c) whether it is a fact that payment of wages shown on papers is much more than the wages paid actually ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government of India. The Employees' Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily available with it.

(b) and (c): The appropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

M/s Scindia Steam Navigation Company Ltd., Bombay

1964. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of workers employed in M/s Scindia Steam Navigation Company Ltd., Bombay and the number of employees in respect of whom Provident Fund was deposited by the company during the last five years as also the amount thereof ;

(b) the number of times bonus was paid to employees by the company ; and

(c) whether it is a fact that inflated figures of payment of wages have been shown on papers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government

of India. The Employees' Provident Fund Organisation has reported that the required information is not readily available with it.

(b) and (c) : The appropriate Government concerned with the payment of bonus and the payment of wages in respect of this undertaking is the State Government. The Central Government has no information on these points.

Post Offices in Pauri Garhwal

1965. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in the Pauri-Garhwal District of U. P. ; and

(b) the number of Post Offices out of them proposed to be upgraded to sub-post offices during 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 237 as below :-

Head Post Office.....1
Departmental Sub Post Offices.....38
Extra departmental sub post offices.....1
Extra departmental Branch Post Offices.....197

(b) Two extra departmental-post offices are proposed to be upgraded during 1969.

पालिथीन के थैलों में दूध की सप्लाई

1966. **श्री क० लकप्पा :**
श्री समर गुह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को पालिथीन के थैलों में दूध सप्लाई करने के प्रस्ताव पर विचार किया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस बारे में परीक्षण करने के लिये अनुसन्धान सुविधायें उपलब्ध करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस प्रकार के थैलों के प्रयोग की सम्भावनाओं तथा आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में अपनी परिस्थितियों के अन्तर्गत जांच की जा रही है ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर अनुसन्धान कार्य के लिए "प्रीपैक मैचेट फिलिंग मशीन" का आयात कर रहा है । जैसे जैसे प्रस्ताव का विकास होगा, ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

टेलीफोन के बिलों के भुगतान की रसीद

1967. श्री क० लकप्पा :

श्री समर गुह :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन के बिलों के भुगतान और उसके लिये टेलीफोन अधिकारियों से रसीद प्राप्त करने के विषय में टेलीफोन ग्राहकों में बड़ी परेशानी है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन ग्राहकों द्वारा टेलीफोन अधिकारियों के भुगतान की गयी राशि के लिये रसीद देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सुचारू रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। हर भुगतान के लिए नियम के अनुसार रसीद दे कर प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विजयवाड़ा के न्यायालय ने रखे टेलीफोन विभाग के तांबे के तारों तथा अन्य वस्तुओं का नीलाम

1968. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग के कुछ तांबे के तार तथा अन्य वस्तुएं विजयवाड़ा के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गत दो वर्षों से पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इन वस्तुओं को ले जाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश राज्य के डाक तथा तार विभाग को बहुत से स्मृति पत्र भेजे गये थे ;

(ग) क्या उन वस्तुओं का नीलाम नवम्बर, 1968 में तब किया गया जब दो वर्षों के बाद तथा बहुत से स्मृति पत्र भेजने के बाद भी टेलीफोन विभाग ने वे वस्तुएं वहां से नहीं उठाई थीं ; और

(घ) इस लापरवाही के क्या कारण हैं और 1968-69 के दौरान समस्त भारत में डाक तथा तार विभाग को नीलाम की गई सम्पति का विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसको सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

देवरिया जिले में किराये के भवनों में डाकघर

1969. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में इस समय कितने डाकघर सरकारी भवनों के अभाव में किराये के मकानों में चल रहे हैं ; और

(ख) उन पर प्रति वर्ष किराये के रूप में कितनी राशि व्यय होती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देवरिया जिले में 33 डाकघर

बलिया जिले में 35 डाकघर

(विभागातिरिक्त डाकघर जहां स्वयं शाखा पोस्टमास्टर से स्थान की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है, शामिल नहीं किये गये हैं)

(ख) देवरिया जिले के डाकघरों के संबंध में वार्षिक किराये की राशि 15000 रूपये तथा बलिया जिले के डाकघरों के संबंध में 15,586 रूपये ।

रबी की फसल का अनुमान

1970. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबी की फसलों का कुल कितना अनुमान है ;

(ख) राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में यह फसल पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से खराब हो गई है ; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में अभाव की स्थिति पहले ही बनी हुई है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रबी की फसलों के उत्पादन के निश्चित अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर कहीं जुलाई-अगस्त 1969 में उपलब्ध होंगे ।

(ख) जिन क्षेत्रों में ये फसलें पूर्ण व आंशिक रूप से खराब रही हैं उनका पूर्ण विवरण एकत्र किया जा रहा है और एकत्र होने के उपरान्त सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) देश के भागों में पड़े सूखे की परिस्थितियों के सन्दर्भ में 26 फरवरी, 1969 को सभा पटल एर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

1971. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को 1966-67 और 1967-68 और 1968-69 में अब तक कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किये गये है ;

(ख) राज्य को उर्वरक किस मूल्य पर दिये गये और किसानों को इन्हें किस मूल्य पर दिया गया ;

(ग) क्या उर्वरक के वितरण करने वाली सहकार एजेन्सियों ने सप्लाई करने वालों को भुगतान नहीं किया ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या स्थिति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय उर्वरक पूल से 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित किस्मों के उर्वरक सप्लाई किये गये :-

(मीटरी टनों में आंकड़े)

उर्वरक की किस्म	1966-67	1967-68	1968-69 (जनवरी 1969 के अन्त तक)
1	2	3	4
सल्फेट आफ अमोनिया	151,613	142,062	326,706
यूरिया	55,290	201,466	235,685
अमोनिया सल्फेट नाईट्रेट	16,551	22,502	13,626
कैल्सीयम अमोनिया नाईट्रेट	88,250	29,392	72,390
डी-अमोनिया फास्फेट	43,969	91,641	103,801
अमोनियम फास्फेट	17,850	20,343	15,920
अमोनियम क्लोराईड	—	2,671	35,028
सल्फेट आफ पोटाश	—	2 265	3,343
एन० पी० के०	—	11,915	15 972
मूरीएट आफ पोटाश	—	29,616	32,849
अमोनिया नाईट्रो-फास्फेट	—	—	25,872

(ख) इन वर्षों में जिन मूल्यों पर यह उर्वरक राज्य सरकार और कृषकों को सप्लाई किये गये वे नीचे दिये गये हैं :—

(प्रति मीटरी टन मूल्य)

उर्वरक की किस्म	1966--67		1967--68		1968--69	
	राज्य के लिये	कृषकों के लिये	राज्य के लिये	कृषकों के लिये	राज्य के लिये	कृषकों के लिये
1	2	3	4	5	6	7
सल्फेट आफ अमोनिया	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०
50 किलोग्राम के लिये	366	416	448	503	458	513
100 " " "	355	405	437	492	447	502

1	2	3	4	5	6	7
यूरिया	610	680	760	840	780	860
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट	455	515	515	577	515	577
कैल्सीयम अमोनियम						
20.5 प्रतिशत ग्रेड के लिये	335	385	385	437	385	437
25 प्रतिशत ग्रेड के लिये	—	—	455	510	455	510
			(20-8-67 से)			
डी-अमोनियम फास्फेट	750	830	1000	1095	1000	1095
	(29-4-66 से)					
अमोनियम फास्फेट	590	660	738	818	738	818
अमोनियम क्लोराईड	400	455	450	505	450	505
सल्फेट आफ पोटाश	—	—	585	655	585	655
	—	—	(27-5-67 से)			
एन० पी० के० (14-14-14-)			700	775	700	775
(15-15-15)-			760	840	760	840
		(2-2-68 से)				
मूरियेट आफ पोटाश						
(61 प्रतिशत ग्रेड के लिये	—	—	405	440	445	485
		(10-10-67 से)				
(40 प्रतिशत ग्रेड के लिये)-	—	—	270	300	270	300
		(12-3-68 से)				
अमोनियम निट्रो-फास्फेट	—	—	—	—	738	818
					(1-5-68 से)	

(ग) और (घ) : सम्बन्ध रखने वाली सहकारी एजेन्सियां पूल उर्वरकों की सप्लाई के बारे में सप्लायरों को कोई भुगतान नहीं करना । प्रारम्भ में भारत सरकार सप्लाई करने वालों को भुगतान करती है और बाद में वेतन तथा लेखा अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार के नाम रकम डेविड कर दी जाती है । जिन्हें राज्य के महालेखापाल समंजन करते हैं । राज्य सरकार और सहकारी एजेन्सियों के बीच हुए समझोतों के अनुसार सहकारी एजेन्सियों को प्राप्त किये उर्वरकों के लिये राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ता है ।

उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाना

1972. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने की एक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और 1969-70 में नलकूप लगाने के लिये कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) किसानों को अपने नलकूप लगाने के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में दो लाख गैर-सरकारी नलकूपों के खुदवान और 2,400 सरकारी नलकूपों के बनवाने की व्यवस्था की है जिन की क्षमता निम्न रूप से होगी :–

क्षमता	प्रस्तावित संख्या
(1) 1.5 क्यूसेक	1,400
(2) 3 ,,	600
(3) 5 ,,	400

राज्य सरकार ने 1969–70 में 22.50 करोड़ रूपये की धनराशि लघु सिंचाई कार्यक्रमों (जिनमें नलकूप खुदवाना भी सम्मिलित है) के लिए प्रस्तावित की है ।

(ग) किसानों को संस्थागत एजेंसीज यथा भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्तीय निगम, केन्द्रीय सहकारिता बैंक इत्यादि से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा और ऋण की राशि 6,000 रूपये से 10 000 रूपये तक रहेगी जो कि नलकूपों के आधार पर निर्भर करेगी ।

चीनी का निर्यात

1974. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61 से 1968–69 तक वर्षवार (1) अमरीका और (2) अन्य देशों को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया ; और

(ख) 1960–61 से 1968–69 तक प्रतिवर्ष सरकार ने चीनी मिल मालिकों को चीनी के निर्यात पर राज-सहायता के रूप में कितनी राशि दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) निर्यात के लिए चीनी का विक्रय पचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है । वर्ष 1961 से संयुक्त राज्य अमेरिका को तथा अन्य देशों को चीनी की जितनी मात्रा निर्यात की गई थी तथा जितनी जहाज पर चट्टे लगाने तक निशुल्क प्राप्ति हुई थी उसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

	संयुक्त राज्य अमेरिका		अन्य देश	
वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	जहाज पर चट्टे लगाने तक नि: शुल्क प्राप्ति (करोड़ रू० में)	मात्रा (लाख मीटरी टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक नि:शुल्क प्राप्ति (करोड़ रू० में)
1	2	3	4	5
1961	1.48	7.98	1.20	4.82
1962	1.28	5.93	2.45	8.38
1963	1.05	6 49	3.74	25.42
1964	0.99	7.05	1.35	11.71
1965	0.92	5.31	1.75	5.70
1966	0.65	4.85	3.76	12.34
1967	0.66	6,75?	1.51	7.17
1968	0.73	7 81?	0 26	2.18

? :–अनुमानित

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित राजसहायता दी थी :

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रूपयों में)
1960 61	शून्य
1961–62	5.50
1962–63	14.20
1963–64	3 42
1964–65	2.10
1965–66	17.50
1966–67	20.00
1967–68	7.46) पिछले वर्षों
1968-69	0.06?) के लिए।

? अनुमानित

उड़ीसा से समाचार-सामग्री का रोका जाना

1975. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 20 फरवरी 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह समाचार सामग्री केन्द्र तथा राज्य के किस अधिनियम के अन्तर्गत रोकी गई थी तथा वे किन कारणों पर रोकी गई थीं ;

(ख) क्या पाबन्दी का आदेश स्थानीय समाचारपत्रों पर भी लागू था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि इस आदेश से समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का हनन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो यदि सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इन तारों को भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) के अंतर्गत सार्वजनिक हित में जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से रोका गया था ।

(ख) जी नहीं । डाक-तार विभाग का संबंध केवल तार भेजने से है ।

(ग) जी हां । इसके फलस्वरूप समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जिसके लिए खेद है ।

(घ) नगर में कर्फ्यू लगे होने और तनाव के कारण तारघर के कार्यभारी अधिकारी ने इसे आपात स्थिति माना । उन्हें इन तारों की सामग्री के आपत्तिजनक होने का संदेह था और इसलिए उन्होंने इस ओर जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान दिलाया । अधिकारी की इस मामले में पहल करने की कार्यवाई उनके समझने में गलती के कारण हुई है जिसके लिए उन्हें उचित चेतावनी दे दी गई है । सभी संबंधित व्यक्तियों से तार भेजने पर पाबंदी लगाने संबंधी तार नियमों में विहित कार्यविधियों पर कड़ाई से अमल करने के लिए कहा जा रहा है ।

उद्योग में मंदी आने से कर्मचारियों पर प्रभाव

1976. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 से 1968-69 तक प्रत्येक राज्य में मंदी के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कितने-कितने औद्योगिक तथा अन्य सार्थों पर प्रभाव पड़ा ;

(ख) 1963-64 से 1968-69 तक प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष इसका कितने मजदूरों और कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा ;

(ग) प्रत्येक राज्य में मंदी के कारण अभी भी कितने सार्थ बन्द पड़े हैं ; और

(घ) इसी कारण से अभी भी प्रत्येक राज्य में कितने मजदूर तथा कर्मचारी बेकार हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल, केरल और जम्मू तथा काश्मीर को खाद्यानों की सप्लाई

1977. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, से दिसम्बर, 1967 और जनवरी 1967 से दिसम्बर, 1968 तक केन्द्रीय स्टाक से पश्चिमी बंगाल, केरल और जम्मू तथा काश्मीर को महीने-वार कितना-कितना अनाज सप्लाई किया गया ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 226/69]

कोयला खानों का बन्द होना

1978 **श्री भगवान दास** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी कोयला खानों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जो इस समय काम नहीं कर रही हैं ;

(ख) प्रत्येक कोयला खान के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो गये ;

(ग) प्रत्येक मामले में कोयला खानों के बन्द होने का क्या कारण था ;

(घ) क्या सरकार इन बन्द कोयला खानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उन्हें जनहित में चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ङ) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 227/69]

Honorarium to Teachers for Preparation of Ration Cards in Delhi

1979. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item that honorarium amounting to Rs. 2 lakhs for preparing ration cards three years ago has not been paid to the 4,000 teachers of Delhi so far ;

(b) if so, whether any letter on the subject has since been received by him ;

(c) if so, the reasons for so much delay in the payment; and

(d) the time by which the payment is to be made to the teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : The subject has been under correspondence between the Delhi Administration and the local bodies since January, 1967.

(c) The delay was due to the inability of the local bodies to supply relevant data to the Delhi Administration regarding number of cards written by each teacher.

(d) Delhi Administration has already disbursed a total amount of Rs.61,545 96 arrived @12 Paise per card to the local bodies for further distribution amongst teachers.

उड़ीसा में उर्वरकों का वितरण

1980. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने किसानों में एमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों के वितरण के लिये इस समय क्या व्यवस्था की है ;

(ख) क्या रूरकेला उर्वरक कारखाने को उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में अपने उत्पादों के वितरण हेतु अपना व्यापार एजेन्ट नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी गयी ;

(ग) उड़ीसा क्षेत्र में उर्वरक की बिक्री के लिये कौनसा उर्वरक कारखाना है ;

(घ) दिसम्बर, 1968 से फरवरी, 1969 की अवधि में रूरकेला उर्वरक कारखाने के पास कितनी मात्रा में बिना बिका उर्वरक पड़ा रहा ; और

(ङ) क्या मद्रास स्थित एक गैर-सरकारी उर्वरक कारखाने की उड़ीसा में निजी एजेन्टों द्वारा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई थी, जबकि रूरकेला कारखाने के मार्ग में राज्य सरकार के अधिकारियों ने कठिनाइयां खड़ी कर दी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) से (ङ) : उड़ीसा राज्य से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में दूर संचार और टेलेक्स व्यवस्था का विकास

1981. **श्री मगलाथुमाडोम** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विभिन्न वाणिज्यक मंडलों ने केरल राज्य में टेलेक्स और दूरसंचार व्यवस्था के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या केरल में मुख्य टेलेक्स केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केरल राज्य में मौजूदा स्वचालित एक्सचेंजों का प्रसार भविष्य में टेलिफोन कनेक्शनों की बढ़ोतरी की संभावना के आधार पर किया जा रहा है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अल्लेपी, कोचीन, कोट्टायम, कोजीकोड, विवलन और त्रिवेन्द्रम स्थित एक्सचेंजों की क्षमता में बढ़ोत्तरी क्रमश: 1200, 3600, 2000, 5100, 2100, 3400, से 1700, 4500, 2600, 7100, 3600 और 6600 में की जाती है । इसके अतिरिक्त एर्णाकुलम् और तेलीचेरी स्थित सेंट्रल बेटरी एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंज़ों में बदलना है ।

जहां तक टेलेक्स प्रणाली का संबंध है, 18 मार्च, 1968 को एर्णाकुलम् में एक 100 लाइन एक्सचेंज चालू किया गया था और भविष्य की मांग की पूर्ति के लिए इस एक्सचेंज की क्षमता 200 लाइनों में बढ़ाई जा रही है।

(ग) टेलेक्स प्रणाली एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली होने कारण, इससे जुड़े हुए प्रत्येक एक्सचेंज को मुख्य एक्सचेंज माना जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 100 लाइन एक्सचेंज जो एर्णाकुलम् में काम कर रहा है, के अलावा त्रिवेन्द्रम् में एक 50 लाइन टेलेक्स खोलने का प्रस्ताव है और इस एक्सचेंज के 1970 के दौरान किसी समय चालू किये जाने की संभावना है।

केरल क्षेत्र में मत्स्य केन्द्र

1982. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने केरल क्षेत्र में केन्द्रीय मत्स्य केन्द्रों के विकास करने सम्बन्धी कोई सुझाव दिया है ; और

(ख) केरल राज्य और तटवर्ती क्षेत्र की जटिल खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मत्स्य केन्द्र में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) ; केरल में केन्द्रीय मात्स्यकी केन्द्र के विकास के लिए किसी भी मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) केरल में केन्द्रीय संस्थान जिनमें मछली पकड़ने वाले जहाज कार्य करते हैं, वे भारत–नोर्वे परियोजना, तथा केन्द्रीय गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले संगठन की एक यूनिट है। ये संस्थान, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण प्रयोगात्मक मछली पकड़ने तथा प्रदर्शन का कार्य करते हैं। दोनों संस्थानों को उनकी गतिविधियों को बढ़ाने में समर्थता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जलयान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नोट : केरल राज्य में आमतौर पर मछली पकड़ने के केन्द्रों की अवस्था इस प्रकार है कि कुछ स्थानों पर उनमें लैंडिंग तथा बर्थिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधाएं क्रमशः सुनियोजित रूप से प्रदान की जा रही हैं और अवलैंडिंग तथा बर्थिंग की सुविधाएं पोनानी तथा बपोर में उपलब्ध हैं, तथा और विकास के लिये कार्य जारी है। विजिनंगाय कैनानोर एवं बलीपट्टनम में भी मात्स्य की बंदरगाहों की ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिनसे वहां बड़े जलयानों को भी रोका जा सके और इसके लिये विकास कार्य जारी है। जैटीज और अन्य बन्दरगाहें जिनकी व्यवस्था की जा रही है यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों के परिचालन को सुविधापूर्ण बना देगे, जिन्हें कि राज्य योजना कार्यक्रमों के साथ 2 गैर सरकारी क्षेत्र में भी सम्मिलित किया जा रहा है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न

1983. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाले खाद्यानों के पहुंचने में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब से देश में खाद्यान्नों की और कमी होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विलम्ब से देश में खाद्यान्नों की और कमी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) से (ग) : 1968 की दूसरी छमाही के लिए करार की परिपूर्ति में विलम्ब तथा बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में तटीय मजदूरों (लांगशोरमैन) की हड़ताल के कारण, पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यानों के पहुंचने में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु इससे देश में सरकारी वितरण प्रणाली की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

राजस्थान में पालना लिग्नाइट खानों में आग

1984. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री भोला नाथ मास्टर :
डा० कर्णी सिंह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक ने राजस्थान में पालना लिग्नाइट खानों का खानों में आग लगने के कारण दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो आग लगने के परिणामस्वरूप उपकरणों तथा खान को अनुमानत: कितनी क्षति हुई ; और

(ग) क्या आग लगने के परिणामस्वरूप खानों को बन्द कर दिया जायेगा या आग को बुझाने के बाद उनमें फिर से काम आरम्भ हो जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग चालीस हजार रुपये की कीमत के उपकरणों का नुकसान हुआ है । इसके अलावा यह आशंका है कि खान के कार्य-स्थलों को भी काफी क्षति पहुंची है ।

(ग) आग लगने के बाद खान के मार्ग बन्द कर दिए गए हैं। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या आग बुझ जाने के बाद खान में पुनः काम किया जा सकता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में खेती के सुधरे हुए औजारों का प्रयोग

1985. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने चौथी योजना के दौरान खेती के सुधरे हुए औजारों और मशीनरी को प्रयोग में लाने सम्बन्धी एक योजना, योजना आयोग को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) और (ख) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय ने अन्य मंत्रालयों की सलाह के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सुधरे कृषि औजारों और मशीनों के सूत्रपात के प्रश्न का पुनरीक्षण किया है और सिफारिश की है कि निम्नलिखित बहनुओं पर विशेष बल दिया जाये :—

1. मुख्यतः देश में ही निर्माण के द्वारा सप्लाई स्थिति में सुधार।
2. ऋण।
3. प्रशिक्षण और प्रदर्शन।
4. परीक्षण, अनुसंधान और विकास।
5. नये उपकरणों का सूत्रपात ; और
6. राज्यों में तथा केन्द्र पर कृषि इन्जिनीयरिंग कक्षों को बलवान बनाना।

प्रमुख गांव (की विलेज) तथा पशु विकास योजनाएं

1986. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में प्रमुख गांव (की विलेज) योजना और सघन पशु विकास योजना लागू की गयी थी ; और

(ख) पशुओं के सुधार और दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य में उक्त योजनाएं कहां तक सफल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) आदर्श गांव (की विलेज) योजना सभी राज्यों में लागू कर दी गई है जब कि पशु विकास योजना नागालैंड के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(ख) ये आयोजनायें राज्यों में जहां कि ये योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं वहां उन्नत कोटि के पशुओं के झुन्डों और दुग्ध उत्पादन की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई हैं। यद्यपि

दुग्ध उत्पादन को आंकने के लिये अखिल भारतीय आधार पर अभी कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं हुआ है, किन्तु केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के अनुमानों के आधार पर देश का दुग्ध उत्पादन 1951 के दुग्ध उत्पादन "179.50 लाख मीटरी टन" की तुलना में 1961 में "203.70 लाख मीटरी टन" तक बढ गया था। 1966-67 का अनुमानित उत्पादन 200.00 लाख मीटरी टन है। हाल ही के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

जापानी कृषि प्रदर्शन फार्म

1987. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जापानी कृषि प्रदर्शन फार्म कहां कहां स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) इन फार्मों में काम करने का सामान्य कार्यक्रम क्या है और इन से देश में किसानों को क्या लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 23 अप्रैल, 1962 तथा 17 दिसम्बर, 1964 को भारत-नोर्वे के मध्य हस्ताक्षोरित हुये करारों के अधीन आरा (बिहार), रनाघाट (पश्चिम बंगाल), चकुली (उड़ीसा), व्यारा (गुजरात), खोपोली (महाराष्ट्र), चंगमानाद (केरल), वेंपतला (आन्ध्र प्रदेश), तथा मान्डया (मैसूर) में 8 जापानी कृषि प्रदर्शन फार्मों की स्थापना की गई थी। ये करार क्रमशः 5 और 4 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त हो गये थे।

इन करारों की समाप्ति के पश्चात, आरा, व्यारा, खोपोली तथा मान्डाया स्थित चार फार्मों को 5 मार्च, 1968 तथा 13 दिसम्बर, 1968 को हस्ताक्षर हुये नये करारों के अन्तर्गत कृषि विस्तार केन्द्रों में परिणित कर दिया गया था।

(ख) इन फार्मों ने क्यारी की तैयारी से लेकर धान की कटाई व गहाई तक, जिन में पौध उगाना, बीज का चुनाव व उपचार, भूमि व जल प्रबन्ध विधियों, पौध लगाने (लाइन में पौध लगाना तथा अनुकूल अन्तरालन आदि सामयिक वनस्पति रक्षा उपाय करने और छोटे फार्मों व छोटे आकार के प्लाटों में जापानी मशीनों और उपकरणों का उपयोग करने आदि के विषय में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वैज्ञानिक पैकेज की विधियों का विकास किया है।

आस पास के बहुत से कृषकों ने इन फार्मों का दौरा किया और उन्हें वहां प्रयोग की जाने वाली उन्नत कृषि विधियों का प्रदर्शन दिखाया गया। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम बहु फसली खेती, सघन कृषि जिला कार्यक्रम आदि के रूप में सघन खेती के कार्यक्रमों के अधीन संबधित क्षेत्रों के कृषकों के लिये उन्हें इन मानकित विधियां अपनाने की भी सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त, अनेक कृषिकों व क्षेत्र विस्तार कार्यकर्ताओं को सुधरी कृषि विधियों के विषय में प्रशिक्षित किया गया। इन फार्मों में जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आगे सुधार किया जायेगा और कृषकों के खेतों में उनका विस्तार किया जायेगा। विस्तार कर्मचारियों व कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कृषि विस्तार केन्द्र भी इन परिणामों से लाभ उठायेंगे।

गांधी शताब्दी के उपलक्ष में महात्मा बुद्ध पर डाक टिकट जारी करना

1988. श्री सीताराम केसरी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के कुछ संगठनों ने सरकार के महात्मा गांधी शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध के चित्र वाले डाक टिकट जारी करने के निर्णय का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) श्रीलंका के अखबारों में इस संबंध में कुछ आलोचनाएं प्रकाशित हुई है यद्यपि कोई विरोध-पत्र सीधे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) सरकार ने अब बुद्ध का चित्र अंकित करते हुए कोई डाक-टिकट जारी न करने का निर्णय लिया है ।

शोलापुर के छोटे विद्युत-करघा चालकों का अभ्यावेदन

1989. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर के छोटे विद्युत करघा चालकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह शिकायत की गई है कि कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन पर विचार कर लिया है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) शिकायत उनके कारखानों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाये जाने के विरुद्ध है ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 75 में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी विवादीय मामले राज्य सरकार द्वारा स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा तय किये जायेंगे । एक ऐसे मामले पर कर्मचारी बीमा न्यायालय ने विचार किया और यह निर्णय दिया कि अंशदान अदा करने का दायित्व नियोजनकों का

है। अन्य नियोजक अपना मामला कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सके या ऐसे मामले के बारे में कोई निदेश दे सके।

अन्दोरा, महाराष्ट्र में उप डाकघर खोलना

1990. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई उप डाकघर के खोलने का निर्णय करने तथा आदेश देने के पश्चात् उस कार्यालय में कार्य आरम्भ होने से पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने में सामान्यता कितना समय लगता है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अन्दोरा शाखा डाक घर को एक विभागीय उप डाकघर बनाने का जो निर्णय 1964-65 में किया गया था उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन सभी वर्षों में कर्मचारियों ने महाराष्ट्र सर्किल के महा डाक पाल के इस संबंध में दिये गये आदेशों की क्रियान्विति को 'उचित स्थान के अभाव' की दलील पर रोके रखा है ;

(घ) क्या सरकार कर्मचारियों को हिदायतें देगी कि वे लोगों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें; और

(ङ) अन्दोरा के लोगों के लाभ के लिये उक्त उप डाकघर को कब खोला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः यदि उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो तो इसमें 2-3 महीने से अधिक समय नहीं लगता।

(ख) से (ङ) : 28 फरवरी, 1969 से इस डाकघर का दर्जा बढ़ा दिया गया है। डाकघर के लिए समुचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ था।

स्वचालित एक्सचेंजों की स्थापना

1991. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजनावधि में देश में और अधिक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : जी हां।

चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में अधिक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाली गई है। मूल योजना में चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 28 नये ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने का विचार था, परन्तु वित्तीय साधनों और विदेशी मुद्रा के सीमित होने के कारण उक्त लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों के स्थापन तथा सहघुरीया सूक्ष्मतरंग योजनाओं के माध्यम से सहयोगी लंबी दूरी के परिपथों के निर्माण करने के लिए योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने और विदेशी मुद्रा की तादाद का पता लगने के बाद बनाई जाएगी।

Community Development Scheme

1992. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have come to the conclusion that the Community Development Scheme has not fulfilled its objective and it has lost its due place in the scheme of things;

(b) whether the Chief Ministers are of the opinion that the Community Development Scheme have proved a failure and have given rise to corrupt practices; and

(c) whether a new alternative Scheme of Youth Commission is being drawn up in lieu thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopartion (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (c) : No, Sir.

Unemployment in Rajasthan

1993. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of unemployed persons in Rajasthan which was about five lakhs at the end of the Third Five Year Plan has increased to 10 lakhs in 1969;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether the reason for this increasing Unemployment is the allocation of less funds by the centre for the plan and non-plan projects ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : Precise estimates are not available. The only information available on the subject relates to the number of work seekers on Live Register of Employment Exchange in Rajasthan which was as under:-

31. 3. 1966	55,460
31. 1. 1969	87,816

The increase in the size of the Live Register is a coutrywide phenomenon and is not peculiar to Rajasthan.

गेहूं की बुवाई

1994. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उत्तरी भागों में इस वर्ष शीतकाल में वर्षा न होने के कारण गेहूं पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्रों के अधिकांश भागों में गेहूं की बुवाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समय पर बुवाई न होने का रबी की गेहूं की फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सर्दियों के महीनों में वर्षा की कमी ने विशेषकर सिंचाई हीन क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई में कुछ हद तक बाधा उपस्थित की। किन्तु अधिक उपज देने वाली किस्मों में अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के बढ़ जाने के कारण कुल उत्पादन में बहुत अन्तर पड़ने की सम्भावना नहीं है। उत्पादन के सही आंकड़े कृषि वर्ष की समाप्ति पर ही अर्थात जुलाई-अगस्त 1969 में किसी समय उपलब्ध होंगे।

अनाज का आपातकालीन भण्डार (बफ्र स्टाक)

1995 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० र० नास्कर :
श्री चेंगलरायां नायडू :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजनावधि के अन्त तक बनाये जाने वाले अनाज के आपातकालीक भण्डार (बफ्र स्टाक) के परिमाण का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आपातकालीन भण्डार के कितने अनाज का आयात किया जायेगा और कितना अनाज देश में से खरीदा जाएगा।

खाद्य, कृषि, तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में आयातित और देसी अनाजों को इकट्ठा ही रखा जाता है और मांग, उपलब्धि तथा परिचालन सुविधा के अनुसार उनका निर्गम किया जाता है। अतः किसी भी समय यह अनुमान संभव नहीं कि भण्डार में रखे हुए अनाजों में कितना आयातित अनाज है

और कितना देसी । तथापि, थोड़े ही वर्षों में जब तक की सम्पूर्ण बफर स्टाक देसी खाद्यान्न का नहीं बन जाता तब तक आयातित खाद्यान्न की मात्रा में कमी ही होती जाएगी ।

M/S Bennett Coleman & Co.

1996. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the date by which the case regarding the strike in Bennett Coleman and Co., (Times of India Group) in 1967 which was referred to arbitration is likely to be decided;

(b) whether it is also a fact that when the case was referred to arbitration, the Arbitrator had said that the case would be decided within six months;

(c) if so, the reasons for which the case has not been decided so far; and

(d) the steps being taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) : The issue regarding the payment of wages to the non-journalist workmen of Bennett Coleman & Company Ltd., both in Bombay and Delhi, for the periods of strike commencing from the 17th February, 1967 and lock-out declared from the 27th February, 1967 to the 26th March, 1967, was referred for adjudication to the National Industrial Tribunal; it was not referred to arbitration. No time limit was fixed. The main reason for the delay is the adjournments sought by the parties to the reference. The hearing has now been concluded and the award of the National Tribunal is expected sometime in March 1969.

भारतीय कृषक मंच (फारमर्स फोरम) को वित्तीय सहायता

1997. श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री श्रीधरन :
श्री एम० एम० कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक भारतीय कृषक मंच को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या यह सच है कि यह सच भारत कृषक समाज का ही एक अंग है;

(ग) क्या इस मंच के किन्हीं अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या है और कितनी बार विदेश गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । 1954-55 और 1968-69 के दौरान अभी तक भारत कृषक समाज को 5 78 लाख रुपयों का सहायक अनुदान दिया गया है ।

(ख) भारत कृषक समाज फार्मर्ज फोरम, इंण्डिया का हिन्दी रूपांतर है ।

(ग) जी हां ।

(घ) श्री के० डी० शर्मा, सचिव, ने एक बार और श्री आर० बी० देशपाण्डे, सचिव ने दो बार कृषक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत दौरा किया ।

Fodder Bank opened by Central Gosamvardhan Council in Dilawari, Bhopal

1998. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Gosamvardhan Council has opened a fodder bank at Dilawari in Bhopal,

(b) the amount of expenditure incurred by Central Government on the said bank;

(c) whether it is a fact that no assistance of fodder was given to famine-affected areas such as Rajasthan etc. from the fodder stock of the said bank; and

(d) if so, the propriety of spending such a huge amount in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde): Yes, Sir.

(b)

	1967-68	1968 69 Upto 28. 2. 69
Non-recurring.	Rs. 48,380 70	Nil
Recurring.	Rs. 8,568·21	Rs. 34,562·92
	Rs. 56,948.91	Rs. 34,562·92

(c) An offer was made to the State Government of Rajasthan and also Director of Animal Husbandry, Andhra Pradesh for supply of fodder from the Bank but they did not avail of the same,

(d) Does not arlise, in veiw of reply to part (c) above.

चावल का आयात

1999. **श्री को० सूर्यनारायण:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 की अवधि में विभिन्न देशों से कितने चावल का आयात किया गया, इसकी प्रति मीट्रिक टन दर क्या थी और विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों से कितना चावल खरीदा तथा इसी अवधि में उत्पादकों अथवा खरीद करने वाले एजेंटों को प्रति मीट्रिक टन कितनी कीमत का भुगतान किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 228/69] .

हरी खाद की खेती

2000. श्री नीति राजसिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 19 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक अथवा अनाज की फसलों को हानि पहुंचाये बिना, हरी खाद की फसल उगाने के लिये क्या फसल उगाने का कोई ढंग निकाला गया है; और

(ख) देश के किन क्षेत्रों में यह ढंग अपनाया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : फसल प्रणालियां, जो कि अनाज या वाणिज्यिक फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के अपनाने से सामने आई हैं उन में एक समय में प्रति एकक सर्वाधिक उत्पादन करने पर जोर दिया गया है। इसमें पुरानी हरी खाद की पद्धति के स्थान पर बारी बारी में नई थोड़े काल में उगने वाले लगूमता प्रणाली को लाया जा रहा है। कम समय में उगने वाली दालों क बोना जैसाकि बैशाखी मूंग लोभिया, गोयाबीन, मटर; बारी बारी सघन फसल के भाग के रूप में सर्वप्रिय होता जा रहा है। धान उगाने वाले क्षेत्रों में फसल पद्धति से धैंचा हरी खाद के रूप में उपयोगी हो सकता है जिससे मुख्य फसल की भी हानि नहीं होगी परन्तु साधारणतः सघन फसल प्रणाली में हरी खाद के स्थान पर लगुमता की काश्त पर अधिक बल दिया जाता है।

अखिल भारतीय आग्रोनोमिक परीक्षण योजना के अधीन अधिक उपज देने वाली किस्मों में लेगूमाग के प्रभावों के मूल्यांकन के लिये अध्ययन करने की योजना बनाई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के साथ, लघूकालीन लेंगूमाग का प्रयोग महत्व ग्रहण कर रहा है ;

(ख) इस प्रणाली की सिंचित क्षेत्रों के लिये सिफारिश की जा रही है जहां अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। भूतकाल की भांति वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद प्रणाली ही जारी रखी जा रही है।

पंचायतें

2001. श्री नीति राजसिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों को अधिक शक्तियां तथा साधन देने से देश में इनको कितनी सफलता मिली है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सामुदायिक विकास खण्डों को समाप्त करना

2002. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत सामुदायिक विकास के लिए, जिसमें कृषि उत्पादन भी शामिल है, सामुदायिक विकास खण्ड अत्यावश्यक है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में उक्त खंडों को समाप्त कर दिया गया है उनका विकास कैसे होगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त सफलता प्राप्त करने के लिए ये खंड आवश्यक नहीं हैं तो इनको समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) किसी भी राज्य में सामुदायिक विकास खंडों को समाप्त नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Improved Seeds by Farmers

2003. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the experience of progressive farmers regarding the use of improved seeds for cultivation has not been very encouraging;

(b) if so, the main causes for which the use of improved seeds for cultivation did not prove profitable; and

(c) the efforts made by Government to remove those causes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) and (c) ; Do not arise. Any specific complaints brought to the Ministry's notice will be looked into and appropriate steps taken.

Animal Husbandry Schemes in Madhya Pradesh

2004. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of schemes introduced in Madhya Pradesh by the Central Government at present under the animal husbandry programme;

(b) whether Central Government propose to introduce such a scheme in the backward areas of Bundelkhand region (Tikamgarh Chhatarpur), which is predominantly depending on animal husbandry; and

(c) if so, the time by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communiy Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Indian Concil of Agricultural Research and the Central Council of Gosamvardhana of the Government of India have introduced the following five schemes in that State :--

Indian Council of Agricultural Research

1. Coordinated project of research for investigation into the respiratory diseases of poultry and their control at Veterinary College, Mhow.

2. Gross histological, histochemical and ex-foliative cytological studies on placental attachements of domestic ruminants under certain preganancy diseases leading to abortion at Veterinary College Jabalpur.

Cental Council of Gosamvardhna

1. Central Gosadan Delawari.
2. Fodder Bank, Bhopal.
3. Gosamvardhana Week Celebrations.

A compaign for intensification of work for the control of Poultry diseases is being launched in Mhow, Indore, area by the Dte. of Extension in March, 1969. No. other Central Centrally sponsored schemes have been introduced in Madhya Pradesh.

(b) and (c) : The following Centrally aided Animal Husbandry Schemes are already functioning in Tikamgrah and Chhatarpur Districts :-

In Chhatarpur District.	**In Tikamgarh District.**
1. Estt of Vety. Hospitals	1. Improvement of Gosadan.
2. Applied Nutrition Programme.	2. Supply of Sheep on exchange basis.
3. Supply of sheep on exchange basis.	3 Supply of sheep units to regd. farmers on exchange basis.
4. Subsidy to progressive farmers for improvement of pasture.	4. Expansion of sheep extension centres.
5. Construction of Silopits.	5. Expansion of sheep breeding farm.
6. Supply of subsidy seeds of berseem, lucern etc.	6. Mass drenching
7. Supply of chaff cutters.	7. Estt. of mution breed sheep farm
	8. Construction of veterinary hospital buildings.

There is no proposal to introduce at present any Central/Centrally sponsored Animal Husbandry Scheme in the backward area of Bundelkhand region (Tikamgarh Chhatarpur).

राजूरा, महाराष्ट्र में तार घर

2005. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में राजूरा में डाक तथा तार घर एक गैर-सरकारी भवन में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक किराया कितना है और यह डाक तथा तार घर कब से उस भवन में हैं;

(ग) क्या राजूरा में सरकार का एक भवन है जिसे पहले डाकघर के रूप में प्रयोग किया जा रहा था और मरम्मत न होने के कारण अब बेकार पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार उसकी मरम्मत कराने तथा उसमें डाकघर बसाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह भवन 3 अगस्त, 1959 को 40 रुपये महीने के किराये पर लिया गया था और 1 जुलाई, 1963 से इसका किराया बढ़ाकर 58 रुपये महीना कर दिया गया था। चूंकि यह भवन डाकघर की आवश्यकताओं के लिये बहुत छोटा था, इसलिए 10 जुलाई, 1968 से 150 रुपये महीने के किराये पर एक और भवन लिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस भवन की मरम्मत नहीं की जा सकी, क्योंकि यह बिल्कुल खस्ता हालत में था और इसका फिर से बनाया जाना जरूरी था। इस भूखंड के अच्छे स्थान पर स्थित न होने और यहां बाढ़ का खतरा बना रहने के कारण स्थानीय लोग यहां फिर से बनाये जाने के विरुद्ध थे। डाकघर का नया भवन बनाने के लिए एक उपयुक्त भूखंड ढूंढने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना

2006. **श्री बृजराज सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वेषी नलकूप संगठन ने 1965 से लेकर अब तक राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में कितने नलकूप लगाये हैं;

(ख) इन नलकूपों के निर्माण-कार्य पर कितनी लागत आई है उनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई होनी थी तथा वास्तव में कितने क्षेत्र पर सिंचाई हो रही है; और

(ग) चालू प्रत्येक नलकूप से एक घंटे में कितने गैलन पानी निकलता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समन्वेषी नलकूप संस्था ने राजस्थान में 1965 से 195 नलकूप लगाये है जिनमें से 127 सफल सिद्ध हुए हैं।

(ख) ऐसे कूपों के बनाने पर औसतन 70,000 से 80,000 तक रुपये खर्च आते हैं। औसत सिंचाई क्षेत्र तथा वास्तविक सिंचित क्षेत्र के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त होते ही यह जानकारी भी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंजीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

2007. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड सर्वसम्मत प्रतिवेदन नहीं दे सका और उसके विभिन्न सदस्यों द्वारा तीन भिन्न भिन्न प्रतिवेदन दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या ऐसा समझौता न होने की स्थिति में सरकार का अपने आप कोई निर्णय करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट में सर्वसम्मत सिफारिशें नहीं हैं।

(ख) रिपोर्ट पर पहली मार्च, 1969 को श्रम और रोजगार विभाग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकारें नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रारम्भिक विचार-विमर्श करना चाहती थी। उनके विचार जान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में भविष्य निधि लगाना

2008. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बतोने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि की 35 प्रतिशत राशि को राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में लगाने का फैसला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितना धन उसमें लगाया जायेगा;

(ग) क्या अब औद्योगिक प्रतिभूतियों में भी यह धन लगाने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) कर्मचारियों को चाहे यह धन कहीं भी लगाये जाये, उचित लाभ दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पहली सितम्बर, 1968 से 31 मार्च, 1969 की अवधि के लिए निवेश के संशोधित पैटर्न के अन्तर्गत भविष्य निधि में जमा राशि का 35 प्रतिशत भाग राज्य सरकार तथा सरकार की गारंटी कृत प्रतिभूतियों में लगाया जा सकता है।

(ख) 31-1-1969 तक 6·16 करोड़ रुपये की राशि छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में लगाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1-4-1968 से 31-3-1969 की अवधि के लिए निवेश पैटर्न निवेशों से आय में वृद्धि करने की दिशा में एक प्रयास है, ताकि अम्भदान देने वालों को भविष्य निधि में उनकी जमा राशि से और लाभ प्राप्त हो। निवेश पैटर्न को और उदार बनाने के लिए विचार किया जा रहा है।

नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर (पश्चिम बंगाल)

2009. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये सरकार ने नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर, पश्चिम बंगाल को चलाने के लिये कई लाख रुपये खर्च किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह मिल 1964 से बन्द पड़ा है और उत्पादन आरम्भ होने की कोई सम्भावना नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या असफलता के कारण खजाने को हुई हानि को पूरा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में बेरोजगार व्यक्तियों का संगठन बनाना

2010. **श्री लोबो प्रभु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में 35 लाख व्यक्ति बेरोजगार है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों को संगठित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह है कि कामदिलाऊ दफ्तरों को बाजार सूचना देने, व्यावसायिक अनुसन्धान तथा विश्लेषण करने, व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार सम्बन्धी परामर्श देने के अपने कार्यक्रम के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों की संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (क) यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसी कोई कार्यवाही सोची नहीं गई है।

(ग) जी नहीं।

रोजगार के अवसर

2011. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि बड़े नगरों तथा कारखानों में रोजगार के अवसर सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बड़े नगरों में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में बाहर के व्यक्तियों को पंजीयन की सुविधायें प्रदान करेगी और क्या उम्मीदवारों को उस समय से काफी पहले, जब कि उन्हें नियोजकों के सामने उपस्थित होना है। सूचना देने की भी व्यवस्था करेगी; और

(ग) क्या सभी हाई स्कूलों, कालेजों और ग्राम पंचायतों को पंजीयन प्रपत्र उपलब्ध करने तथा उन्हें स्थानों पर उनका नवीनकरण कराने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) संविधान का अनुच्छेद 16 और सार्वजनिक नियोजन (आवास के बारे में अपेक्षा) अधिनियम 1957 का भाग दो, सार्वजनिक नियोजन के मामले में भेदभाव की कोई इजाजत नहीं देते। तथापि, राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में निजी क्षेत्र के नियोजकों से अनुरोध करते हुए एक अपील जारी की गई है कि जहां तक हो सके स्थानीय उम्मीदवारों को यदि वे उपयुक्त हो, नियुक्त किया जाए। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी हिदायतें जारी की गई है कि 500 रुपये और इससे अधिक मासिक वेतन वाले सभी पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जायें और 500 रुपये मासिक वेतन से कम वाले सभी रिक्त स्थान, स्थानीय नियोजन कार्यालयों की सहायता से भरे जायें।

(ख) वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार एक नियोजन कार्यालय के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति उसी कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तथापि, नियोजन कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अधीन बने नियमों के नियम 3 उप-नियम (1) के आधीन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद जिनका मूल वेतन 210 रुपये प्रति मास हो, पूर्ति हेतु सभी नियोजन कार्यालयों में परिचलित किये जाते है। इसी तरह वे रिक्त स्थान जिनके लिये उम्मीदवारों की कमी है, दूसरे नियोजन कार्यालयों में परिचालित कर दिये जाते हैं अथवा अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित कर दिये जाते है। अतः इसे पदों पर नियुक्ति के लिये सभी उपयुक्त उम्मीदवारों को अवसर दिया जाता है। उम्मीदवारों को नियोजकों के पास साक्षात हेतु उपस्थित होने के लिये समयपूर्व सूचना भेजने के प्रबन्ध पहिले से ही वर्तमान हैं।

(ग) यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि नियोजन कार्यालय सभी जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण नगरों में स्थापित किये गये हैं तथा डाक द्वारा पंजीकृत होने और पजीयन के नवीकरण की अनुमति भी है।

मलनाड़ में वर्गीकरण

2012. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलनाड के वर्गीकरण के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है; और

(ख) कुन्डापुर, करक्कल, बेलधागड़ी तथा सुलिया तालुकों को मलनाड तालुक में वर्गीकृत करने के लिए इन कसौटियों पर क्यों नहीं कसा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चीनी के कारखाने

2013. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना के बजाय वर्तमान चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार अथवा सुधार द्वारा पूंजी में बचत पर विचार किया है;

(ख) नई मिल की स्थापना और एक वर्तमान कारखाने में विस्तार पर लगने वाली पूंजी में औसत अन्तर कितना बैठता है;

(ग) महाराष्ट्र में नई चीनी मिलों के खुलने से उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसके बारे में इन राज्यों के विचारों को जान लिया गया है; और

(घ) चीनी बनाने की मशीनरी की अतिरिक्त क्षमता कितनी है और इसे और किस वस्तु के उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जा सकता है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मौजूदा चीनी कारखाने के विस्तार पर आमतौर पर समान क्षमता का एक नया चीनी कारखाना स्थापित करने की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है । इन दो मामलों में निहित लागत मशीनरी की हालत, प्लांट के विभिन्न खंडों में फालतू क्षमता और विस्तार की सीमा पर निर्भर करते हुए प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न होगी । तथापि विस्तार की लागत समान क्षमता का नया कारखाना स्थापित करने की लागत से अपेक्षाकृत कम होगी । कुल मिलाकर मौजूदा कारखानों के विस्तार के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर उनके दोष-गुण के आधार पर विचार किया जा रहा है और विस्तार करने की अनुमति उस हालत में दी जाती है जबकि क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धि पर्याप्त हो और आवेदक उचित समय में विस्तार करने की स्थिति में हों । नये चीनी कारखानों को अब विकास के लिए नये क्षेत्र खोलने के लिए भी लाइसेन्स दिए जा रहे हैं ।

(ग) चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता जो कि वर्तमान एककों के विस्तार और नई फैक्ट्रियों की स्थापना से स्थापित की जा रही है वे चीनी उत्पादन के लक्ष्यों के अनुसार स्थापित

की जा रही है । इसलिए महाराष्ट्र अथवा अन्य कहीं नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी कारखानों पर असर पडने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(घ) चीनी मिलें की मशीनरी बनाने वाले उद्योगों की मौजूदा स्थापित क्षमता मूल्य के हिसाब से 2100 लाख रुपये हैं । 1968 में मशीनरी का अनुमानित उत्पादन मूल्य के हिसाब से 1130 लाख रुपये था । मशीनरी निर्माण उद्योगों में स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत उत्पादन उचित समझा जाता है और अतः इस आधार पर बेकार पड़ी क्षमता मूल्य के हिसाब से 340 लाख रुपये थी । यह क्षमता सीमेन्ट मशीनरी, बायलर्ज और विभिन्न रसायनिक उद्योगों के लिए उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

खेती योग्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना

2014. श्री लोबो प्रभू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पंचायतों के माध्यम से अधिसूचित सरकारी खेती योग्य खाली पड़ी बंजर भूमि को 25 वर्ष की अवधि के लिये किसी पक्ष को, जो न्यूनतम मंजूरी पर स्थानीय मजदूरों को काम पर लगा कर दो वर्ष के अन्दर उसे खेती योग्य बनाने के लिये तैयार है, न देने के क्या कारण हैं; और

(ख) तीन वर्ष से अधिक समय से काश्त न की गई काश्त योग्य भूमि को करों से छूट देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भूमि, राज्य सरकार का विषय है; अतः कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों को कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि की अलाटमेंट सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बनाये हुये नियमों द्वारा की जाती है ।

(ख) कृषि भूमि पर, जिसमें परती भूमि भी शामिल है, राज्यों के राजस्व कोडों के अन्तर्गत किये गये भूमि वर्गीकरण के अनुसार भू राजस्व लगाया जाता है । भू राजस्व तथा कृषि आय पर कर लगाना राज्य सरकारों के विषय हैं अतः केन्द्र के लिये यह बताना संभव नहीं है कि किसी किस्म की भूमि को ऐसे लगाने से मुक्त क्यों किया गया है ।

चावल का निर्यात ।

2015. श्री शिव चन्द्र झा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठालाल मीना :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वसुमतारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विदेशों को बासमती चावल का निर्यात करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को और कितनी-कितनी मात्रा में और इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) देश में चावल की कमी को दृष्टि में रखते हुए इसका निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में अलग-अलग बासमती चावल निर्यात किया जाएगा। उपलब्धि होने पर 1969 में लगभग 20,000 से 30,000 मीटरी टन तक बढ़िया बासमती चावल निर्यात करने का विचार है। साधारणतः बासमती खरीदने वाले प्रमुख देश पूर्वी अफ्रीका, कुवैत, मसकट, सऊदी अरब, सिंगापुर और ब्रिटेन हैं। इन निर्यातों से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी इसका ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना कठिन है। लेकिन अब तक मिले मूल्य की प्रवृति को देखते हुए यह आशा की जाती है कि 1969 में लगभग 104 पौंड से 114 पौंड प्रति मीटरी टन तक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

(ग) ऐसे निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा के अलावा, विदेशी मंडियों को इसलिए बढ़िया किस्म के बासमती चावल का निर्यात किया जाता है ताकि उनके साथ सम्पर्क बना रहे और देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने पर अधिकतर मात्रा में चावल का निर्यात किया जा सके। निर्यात की गई मात्रा की जब देश के कुल उत्पादन और खपत से तुलना की जाती है तब यह बिल्कुल थोड़ी ही मात्रा बैठती है और विदेशों से अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर मोटे चावल की बहुत अधिक मात्रा आयात की जा रही है। फलतः बढ़िया बासमती की इस मात्रा के निर्यात करने से देश में चावल की उपलब्धि पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

चाय उद्योग की व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाना

2016. श्री रवि राय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गये चाय उद्योग संबंधी दल की इस सिफारिश की ओर दिलाया गया है कि युक्तियुक्त करण की इस समय चल रही प्रक्रिया को धीमा किया जाना चाहिये क्योंकि इससे रोजगार में कमी हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चाय बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चाय उद्योग के कर्मचारियों की कुल संख्या 1957 में 10,17,989 थी और घट कर 1964 में 8,18,783 रह गई थी, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशों प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

माइक्रोवेव संचार उपकरण बनाने के लिये हंगरी से सहयोग

2017. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कुछ औद्योगिक उत्पादों तथा माइक्रोवेव संचार उपकरण बनाने में हंगरी से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप में तैयार की गयी योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने सूक्ष्मतरंग (माइक्रोवेव) संचार उपकरण के निर्माण के लिये हंगरी से सहयोग नहीं मांगा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सैनिक डाक सेवा

2018 श्री मयाबन : सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सैनिक डाक सेवा के भूतपूर्व हवलदार लिपिकों को, जिन्हें सेना में डाक कार्य का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त है; यद्यपि युद्ध सेवा और असैनिक नियुक्ति के बीच की सेवा में बिना किसी गतिरोध के भारतीय डाक विभाग में नियुक्त किया गया है उसी सेवा में, अर्थात् भारतीय सैनिक डाक सेवा में प्राप्त अन्तिम वेतन का सरक्षण नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) यह सच है कि भारतीय सैनिक डाक सेवा के भूतपूर्व हवलदार लिपिकों को, जिन्हें सेना में डाक कार्य का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त है, अन्तिम वेतन का संरक्षण नहीं दिया गया था। हालांकि उनका प्रारम्भिक वेतन निश्चित करते समय युद्ध के दौरान सेवा करने वाले अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्हें भी भारतीय सैनिक डाक सेवा में उनके द्वारा समतुल्य संवर्गों में पूरे किये गये सेवा के वर्षों का श्रेय दिया गया था।

(ख) भूतपूर्व हवलदार लिपिकों को सैनिक सेवा छोड़ते समय या वहां से सेवा निवृत्त होते समय युद्ध उपदान और युद्ध सेवा उपदान के तौर पर कुछ लाभ प्राप्त हुए थे। उनके

युद्ध सेवा उपदान को छोड़ने पर उनकी पिछली सेवा की केवल सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए गणना की गई थी ।

फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों की नसल बढ़ने से रोकने के उपाय

2019. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के एक प्रक्षेत्र वैज्ञानिक डा० एस० प्रधान ने चेतावनी दी है कि यदि नए कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों को नष्ट करने के लिये तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो देश को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो देश में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के खतरे से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) समस्या की जानकारी तथा उससे होने वाली हानि, जैसा कि भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान के वैज्ञानिक डा० एस० प्रधान ने बताया है यह तुलनात्मक रूप में हाल की ही है । जब पौधों की उगने की स्थितियों का सुधार होता है रोगों और कीटों के फैलने की स्थितियां भी संयोगवंश सुधरती है । अतः उत्पादन अनुसधान के साथ साथ ही संरक्षण अनुसंधान भी किया जाना चाहिये । क्योंकि यह समस्या सारे देश की है, उसके समाधान के लिये अध्ययन और उपागम भी एक विस्तृत आधार पर ही होना चाहिये । इसी कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बहु अनुशासनीय आधार पर फसलों के विकास के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना बनाई है ताकि प्रजननक वरिष्ठ किस्मों पर अनुसंधान के साथ और अधिकाधिक एकड़ उत्पादों के लिये कृषि अभ्यासों के वरिष्ठ शिडयूल्स बनाये जाये । साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि मुकाबला करने वाली किस्मों के विकास द्वारा कीटों और बीमारिओं को काबू में लाया जाये, कीट और रोगों के रासायनिक नियन्त्रण के वरिष्ठ उपायों को प्रस्तुत किया जाये और अनुसंधान की अन्य प्रणालियों के माध्यम से, अर्थात् जैव नियन्त्रण, रोग एवं कीट, महामारी आदि की भविष्य वाणी पर अनुसंधान किया जाये ।

Recovery of Letter from the House of a Postman in Rajasthan

2021. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 4,000 undelivered letters were recovered from the house of a temporary postman in Jaipur (Rajasthan) in January 1969; and

(b) if so, the action taken by Government against him ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The number of undelivered articles recovered was 2013 only.

(b) The services of the postman have been terminated and the case has been reported to police for investigation.

Misappropriation of Savings Bank Accounts in Ramnagar P. O., Meerut.

2022. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large amount of money have been misappropriated from the Savings Accounts in the Ramnagar Post Office of Meerut as reported to in the 'Veer Arjun' on the 29th January, 1969;

(b) whether any anquiry has been undertaken in regard thereto; and

(c) if so, result thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. Sir.

(b) and (c) : Yes, Sir. In addition to the departmental enquiry the case has been reported to police, The result of the enquiries is awaited.

राज्यों में लगान

2023. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगान समाप्त किया गया है या समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नगरीय तथा कृषि भूमि पर प्रति एकड़ कितना लगान वसूल किया जाता है; और

(ग) उन राज्यों में लगान के स्थान पर कौन सा कर लगाया गया है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग) अगस्त 1968 तक की सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है ।[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 229/69]

(ख) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में धान की वसूली ।

2024. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968-69 में मनीपुर में धान की वसूली का लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ख) 31 जनवरी, 1969 तक कितना धान वसूल किया गया है; और

(ग) उक्त तारीख तक मनीपुर सरकार के गोदामों में कितना धान तथा गेहूं था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 6,082 मीटर टन ।

(ग) धान.....7,353 मीटरी टन

गेहूं .....3,640 मीटरी टन

Effect of Pesticides on Crops in Delhi

2025. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Food & Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news that as a result of the use of the chemicals distributed by the Delhi Administration in the villages for destroying weeds in the wheat-fields during the last season the weeds were not destroyed but the wheat crop was singed;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps being taken by Government to compensate the farmers whose crops have been destroyed and the estimated loss ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

होली के लिए चीनी का कोटा

2026. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी के अधिक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए होली के लिये चीनी का विशेष कोटा आवंटित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां । राज्य सरकारों को पहली मार्च, 1969 को आने वाले त्यौहारों जिसमें होली भी शामिल हैं, के लिए 25,303 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी ।

Telephone Facilities to Traders in Patna City

2027. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

a) whether it is a fact that Sohsarai (Bihar Sharif) Maroofganj-Mausoorganj (Patna City), Danapur, Fatuba, Bakhtiarpur, Badh and Mokameh are major business centires for potatoes, foodgrains and other commodities;

(b) if so, whether telephone facilities have been provided to traders at these places;

(c) if so, the details of the total annual income during the last five years in respect of trunk telephone charges pertaining to eace of the above places;

(d) whether it is a fact that the traders have to experience considerable difficulty in getting trunk connections which are not at all possible after 00.00 hours;

(e) whether it is also a fact that the people working in exchange misappropriate payments made towards trunk telephone bills by not showing such amounts in Government account;

(f) whether any complaint to this effect was also sent in writing to the Director (Telephones); and

(g) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The approximate trunk revenue during the last five years in indicated in the statement. **[Placed in Library. See No. LT 230/69]**

(d) No complaints about difficulty in getting trunk calls have been received from the traders.

(e) No. Any complaints of misappropriation, if received, will be psoperly looked into.

(f) No complaints of misappropriation but some service complaints were received but on investigation were found to be baseless.

(g) Does not arise.

Telephone Facilities to Gram Panchayats and Block Headquarters

2028. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have prepared scheme to open post. offices in all Gram Panchayats and to extend telephone facilities to all Block Head-quarters;

(b) if so, the details thereof:

(c) whether telephone facilities are proposed to be extended to other places also;

(d) if so, the details thereof; and

(e) when Government propose to implement these schemes ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communicataions (Shri Sher Singh) (a) to (e) : A statement is laid on the Table of the Lok Sabha, **[Placed in Library. See No. LT 231/69]**

गहन कृषि विकास कार्यक्रम

2029. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जिलों को गहन कृषि विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ख) इन जिलों को गहन कृषि विकास कार्यक्रम योजना के लिये किस आधार पर चुना गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस समय देश में 15 गहन कृषि विभाग जिलें हैं। यह कार्यक्रम देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 जिलों में आरम्भ किया गया था, ताकि हर राज्य में एक जिले को इस के अधीन लाया जा सके, केवल केरल को छोड़कर जहां पर दो जिलों को इस के अधीन लाया गया। 1967–68 में हरियाना राज्य के करनाल जिले को शामिल कर लिया गया था। लेकिन गहन कृषि विकास कार्यक्रम को 1967–68 राजस्थान के पाली जिले से और 1968–69 में महाराष्ट्र के भंदरा जिले से हटा लिया गया।

(ख) गहन कृषि विकास कार्यक्रम के अधीन जिलों को छांटने की कसौटियां निम्नलिखित हैं :—

(1) बड़े क्षेत्रों में सुनिश्चित पानी की उपलब्धि ;

(2) कम से कम प्राकृतिक कठिनाइयों का होना जैसे बाढ़, जलनिकासी सम्बन्धी कठिनाइयां, भूमि संरक्षण की गहन समस्यायें, आदि।

(3) अच्छी प्रकार से विकसित ग्राम संस्थानों का होना जैसे सहकारिता और पंचायतें ; और

(4) कृषि उत्पादन को तुलनात्मक थोड़े समय में बढ़ाने के लिये सर्वाधिक सम्भाव्यताओं का होना।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में गहन कृषि विकास कार्यक्रम

2030. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिविजन में जहां आजीविका का मुख्य साधन कृषि है सरकार एक गहन कृषि विकास कार्यक्रम परियोजना खोलने का विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद प्रभाग में फैलाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में इसे पहले ही कार्यरूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) का सूत्रपात "पायलट" कार्यक्रम के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में किया गया था ताकि प्रत्येक राज्य का एक जिला इसके अन्तर्गत लाया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एक सघन समन्वित ढंग अपनाना और तीव्र गति से उत्पादन बढ़ाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों का प्रदर्शन करना है, साथ ही दूसरे क्षेत्रों में सघन कृषि प्रयत्नों का प्रसार करने के लिये आदर्श उपस्थित करना है। अन्ततः इसका लक्ष्य उत्पादन में सफलता लाना और परिवर्तन की मानवी और भौतिक प्रक्रिया को उत्तेजित कर उत्पादन सम्भाव्यता का बढ़ावा देना है। क्योंकि यह कार्यक्रम अनुकरणीय (Pace-setter) और मार्ग-दर्शी (path-finder) है। अतः इस कार्यक्रम को देश के किसी नये क्षेत्र में लागू की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कृषक प्रशिक्षण संस्थायें

2031. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या खाद्य, तथा, कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कृषक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या फैजाबाद डिवीजन के पिछड़े क्षेत्र में जिस की कृषि ही मुख्य अर्थव्यवस्था है, एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में 46 कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है, तथा अतिरिक्त चार केन्द्रों के लिये स्वीकृति जारी की जा रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 केन्द्र और स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों में, किसानों तथा खेतों में काम करने वाली महिलाओं के सात के पन्द्रह दिन तथा युवा कृषकों के 3 महीने संस्थानात्मक प्रशिक्षण एवं किसानों के खेतों में उत्पादन-प्रदर्शन शिविरों, तथा गांवों में रेडियों की सहायता से किसानों के विचार-विमर्श दलों के आयोजन द्वारा उन्हें अधिक उपज वाली किस्मों की खेती के लिए वैज्ञानिक कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विशेषज्ञों द्वारा संचालित राष्ट्रीय-प्रदर्शन इस सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के केन्द्र होगें।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को चार कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों का अस्थायी नियतन किया गया हैं, जिनकी स्थापना के लिये स्थान का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

खाद्यान्नों का आयात

2032. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार की अपने गेहूं की पूरी कीमत जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है, वर्ष 197। से डालरों मे प्राप्त करने की नीति को दृष्टि में रखते हुए खाद्यान्नों का आयात कम से कम करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में बैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार का विचार है कि खाद्यान्नों का रियायती आयात धीरे-धीरे कम किया जाय और जब देश खाद्यान्न-उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ले तब उसे बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय। देश की खाद्य-स्थिति के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 197। से आगे खाद्यान्नों का रियायती आयात करने की कोई सम्भावना नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिये उर्वरकों का नियतन

2033. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के लिये कुल कितनी मात्रा में नाइट्रोजनी तथा फासफोरिक उर्वरकों का नियतन किया गया ;

(ख) राज्य सरकार ने कुल कितनी मांग की थी ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उस राज्य के लिये आगामी वर्ष और अधिक उर्वरकों का नियतन करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1965-66, 1966-1967 तथा 1967-68 की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने नाईट्रोजन पूरक व फास्फेट पूरक उर्वरक की जो यात्रायें उसे सप्लाई की गई थी उन विषय में जानकारी निम्न प्रकार है :—

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

उर्वरक की किस्म	1965–66		1966–67		1967–68	
	मांग	अलाटमेंट	मांग	अलाटमेंट	मांग	अलाटमेंट
सलफेट आफ अमोनियम		63750		15951		57805
यूरिया		22372		3140		42267
केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट		11000		–		69
अमोनियम फोसफेट		–(००)		13500		–(००)
नाइट्रोजन	34354	25615 (ए)	34578	7586 (ए)	12000	31596
पी2 ओ5	800	–	–	2700	1600	–

टिप्पणी : राज्यों से मांग केवल नाइट्रोजन और पी2 ओ5 के रूप में प्राप्त हुई थी ।

(ए) राज्य ने शेष मात्रा के लिये अपनी मांग को वापिस ले लिया और केवल ये मात्रायें जो उन्होंने मांगी थी, उन्हें अलाट कर दी गई ।

(००) 1965–66 और 1967–68 के दौरान राज्य फोसफेटिक उर्वरकों को लेना नहीं चाहता था ।

(ग) मध्य प्रदेश ने 1968–69 की अवधि में उर्वरकों की जो मात्रायें मांगी थीं वे उन्हें अलाट कर दी गई हैं ।

Sugar Mills in Bihar

2034. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 29 Sugar Mills in Bihar are experiencing great difficulty due to the non-availability of sugarcane to them which is likely to result in unemployment to lakhs of workers; and

(b) if so, the arrangements made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Out of 29 Sugar Mills, only 3 Mills are not in operation due to inadequate availability of sugarcane. The remaining 26 mills are in operation and are likely to crush larger quantities of sugarcane in 1968-69 than in the last season.

(b) Cane supplies are expected to increase in the next year due to increased cane plantation.

Allotment of Gram Samaj Land in U. P. and Bihar

2035. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the categories of persons to which Gram Samaj land is allotted in Uttar Pradesh and Bihar along with details in this regard and the basis on which such allotment is made ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : Information is being collected from the concerned State Governments and will be laid on the Table of the House, when received.

Allotment of Land to Ex-Servicemen in District Agra

2036. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Food & Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government had received applications from the landless and ex-Servicemen in 19 8 for allotment of land in Runekta area in Agra district ;

(b) if so, whether the land has been allotted to them ; and

(c) if not, the reasons therefor and the area of land lying uncultivated there. ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Village Runkuta, Tahsil Kiraoli, is in Trans Yamuna Area. All land vested in Goan Samaj in the said area, excepting villages Padkoli and Derik has been reserved by the State Government for afforestation and othere planned development. An area of approximately 19.0 Acres available in Village Runkuta is proposed to be brought under such planned use.

बिहार में खाद्यान्नों की काफी अच्छी फसल देने वाली किस्मों की खेती

2037. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में बिहार में कितने एकड़ भूमि में खाद्यान्नों की काफी अच्छी फसल देने वाली किस्मों की खेती की गई थी और प्रति वर्ष हर अनाज की हर किस्म की औसत प्रति एकड पैदावार कितनी थी और अनाजों की पुरानी किस्मों की प्रति एकड़ पैदावार की तुलना में वह कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ख) वर्ष 1969–70 के लिये बिहार में खाद्यान्नों की अधिक फसल देने वाली किस्मों की खेती सम्बन्धी योजना तथा इस योजना के लिये उस राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) बिहार में 1967–68 के दौरान लगभग 12.18 लाख एकड़ के क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई की गई थी। राज्य में खरीफ 1968 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानतः 5.25 लाख एकड़ क्षेत्रों में खेती की गई और रबी। गर्मी 1968–69 के लिये 9.31 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार के सम्बन्ध में उत्पादन के आंकड़े केवल खरीफ 1967 के लिये उपलब्ध हैं। इस मौसम के दौरान टी० एन० 1 धान की प्रति हैक्टेयर औसत उपज 3328 किलोग्राम थी और शकर मक्का की उपज प्रति हैक्टेयर 2964 किलोग्राम थी। यह उपज धान और मक्का की परम्परागत किस्मों से लगभग ढाई गुना अधिक थी।

(ख) 1969–70 के दौरान अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ने 21.00 लाख एकड़ भूमि के क्षेत्र में खेती करने की योजना बनाई है। इस में धान के अन्तर्गत 10.5 लाख एकड़ मक्का के अन्तर्गत 2. लाख एकड़ और गेहूं के अन्तर्गत 8.5 लाख एकड़ समाविष्ट है।

राज्य सरकार द्वारा खण्ड व जिला स्तर पर नियुक्त किये हुये अतिरिक्त स्टाफ के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिये जो केन्द्रीय सहायता मिली है उसके सिवाय और किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन

2038. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में बिहार मे खाद्यान्नों की अनुमानित उपज का, अनाज–बार, ब्यौरा क्या है और इस राज्य को प्रत्येक वर्ष बाहर की सप्लाई पर कितना निर्भर रहना पड़ा ; और

(ख) राज्य की चौथी योजना के अन्तर्गत खाद्य कार्यक्रम के लिये प्रस्तावित परिव्यय, योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को केन्द्रीय स्वीकृति कहां तक प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1967–68 के दौरान बिहार में खाद्यान्नों के उत्पादन का फसल-वार ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 237/69**] 1968–69 के लिए यह वित्त, 1968–69 के कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई,–अगस्त 1969 में किसी समय उपलब्ध हो सकेगा। 1967 और 1968 (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान बिहार को वास्तव में की गई खाद्यान्नों की सप्लाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े '000 मैट्रिक टनों में)

वस्तु	1967	1968
गेहूं	1,232.7	474.7
चावल	2.4	1.4
मोटा अनाज	826.6	25.3

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है अतः इसका विवरण योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही पता लग सकेगा।

बिहार में सिंचाई सुविधायें

2039. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितनी भूमि खेती योग्य है और उसमें से कितनी भूमि में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं और ये आंकड़े सारे देश के आंकड़ों की तुलना में कम हैं या अधिक ;

(ख) बिहार में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1969–70 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये बिहार में छोटी सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मूंगफली के तेल पर वसूली उप–कर

2040. श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को मूंगफली तेल उत्पादकों पर 15 प्रतिशत का अनिवार्य वसूली उप-कर लगाने की अनुमति दी है और 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम उप-कर मूल्य की सहमति दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा मूंगफली की उपज कम है;

(ग) यदि हां, तो इस उप-कर का आर्थिक औचित्य क्या है और मूंगफली के तेल की 15 प्रतिशत वसूली किस आधार पर निश्चित की गई है ;

(घ) उप-कर मूल्य 3.25 रुपये तथा 3.75 रुपये निश्चित करने का औचित्य क्या है; और

(ङ) इस कार्य को भारतीय खाद्य निगम को, जो पिछले वर्ष तक इस काम को करते आया है, सौंपने के बदले गुजरात राज्य विपणन समिति लिमिटेड को सौंपने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने गुजरात सरकार को मूंगफली का तेल उत्पादकों पर 15 प्रतिशत वसूली उप-कर लागू करने की मंजूरी दे दी है और प्रति किलोग्राम 2.50 रुपये का उप-कर लगाना मान लिया है।

(ख) 1968–69 के मौसम के लिये मूंगफली के उत्पादन के बारे में अभी पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) यह उप–कर योजना खपत कारों को उचित मूल्य पर मूंगफली के तेल का सम्भरण तथा वितरण बनाये रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। उप–कर का 15 प्रतिशत दर कई तथ्यों को ध्यान में रख कर निश्चित किया है जिनमें उत्पादों और खपतकारों के हितों की रक्षा भी समिलित है।

(घ) उप-कर मूल्य 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है न कि 3.25 रुपये या 3.75 रुपये प्रति किलोग्राम ।

(ङ) मूल रूप में यह विषय राज्य सरकार का है ।

गुजरात में खाये जाने वाले तेल का खरीदना और बेचना

2041. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारत के खाद्य निगम की गुजरात शाखा के बारे में छपे समाचार की जानकारी है जो "खाने के तेल की खरीद तथा बिक्री के गोलमाल" के बारे में है तथा इस सारे मामले की जांच का काम केन्द्रीय जांच विभाग के स्थान पर राज्य के भ्रष्टाचार–निवारण विभाग के विशेष दल को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार-निवारण विभाग के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इस गोलमाल के कारण गुजरात राज्य को अनुमानतः कितना घाटा हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम की गुजरात शाखा के कुछ उच्च पदाधिकारियों ने अन्य क्षेत्रों में तबादले की प्रार्थना की है ; और

(ङ) उक्त अधिकारियों ने तबादले के क्या कारण दिये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : भ्रष्टाचार-निवारण विभाग ने अभी जांच पूरी नहीं की है । अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई गोलमाल हुआ था और किसी को इसके परिणामस्वरूप घाटा उठाना पड़ा था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जेरिबुल नामक रेगिस्तानी चूहों द्वारा क्षति

2042. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शुष्क कटिबन्ध अनुसंधान संस्था ने रेगिस्तानी चूहे का, जिसे 'जेरिबुल' कहा जाता है, पता लगाया है ;

(ख) इन लाखों रेगिस्तानी चूहों ने प्रतिवर्ष फसलों, घास तथा वनस्पति की कितनी अनुमानित हानि की है ; और

(ग) क्या इस खतरनाक कीड़े को नष्ट करने का कोई सन्तोषजनक उपाय मालूम हुआ हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जंगली गर्बिल्स मुख्यतः घास खाते हैं जोकि भेड़ों और पशुधन का मुख्य चारा है । वनस्पतियों को होने वाली हानि की मात्रा उनकी संख्या पर निर्भर करती है । जिन क्षेत्रों में इनकी अधिक संख्या होती है वहां सरस घास खाकर गर्बिल पशुधन उद्योग के लिये एक जटिल समस्या खड़ी कर सकता है । उछलने–कूदने की क्रिया द्वारा भी वह वन–पौधों को हानि पहुँचाते हैं ।

(ग) जी हां । जंगली गर्बिल की प्रभावशाली रोक–थाम के लिये एक अत्यन्त सस्ता तरीका ढूंढ लिया गया हैं ।

Provident Fund of the Employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2043. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi had directed the Manager of Khadi and Gramodyog Bhawan, New Delhi to reimburse the amount of three month's Provident Fund to the employees' which was unduly recovered from them;

(b) if so, the reasons for which the said amount has not been reimbursed so far to the emplovees concerned when the Khadi Gramodyog Bhawan has paid the previous amount of the Provident Fund from both sides as per the rules; and

(c) the time by which the amount would be paid to the employees concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) and (c) : The matter is under consideration of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs who are in consultation with the Khadi and Village Industries Commission.

Telephone Service in District Banda

2044. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

a) whether it is a fact that the telephone service in District Banda, Uttar Pradesh, is very unsatisfactory; and that the voice is not heard clearly and the exchange employees show negligence in their duty and do not give connections properly as a result of which one has to speak loudly on phone; and

b) whether arrangemets would be made to remove the aforesaid defects ?

The Minister of State in the Minstry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : a) The telephone service in Banda District (Uttar Pradesh) has been unsatisfactory due to heavy copper wire thefts on the main trunk line Banda–Kanpur causing frequent interruptions and resulting in imperfect working of trunk lines and not as a result of employees neglecting their duties or not giving connections properly. There were as many as 186 such thefts during the year 1968.

b) Estimate for replacement of copper wire by aluminium wire has been sanctioned. Also one additional aluminium pair has been sanctioned between Banda and Kanpur. After execution of these works the telephone service is expected to improve.

Abolition of the Posts of Wireless Operators by Posts and Telegraphs Department

2045. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Commonications be pleased to state :

a) whether it is a fact that Met. Channel 'A' has been abolished in the Meterological Department, Delhi resulting in abolition of seven posts of Wireless Operators by Posts and Telegraphs Department;

b) if so, the reasons therefor;

c) whether it is also a fact that according to rules, senior-most Wireless Operators should be sent to Assam Circle from Delhi for 7-8 vacant posts there while junior persons are instead being sent there with the threat that they would be dismissed on refusal to go there; and

d) if so, the reasons for such irregularity ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : a) Yes Sir. As a result of the closure of the Met. Channel 'A', four Wireless Operators (not seven) have become surplus.

b) This was a circuit leased by P & T Department to the Meterological Department. The Met. Deptt. does not want this circuit any more.

(c) and (d) : Transfer out of the unit of recruitment is generally made from the Wireless Operators of the longest stay in a unit. But this being a case of abolition of posts the junior most persons have been sent as otherwise according to rules they would face retrenchment, and not dismissal as stated in the question.

कार निकोबार द्वीपों में सहकार समितियां

2046. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि कार निकोबार द्वीपों में "पानाम हिनेनगोस" नाम की सहकारी समितियां अपने ही तरीके से कार्य कर रही हैं जो उसके सदस्यों के हित में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कांडला उर्वरक कारखाना

2047. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अमरीकी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : एक प्रतिनिधि मडल, जिसमें सहकारिता विभाग में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लि० के प्रबन्ध निदेशक थे, ने (1) कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इन्टरनेशनल, यू० एस० कोआपरेटिव का एक दल जो आई० एफ० एफ० सी० ओ० को इस परियोजना की स्थापना तथा परिचालन में सहायता दे रहे हैं और (2) बैंक आफ अमेरिका जिसने यू० एस० एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डवेल्पमेंट गारंटीस के अन्तर्गत इस योजना के विदेशी मुद्रा के भाग के लिए डालर ऋण की व्यवस्था करने में आई० एफ० एफ० सी० ओ० को सहायता देना स्वीकार किया है, के साथ पहले हुए समझौते को कार्य रूप देने में आने वाली कुछ समस्याओं और तरीकों पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें सुलझाने की दृष्टि से सयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया।

(ग) इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप इस योजना के प्रति कोआपरेटिव फर्टीलाइजर इन्टरनेशनल की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट मतैक्य प्राप्त किए गए हैं और बैंक आफ अमेरिका के साथ पहले हुए अनौपचारिक समझौतों को भी औपचारिक रूप दे दिया गया है।

Food Productions in District Banda, U. P.

2048. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the nature of Schemes proposed to be started during Fourth Plan in Banda District (Uttar Pradesh) for increasing food production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : The Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

संसद सदस्यों के टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन

2049. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ टेलीफोन नम्बर जिसमें कुछ संसद सदस्यों के टेलीफोन नम्बर भी शामिल हैं, बदल गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके विशेषत: ससद सदस्यों के टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था एक बहु-एक्सचेंज व्यवस्था है और कभी-कभी विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में पुनः समर्जन के कारण टेलीफोन नम्बरों में, जिनमें संसद-सदस्यों के टेलीफोन नम्बर भी होते हैं, परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। सचिवालय (स्तर 3) एक्सचेंज के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन उपभोक्ताओं के नम्बरों में परिवर्तन इन्हें 5 अंकों से 6 अंकों में बदलने के कारण आवश्यक हो गया था। बाद के इस परिवर्तन का संसद-सदस्यों की बड़ी संख्या पर असर पड़ा हैं और इसे टाला नहीं जा सकता था।

बढ़ती हुई बेरोजगारी

2050. श्री शिव चन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा सरकार ने इन वार्षिक योजनाओं में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की थी तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या कितनी थी तथा तीसरी वार्षिक योजना की समाप्ति पर कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : इस विषय में उपलब्ध जानकारी केवल नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है जो नीचे दी गई है :—

तारीख	चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
31—3—1966	24,69,421
31—3—1967	25,60,503
31—3—1968	28,79,741
31—12—1968	30,11,642

तीनों पांच वर्षीय योजनाओं के दौरान चालू किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध हुए हैं।

(ग) विश्वसत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर अगस्त, 1968 में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति बेरोजगारी आगणन की रीतिविधान, श्रमशक्ति की वृद्धि एवं रोजगार अवसरों की उत्पत्ति की जांच करेगी तथा सुझाव देगी।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शेख अब्दुल्ला का भाषण

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में यह प्रथा है कि वादविवाद में चाहे जितनी जोशिली भाषा का प्रयोग किया जाये, परन्तु कार्य सूची में जो प्रश्न तथा अन्य बातें प्रकाशित की जाती है, उनमें जहां तक सम्भव हो किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाया जाता । अन्ततः शेख अब्दुल्ला हमारे देश का एक नागरिक है तथा वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये इस सभा में उपस्थित नहीं है । इसलिये उसके विरुद्ध इस प्रकार के आक्षेप लगाना तथा कार्यसूची में उन्हें प्रकाशित करना संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में वर्तमान शब्दों के स्थान पर "तथाकथित भाषण" शब्दों को प्रयोग किया गया होता, तो अधिक अच्छा रहा । फिर भी इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री अब मंत्री महोदय का ध्यान इस मामले की ओर दिला सकते हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I draw the attention of the Minister of Home Affairs on the following matter of Urgent Public Importance and request him to give a statement thereon :—

"The anti-national and Pro-Pakistan speech by Shekh Abdullah in Shrinagar on 28.2.1969 and a threat of bloodshed over the matter of Kashmir."

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सरकार ने 27 फरवरी को शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये निन्दनीय भाषण के समाचार देखे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह कहा बताया जाता है कि यदि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति पर शरणार्थियों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये तो रक्तपात होगा । यह भी बताया जाता है कि उन्होंने काश्मीर के युवकों को जागने और अपने अधिकार प्राप्त करने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तान के युवकों ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है । जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बात की पूरी जांच कर रही है ताकि वह निर्णय कर सके कि इस भाषण पर कानून के अधीन कोई दण्ड दिया जा सकता है अथवा नहीं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे अभी अभी जम्मू तथा काश्मीर सरकार से टेलीप्रिंटर पर उनके भाषण के बारे मे सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है, "हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह आग के साथ खेल रही है और भारत सरकार यहां पर खूनी नाटक खेलना चाहती है"

Shri Prakash Vir Shastri : Sheikh Abdullah had been arrested and released thrice without any firm conclusion about his political activities. The policy of the Government

in this regard has been very wrong. Sheikh Abdullah has been following a virulent policy, The pernicious speech which he had delivered in Srinagar should be an eye opener for the Government of India for taking any decision about him in future. His speech was not only anti-national and Pro-Pakistan, but he had requested Pakistan Radio also to give him full support. The Home Minister had made no reference about certain objectional pertions of Sheikh Abdullah's speech. Sheikh Abdullah has been carrying on pernicious propaganda against India in J & K, while Mr. Bhutto has been doing so in Pakistan. I want to know from the Home Minister whether his Intelligence Department has informed him of any collusion between Sheikh Abdullah and Mr. Bhutto ?

The main reason of the threat given by Sheikh Abdullah to play a bloody drama is the proprietary rights which are being given on the lands of those Muslims who crossed over to Pakistan in 1947 to those refugees who have come from Pakistan occupied Kashmir and have been living in Jammu since last 22 years. The Gajendargadkar Commission has recommended that those refugees should be given proprietory rights. This recommendation has been made by any impartial committee. I fail to understand why a threat of playing a bloody drama is being given. I was much purturbed to note that three Congress Members in J & K Assembly had openly said if the recommendations of Gajendargadkar Commission are accepted & J & K will be completely succeded from India. These are very unfortunate statements and neither the Chief Minister nor the Home Minister of J & K have contradicted these statements. I want to know the policy of the Government in regard to the recommendations of Gajendargadkar Commission report ? The Government should not sit silent over these recommendations. These are the recommendations of an impartial Commission. These should be implemented. I want to know the time by which there will be implemented ? Further I want to know how long Government is going to tolerate such objectionable speeches having open challenges of blood shed in J & K ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न किये हैं । मैं उनका यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने शेख अब्दुल्ला के भाषण के कुछ अंशों का उल्लेख नहीं किया है । मैंने शेख अब्दुल्ला समस्त भाषण का उल्लेख न करके केवल उन ही अंशों का उल्लेख किया है, जिनको मैं आपत्तिजनक अथवा निन्दनीय समझता हूं । मुझे ज्ञात है कि शेख अब्दुल्ला कभी-कभी बहुत ओजस्वी भाषण दे देते हैं । अन्ततः हमें इस बात का मूल्यांकन करना है कि वास्तव में वह क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं । मैं उस मूल्यांकन के आधार पर ही यह निश्चय करना होगा कि हम उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार पूरी जांच कर रही है ।

इस मामले का दूसरा पहलू दूसरी ओर से आये हुए शरणार्थियों को भूमि के स्वामित्व के अधिकार देने से सम्बन्धित है । वास्तव में यह प्रश्न उन्हें भूमि पर स्थायी अधिकार देने का प्रश्न है । इस मामले पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार विचार कर रही है । वह एक विधेयक पर विचार कर रही है, जिसे प्रवर समिति के पास भेजा गया था । मैं समझता हूं कि वह विधेयक प्रवर समिति से वापस आ गया है और उस पर प्रवर समिति ने एक प्रतिवेदन पेश किया है । उसमें कुछ कानूनी पहलू निहित हैं तथा कानूनी पहलुओं पर महान्यायवादी की राय ली जा रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार का कहना है कि उस भूमि को निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग उस क्षेत्र में गये हैं जिस पर हम अभी तक अपना दावा करते हैं। इसलिये उस भूमि को निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता। फिर भी यदि इस भूमि के स्वामित्व के स्थायी अधिकार यदि शरणार्थियों को देने हैं, तो पहले इसका अर्ज न करना होगा। दुर्भाग्यवश शेख अब्दुल्ला ने इस प्रश्न को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया है। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसीलिये मैंने इसे निन्दनीय कहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : माननीय मंत्री ने गलत बियानी की है। वे पाक-अधिकृत क्षेत्र में नहीं गये हैं, बल्कि पाकिस्तान में गये हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has not answered my question, My question was as to what was the reaction of the Government regarding the recommendations of the Gajendargadkar Commission report and why Government was silent about it?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रश्न भारत सरकार के चुप रहने का नहीं है। वह आयोग जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसलिये इस मामले में शीघ्रता से कोई राय व्यक्त करना भारत सरकार के लिये उचित नहीं है।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : शेख अब्दुल्ला हताश व्यक्ति हैं, चूंकि उन्होंने भारत सरकार को अपने साथ बातचीत करने को बाध्य करने के जितने प्रयत्न किये हैं उन सबमें वे विफल रहे हैं। परन्तु यह बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने अपने भाषण में सारे मामले को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयत्न किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें साम्प्रदायिकता फैलाने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं तथा उसका उचित मूल्यांकन कर रहे हैं। अन्ततः जो कुछ कार्यवाही की जायेगी, वह केवल अकेले शेख अब्दुल्ला पर नहीं, बल्कि इस बात को देखकर की जायेगी कि काश्मीर घाटी की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह काश्मीर की स्थिति पर तथा शेख अब्दुल्ला पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस आश्वासन का कोई महत्व नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है उससे सरकार के सम्मान को बहुत धक्का लगा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार एक बेकार सरकार है तथा सेवानिवृत राजनीतिज्ञों द्वारा चलाई जा रही है। शेख अब्दुल्ला वहां विस्फोटक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने सारे मामले को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया है। अतः यह समस्या केवल काश्मीर की समस्या नहीं है, अपितु सारे भारतवर्ष की समस्या है। इसको केवल विधि तथा व्यवस्था की समस्या समझ कर निबटाना उचित नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या काश्मीर के लोगों को यह बताने के लिये कि वे साम्प्रदायिकता से दूर रहें, एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल वहां भेजा जायेगा?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक जन आन्दोलन चलाया जाना चाहिये और लोगों को यह बताया जाना चाहिये कि वे साम्प्रदायिकता से दूर रहें। यदि माननीय सदस्य वहां कोई शिष्टमंडल ले जाना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यों को सब सुविधायें देने को तैयार हूं।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार वहां कोई शिष्टमंडल भेज रही है ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The unity of the country is more important than Sheikh Abdullah and Kashmir. It is the first and foremost duty of the Government to preserve the unity of the country at all cost. If Government does anything or allows anything to happen which is against the unity of the country it amounts to the betrayal of public faith and violation of the Constitution. The National Integration Committee was formed to preserve the unity of the country. The purpose of holding its meeting in Kashmir was also to preserve the unity of the country. It was decided in the meeting of the National Integration Committee that rsligious place i.e. Mosques, Temples and Gurudwaras will not be allowed to be used for political purposes. But to-day these only places are being used for fanning up communal haered. This deplorable speech has been delivered by Sheikh Abdullah from Jama Masjid at the occasion of Id. Seikh Abdullah wants to become the overlord of Kashmir. In order to achieve this end he first went to America and then to China. But he failed to do anything, Now he is fanning up communal hetired in order to achieve his end. His trur picture is now before the public. His secularism has gone. He has given a dangerious statement. He has branded President Ayub Khan a Mashiha. He has instigated the people of Kashmir to rise in violent revolt like the youth of Pakistan. He has said that if the recommendations of Gajendargadkar Commission are implement blood shed will follow and there will be Hind-Muslim riots in Kashmir. So I want to know from the Government whether keeping in view the resolution passed by National Integration Committee any action will be taken against Seikh Abdullah under the Unlawful Activities Act, or he will be allowed to spread communal haered ?

Secondly Kohli Commission was appointed by the Ministry of Home Affairs but its report had been thrown into waste paper basket. I want to say that those refugees belong to Kashmir, they are Kashmiris whether they are Hindus or Muslims, it is immeterial. So the property of those who had gone to Pakistan should be given to these people irrespective of the fact whether they were Hindus or Muslims. I want to know the view expressed by J & K Government regarding the recommendations of Gajendargadkar Commission ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की बहुत सी बातों का पहले ही उत्तर दे चुका हूँ, तथापि मैं उनकी एक या दो बातों का पुनः उत्तर दूंगा। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम राष्ट्रीय एकता परिषद् की श्रीनगर में हुई बैठक की मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों आदि के इस्तेमाल के बारे में की गई सिफारिशों के अनुसार कोई कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य को शायद ज्ञात होगा कि इस सम्बन्ध में सभा में एक विधेयक पेश किया गया था तथा उसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। प्रवर समिति ने कुछ दिन पहले उसे वापस किया है तथा अपना प्रतिवेदन पेश किया है, जिस पर सभा में विचार किया जायेगा। उन्होंने विधि विरुद्ध गतिविधियां विधेयक के बारे में पूछा है। इस बारे में अभी तक कुछ

कानूनी सन्देह है कि यह विधेयक काश्मीर पर लागू है अथवा नहीं। हम इस बात को स्पष्ट करने के लिये एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत करेंगे। जहां तक गजेन्द्रगडकर आयोग का सम्बन्ध है, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि इस भारत सरकार अथवा गृह मंत्री द्वारा नहीं, अपितु जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

Shri Deven Sen (Asansol): Sir, I had given a notice.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। सभा में सूचनाओं का उत्तर नहीं दिया जाता। यदि मैं प्रत्येक सूचना का उत्तर देने लगूं, तो सारा दिन उत्तर देने में ही चला जायेगा।

Shri Deven Sen : I want to know whether that has been rejected or not ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सभा में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री हो० ना० मुकर्जी : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा एक पार्टी के उप नेता है। यदि आप मुझ से मेरे कक्ष में मिलें तो अधिक अच्छा होगा। मैं आपकी सलाह का लाभ उठाऊंगा। मैं केवल श्री मुकर्जी से नहीं अपितु सब वरिष्ठ सदस्यों से पूछ रहा है, हो सकता है नये सदस्यों को सभा की प्रक्रिया अथवा नियमों की जानकारी न हो, क्या उन सब प्रस्तावों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनकी सूचनायें मिली हों, परन्तु जिन्हें कार्यसूची में शामिल न किया गया हो। मैं समझता हूँ ऐसे करना सम्भव नहीं है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मैं मानता हूं कि साधारणतया उन प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया जाता, जिन्हें आप अस्वीकार कर देते हैं, परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी एक आध प्रस्ताव का उल्लेख किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। गृह-कार्य मंत्री ने हाल में कहा था कि भारत सरकार राज्यपाल की सलाहकार नहीं है, लेकिन मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को यहां उठाया जाये।

श्री मधु लिमये।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

लोह तथा इस्पात विभाग के कुछ अधिकारियों का लोक-लेखा समिति के समक्ष साक्ष्य

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to move :

"कि लोहा तथा इस्पात विभाग के भूतपूर्व सचिव, श्री एन० एन० वाचू और तत्कालीन लोहा तथा इस्पात उप-नियंत्रक श्री ए० सी० मुखर्जी द्वारा लोक-लेखा समिति के समक्ष कक्षित मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के कारण उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

Sir, Shri Wanchoo, Former Secretary, Department of Iron and Steel and Shri Mukherjee, then Deputy Iron and Steel Controller fabricated a misleading evidence and placed it before the important committee of Parliament. Regarding matters concerning steel barter and Pre-imports, with which the notorious Am chand Pyare Lal, Ram Krishna Kulwant Rai and other firms were connected, Shri Wanchoo, in presence of Shri Mukherjee, gave a false evidence.

When asked by the sub-committee of P. A. C. to state the terms on which the Finance Ministry had agreed with the suggestions of the Iron and Steel Ministry regarding import of such Steel, the Joint Secretary of the Finance Ministry replied that they have imposed two conditions viz :-

(1) There should be a definite agreement in regard to exports, and an assurance should be obtained from the banks that the foreign exchange earned through these exports would, in fact be remitted to India ; and

(2) These firms must give 15 percent bank guarantee. When, on the basis of this information the P. A. C. recorded evidence of Shri Wanchoo and asked him if the Steel Controller had followed those instructions properly, he replied that the instructions of the ministry left some room for different interpretation and he felt the instructions of the Ministry were not as clear as they ought to have been on the particular point, viz., what was intended. When enquired by the Sub-committee if there was any misunderstanding on this point between the Economic Affairs Department and the Ministry of Iron and Steel, he further stated : I would not say that, the Ministry of Iron & Steel do not seem to have translated the instructions of the Economic Affairs Department in clear and unambiguous terms."

On the basis of this evidence which misled PAC, they observed in their 25th Report that the Sub Committee regretted to observe that these views of the Ministry of Finance were not communicated in clear and unambiguous terms by the Department of Iron and Steel and the Committee could not depricate in strongest words this failure on the part of the Iron and Steel Ministry.

Now what I want to stress is the evidence given by Shri Wanchoo was nothing else than a concocted story and by doing so, he supressed the truth and misled the Parliament.

The correspondence entered into between the Steel Minist y and the Steel Controller on this subject itself shows clearly that Shri Mukherjee himself wanted clarifications about the instructions of the Finance Ministry for the notorious Firms like Amichand Pyare Lal were existing pressure on him with full force at their command.

The Steel Controller even after getting clairifications, violated the instructions of the Finance Ministry which were communicated to him in clear and unambiguous terms.

But not only that, while giving evidence before the P. A. C., they wilfully suppressed the truth and proofs which were there on the Govt. files, and induced the committee exonerate the steel controller of all the responsibilities that devolve on him in his capacity as such.

There have been rulings that Parliament can function as a court. Shri M. N. Kaul and Shri S. L. Shakdher in their "Practice and Procedure of Parliament" have stated "Prevaricating, giving false evidence, or wilfully supressing truth or presistently misleading a Committee is a breach of Privilege and constitutes a contempt of Parliament.

I would like to invite the attention of the House to the sections of the Indian Penal Code under which a person is liable to undergo seven years imprisonment on the conviction on a charge of perjury and fabrication of false evidence. I, therefore, charge Shri Wanchoo and Shri Mukherjee with committing a serious offence, and this has been done under the pressure from the corrupt traders.

In Parliamentary system of democracy which we have, a Minister is held responsiblefor the commissions and ommissions of his officials and he has to pay a price for that. But in this particular case, the situation s otherwise. I hope the whole matter would be referred to the Committee of Previleges for their examination and opinion and the officers involved, who one guilty of giving false evidence before a Statutory Committee of Parliament, would not be shown any leniency.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मुझे माननीय सदस्य के प्रति सहानुभूति है और मैं भी इस पक्ष में हूं कि संसदीय समितियों के समक्ष सत्य साक्ष्य दिये जाने चाहिए । लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाने की मांग की गई है उससे भविष्य में ऐसी सम्भावना है कि समितियों के समक्ष अधिकारी स्पष्ट तथा निर्भयता से विचार व्यक्त करने तथा निष्पक्ष जानकारी देने में हिचकेंगे, कई बार अधिकारी स्पष्ट रूप से गलतियां स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे । यदि हम प्रस्तावित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे तो वे फिर ऐसा नहीं करेंगे ।

इस विशेष मामले में, पुरानी समिति इस मामले को 1966 में सरकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने तक स्थगित कर दिया था । वह अब रिपोर्ट मिल गई है केवल कुछ दिन पहले मंत्रालय से "की गई कार्यवाही टिप्पणियां" प्राप्त हुई हैं । अब वर्तमान समिति 30 अप्रैल तक 'एक्शन टेकन" रिपोर्ट में इस मामले पर रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही इस प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित होगा । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि तब तक इस मामले को स्थगित रखा जाये और लोक-लेखा समिति इस पर विचार करके अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल तक दे देगी— उस समय समिति श्री मधुलिमये के वक्तव्य पर भी विचार करेगी और यदि उसे सच पाया गया तो समिति इस बारे में खुद ही रिपोर्ट देगी ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनचा) : ऐसा लगता है कि भूतपूर्व इस्पात सचिव, श्री एन० एन० वांचू ने 1960 के कुछ मामलों के बारे में पांच-छः वर्ष बाद, लोक-लेखा समिति को जानकारी देने में कुछ गलतियां की थीं, लेकिन उन्होंने इस समिति को अपनी गलती से शीघ्र अवगत करा दिया था । श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में इस्पात सौदों के बारे में जांच समिति द्वारा जांच के दौरान भी श्री वांचू ने उन गलतियों का

फिर से उल्लेख किया था और उन्हें छिपाने का उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया । सरकार समिति उनके विरूद्ध किसी प्रतिकूल अनुमान पर नहीं पहुँची । लेकिन इस समिति के एक सदस्य ने अपनी विमति टिप्पणि में यह विचार व्यक्त किया गया कि श्री वांचू को श्री मुखर्जी ने गुमराह किया था, परन्तु श्री वांचू के विरूद्ध उस सदस्य ने भी कोई प्रतिकूल विचार व्यक्त नहीं किये ।

मैं सभा को इस मामले की परस्थितियों की केवल मोटी रूपरेखा से अवगत कराने के लिये इन बातों का उल्लेख कर रहा हूँ । सरकार समिति के एक सदस्य ने भी मुखर्जी के आचरण के बारे में सन्देह व्यक्त किये हैं । इसलिये यह हम सब के हित में हैं कि श्री मुखर्जी के आचरण के बारे में जो संभाव्य सन्देह व्यक्त किये गये हैं उनकी विशेषाधिकार समिति जांच करे । श्री वांचू के मामले में सन्देह की रत्तीमात्र भी गुंजाइश नहीं है फिर भी श्री मुखर्जी के साथ उनका मामला जुड़ा होने के कारण सरकार को इन दोनों मामलों के विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इसे सरकार द्वारा भी मान लिया गया है अतः मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :—

"कि लोहा तथा इस्पात विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री एन० एन० वांचू और तत्कालीन लोहा तथा इस्पात उप-नियंत्रक श्री एन० सी० मुखर्जी द्वारा लोक-लेखा समिति के समक्ष कथित मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के कारण उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

'रेडियो तथा टेलीविजन' पर प्रसारण तथा सूचना के माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री इ० कु० गुजराल की ओर से 'रेडियो तथा टेलीविजन' पर प्रसारण तथा सूचना के माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-211/69]

कम्पनी अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्रतिवेदन

श्री डा० एरिंग : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 तक की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का 1968 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) मद्रास एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-212/69]**

(2) पशुओं के प्रति निर्दयता का निदारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन भारवाही तथा पंक पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4486 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-213/69]**

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश भू-राजस्व सम्बन्धी उपबन्ध (रामपुर पर विस्तारण) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 5) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 4 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-214/69]**

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री शेरसिंह की ओर से भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन भारतीय तार-यन्त्र (दूसरा सन्शोधन) नियम 1969 की एक प्रति जो दिनांक 8 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 247 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 248 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 215/69]**

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned for lunch till Fourt en of the clock.

लोक-सभा मध्यान्ह् भोजन के बाद 2 बजकर 3 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at three minutes past Fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair.* }

सामान्य आय-व्ययक 1969-70 सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET GENERAL DISCUSSION 1969-70

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1969-70 के आय-व्ययक (सामान्य) पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी ।

श्री प्र० के० देव (कीलाहोडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आय-व्ययक प्रस्तावों पर सम्पूर्ण चर्चा संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हैं क्योंकि उससे सातवी अनुसूची की सूची की मद 86 का उल्लंघन होता है जो इस प्रकार है ।

"Taxes on the Capital value of the assets, exclusive of agricultural land, of individuals and companies; taxes on the Capital of Companies."

इसमें स्पष्ट है कि कृषि भूमि इससे वाध्य है उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने अपने आय-व्ययक प्रस्तावों में कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर की व्यवस्था की है । सरकार संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत केन्द्र की अवशिष्ठ शक्तियों का तर्क नहीं दे सकती है क्योंकि सूची II की मद संख्या 49 इस प्रकार है ;

"Taxes on lands and buildings."

वह स्पष्ट रूप से राज्य विषय है । इससे राज्य की स्वायत्तता का हनन होता है और राज्यों की कर लगाने की क्षमता पर प्रतिबन्ध लगता है । इस समय बहुत से राज्यों में कृषि आय कर लगाया जा रहा है । इससे उन राज्यों का गला घोटा जायेगा जिनके पास वहुत अपर्याप्त ससधान हैं और इस राशि प्रयोग उन राज्यों को संरक्षण देने में किया जायेगा जो केन्द्र के पीछे पीछे चलते है, इस बारे में वित्त मन्त्री को खुद सन्देह है । इसके अलावा इस दौरान जो बातें हुई उनसे तथा छपे आय-व्ययक की प्रति में बाद में लगाई गई चिट से तथा प्रधान मन्त्री के देर से आने पर यह साबित होता है कि मन्त्रिमण्डल के अन्दर भी इस मामले पर तीव्र मतभेद है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में इस आय-व्ययक पर तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि इस उपबन्ध को उसमें से निकाल न दिया जाये । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक वित्त मन्त्री ऐसा नहीं करते सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा करने की अनुमति न दी जाये । मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I had addressed a communication to you and I may now be allowed to raise a point of orders.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह श्री प्र० के० देव द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करना चाहें, तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह काफी लम्बा पत्र है जो उन्होंने भेजा है।

Shri Madhu Limaye : Sir I am raising this matter to day because I was not allowed to raise objections on the e proposals when I rose to oppose the Financial Bill. I had raised the question with regard to Constitutional validity of the two proposals viz., the duty levied on the import of fertilizers.....(Interruptions).

श्री नारायण दाण्डेकर : वह इस प्रकम पर इस बारे में तर्क कैसे उठा सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था क्योंकि उस दिन उन्हें अपने पूरे तर्क पेश नहीं करने दिये गये थे। यदि मैं उन्हें इस वक्त रोकता तो फिर भी प्र० के० देव को भी रोकना पड़ता था। अब प्रस्ताव एक विधेयक के रूप में है इसलिये इस बात को उठाने का वक्त इस समय नहीं है। जब विधेयक सभा के समक्ष आयेगा, तब यह बात उठाई जा सकती है।

Shri Madhu Limaye : I am not speaking on that, I am speaking about the budget.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। लेकिन आप संक्षिप्त में कहिये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, my first point is that the Constitutional objections raised by me have been supported the Chief Minister of Punjab, information Minister of West Bengal, Shri Mohite of Maharashtra and other persons.

The following sentence was not in the copies Budget speech circulated to the Member immediately after the Budget speech delivered by the Finance Minister:—

"I shall, however, consider as to how genuine agriculturists can be exempted from the purview of this measure and will be moving the necessary amendment to the Finance Bill at the appropriate time."

Next day we received a slip with the parliamentary papers in which the word 'erratum' was written. According to Oxford Dictionary 'erratum' means "Error in printing of writing." In this connection I raise a point of order that efforts are being made to mislead the House. On the one hand we are told that it is an error in printing or writing and on the other hand subsequently Shri T. P. Singh made a press statement in which he said:-

"Since the proposal was first for mulated, the Deputy Prime Minister had second thoughts about the scope of the proposals."

In this connection I want to know the exact position. According to my information budget proposals in respect to impossing taxes on fertilizers were opposed by the other Members of the Cabinet that was why they were not present here at the time of budget speech by the Deputy Prime Minister. The Prime Minister gave chick to the Deputy Prime Minister to read alongwith the budget speech when he came in the House. There are differences of opinions in the Cabinet itself that is why such things arise and certains changes are effected at the eleventh hour.

My second point of order is about the leakage of budget proposal in Bombay and other places before the announcement in the House as a result of which hoarders like M/s. Gokul Chand Morarka have hoarded a huge stock of sugar and synthetic yarn for making big profits. I do not hold any particular individual responsible for it but at the same time I want that this matter should be investigated to find out the truth and the guilty persons.

My last point is about the charges levelled on us by Shri Morarji Desai in Ahmedabad while delivering a speech there. He said that we want cheap publicity and do not want to pay taxes. In this connection I would like to make it clear that I have not even one 'bigha' of land and therefore there is not question that I do not want to pay tax.

Mr. Deputy Speaker I want your ruling on all the above three points raised by me.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत सामान्य है। कृषि-भूमि की परिभाषा क्या है ? कृषि-भूमि में कृषि सम्बन्धी सभी कुछ शामिल है। कृषि भूमि में इमारतें, पम्पिग सेट, नलकूप आदि सभी कृषि भूमि के अन्तर्गत आते हैं। संघ संवर्ती सूची की मद संख्या 86,87,88 के अनुसार केन्द्रीय सरकार कृषि पर कर नहीं लगा सकती है। नलकूपों, पम्पिग सेटों पर केवल राज्य सरकार ही कर लगा सकती है। उर्वरकों का उपयोग कृषि के विकास के लिये किया जाता है, अतः उस पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want to know whether the hon. Finances has consulted the Atorney General while imposing tax on fertilizers, pumping sets etc. The hon. Minister's reply will make the discussion easy in this subject.

श्री एस० कडप्पन (मैट्टूर) : उप मन्त्री हमें स्पष्ट रुप से यह बताएं कि क्या उर्वरकों के बारे में राज्य सरकारों को कोई आदेश दिये गये थे। तमिलनाडु में लगभग 23 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक थे। तमिलनाडु सरकार नये कर लागाये जाने से पहले किसानों को ये उर्वरक बेचना चाहती थी। कुछ दिन पहले राज्य सरकार को तार द्वारा आदेश दिया गया कि वह पुराने मूल्यों पर उर्वरक न बेच कर उन्हें नये मूल्यों पर बेचे। जब इस प्रकार की बातें हो रही है तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने का इससे उपयुक्त अवसर और क्या हो सकता है ? वित्त विधेयक के पारित हो जाने से पहले क्या यह उचित हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे कि वे नये मूल्यों पर उर्वरक बेचे ? यह संविधान के प्रतिकूल है।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : करों की अन्तःकालीन वसूली अधिनियम के अनुसार कोई भी अप्रत्यक्ष कर घोषित किये जाने के बाद वसूल किया जा सकता है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : माननीय सदस्य श्री लिमये ने आरोप लगाया है कि बजट प्रस्तावों के बारे में सभा में उनकी घोषणा से पहले ही लोगों को पता लग गया था। यह एक गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य को इस बारे में विधिपूर्वक प्रस्ताव सभा में लाना चाहिए और उसकी पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें कुछ सच्चाई है तो इस मामले की जांच की जानी चाहिए। माननीय सदस्य का यह

कहना भी है कि उर्वरक पर कर लगाने के अर्थ कृषि पर आय कर लगाना है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय का एक विशेष तात्पर्य होता है ।

Shri Sheo Narain (Basti): Shri Limaye has charged the Finance Minister for the leakage of budget proposals. If the hon. Member may not be able to prove this charg, the whole matter may be referred to the Privileges Committee.

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होता यदि Erratum के स्थान पर Correction या Addendum शब्द का प्रयोग किया जाता ।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, अभी बजट पर बहस हो रही है । ये बाते विनियोग विधेयक पर विचार करते समय उठाई जानी चाहिए ।

जहां तक बजट प्रस्तावों के बारे में समय से पूर्व पता लगने के सम्बन्ध में आरोप का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को बिना प्रमाण के इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए । यदि माननीय सदस्य आरोप लगाना चाहते हैं, तो वह कोई ठोस प्रस्ताव सभा के सामने ला सकते हैं । इस प्रकार की बातें सभा के गौरव को कम करती हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : महान्यायवादी से राय लेने के बारे क्या स्थिति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस उचित अवसर पर लेगे । यह देश का कानून नहीं है । उन्होंने अपनी बात के समर्थन में इसका उल्लेख किया है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Finance Minister is in the House and this subject is going to be discussed. He may make it clear whether the opinion of the Attorney General was obtained or not.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने इस मामले में महान्यायवादी से परामर्श किया है और उनकी राय मेरे पास है ।

श्री मो० रू० ममानी (राजकोट) : महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब कभी भी हम कोई कार्य करें तो हमें उन निर्धन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके लिये हम वह कार्य कर रहे हैं । हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे निर्धन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । इस वर्ष हम गान्धी जन्म शताब्दी मना रहे हैं अतः वित्त मन्त्री महोदय का बजट तैयार करते समय महात्मा गांधी के उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखना चाहिये था । बजट में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं होना चाहिए था जिसका भार निर्धन जनता को वहन करना पड़े ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत के तीन व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति अपने पर एक रुपया दैनिक व्यय कर सकता है। गांवों में प्रति व्यक्ति औसत आय 50 पैसे दैनिक और शहरों में प्रति व्यक्ति औसत आय 80 पैसे

दैनिक है। यह दुख की बात है कि वर्ष 1952 से अब तक अपने पर एक रुपया व्यय न कर सकने वाले व्यक्तियों के अनुपात में कमी नहीं हुई है। मैं ऐसे लोगों में गांवों के छोटे किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को लेता हूं।

कम आय वाले जिन लोगों को महंगाई भत्ता आदि नहीं मिलता है उन पर इन बीस वर्षों पर कर तथा मुद्रा स्फीति का भार बढ़ता हो गया है और वे उत्तरोत्तर कठिनाइयों का सामना करते आ रहे हैं। क्योंकि इस वर्ग की आय तो निश्चित है किन्तू निर्वाह व्यय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट का भी इसी वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने उत्पादन शुल्क एक निर्धारित आधार पर लगाने के स्थान पर तथा मूल्य आधार पर लगाने का निर्णय करते हुए कहा था कि सरकार उत्पादन शुल्क से मुनाफा कमाना नहीं चाहती है किन्तु इसके बावजूद उत्पादन शुल्क से सरकार को लगभग ढाई करोड़ की आय होगी। यथा मूल्य उत्पादन शुल्क लगाने से साबुन कारखानों को 1·30 करोड़ रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा और यही बात सीमेन्ट कारखानों पर लागू होती है। इस अतिरिक्त कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि उत्पादक हानि उठाकर इस भारको कदापि वहन नहीं करेंगे। अतः मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करके इस कर का भार उपभोक्ताओं पर न डालने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

अब मैं इस बजट का गांवों के किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ कहूंगा। आज हमारे देश के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है यद्यपि देश का भरण-पोषण यही किसान करते है। किसान का सभी तरह से शोषण किया जाता है। उसे उसके उत्पादों का लाभ-प्रद मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि सरकार ने अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा रखे है और कृषि उत्पादों को अधिकतम मूल्य निर्धारित किये जाते है और उन्हीं मूल्यों पर उसके उत्पादों की वसूली की जाती है। दूसरी ओर किसान को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बहुत अधिक मूल्य पर बाजार से खरीदनी पड़ती है क्योंकि बाजार भाव पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। पिछले कई वर्षो के सूखे के बाद इस वर्ष कुछ फसल अच्छी हुई है और किसान को कुछ आशा सी बंध गई थी कि वह कुछ सम्भल सकेगा। किन्तु सरकार अब उर्वरकों, पम्पिग सेट आदि उसकी आवश्यकता की वस्तुओ पर कर लगाकर फिर उसकी कमर तोड़ रही है। इस समय भारत में उर्वरकों का नियन्त्रित मूल्य 860 रुपये प्रति टन है जब कि आयात किये जाने वाले इसी प्रकार के उर्वरक 490 रुपये से लेकर 560 रुपये प्रति टन तक मिलते हैं। यह दुख की बात है कि उर्वरक के इतने अधिक मूल्य किसी देश में नहीं हैं।

पम्पिग सेटों के मामले में स्थिति और भी अधिक खराब है। सरकार अभी तक अपेक्षित मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाई है। बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की तुलना में पम्पिग सेट किसान के लिये अधिक उपयोगी है। किन्तु सरकार पम्पिग सेटों पर भी कर लगा रही है जबकि देश में बनने वाले पम्पों के वर्तमान मूल्य ही आयातित पम्पों के मूल्यों से अधिक है। 3 अश्व-शक्ति के पम्प का मूल्य 2390 रुपये है जबकि आयातित पम्प लगभग 1172 रुपये

में मिल जाता है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समय मूल्यों में और वृद्धि उचित थी। क्या इससे देश की समस्या हल करने में मदद मिल सकती है। उत्पादन शुल्क से लगभग कुल 47 करोड़ रुपये की आय होगी न कि 22 करोड़ रुपये की जैसा कि कहा जा रहा है। कुछ समय पहले उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता बन्द कर दी गई थी जिससे किसानों को 37 करोड़ रुपये का अधिक भार वहन करना पड़ रहा है। वर्तमान वृद्धि से किसानों को गत वर्ष की तुलना में 80 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा उर्वरकों और पम्पिंग सेटों पर कर लगाना नितान्त अनुचित है और हम इसका अन्त तक विरोध करेंगे।

कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ महानुभावों का कहना है कि जब शहरी सम्पत्ति पर सम्पति कर लगाया जाता है तो ग्रामीण सम्पत्ति पर यह क्यों न लगाया जाये। उन्हें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रगति कृषि की उन्नति पर ही निर्भर है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात रही है कि ब्रिटिश शासनकाल से आज तक के शासन में कृषि को उपेक्षा ही की जाती रही है। अब थोड़ा बहुत कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रगति दिखाई दे रही थी। किन्तु सरकार का दृष्टिकोण उसके प्रति अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा देश कृषि के मामले में उन्नति नहीं कर सकता है और कृषि में उन्नति न होने का तात्पर्य समूचे देश का पिछड़ा रह जाना है।

मैं समझता हूं कि किसानो के प्रति उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उन पर कर तो बाद में भी लगाया जा सकता है। एक बार देश को शस्यश्यामला तो हो जाने दीजिये। आज मानसून की अनिश्चिता के कारण पहले ही दुखी है और उस पर ऊपर से ये कर लगाये जा रहे हैं।

मुझे आशका है कि सरकार की इस प्रकार के व्यवहार से वर्ग युद्ध हो जायेगा। हम समाचार-पत्रों में कृषि तथा किसानों की समृद्धि के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं वह एक पक्षीय दृष्टिकोण है। यह सब कुछ अनावश्यक विचारधारा है। आज पहले ही देश में भाषा आदि के सम्बन्ध में अनेक विवाद चल रहे हैं। हमें इस ओर अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किसानों की दयनीय दशा को और अधिक दयनीय नहीं बनाया जाना चाहिए। आज शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की जनता के साथ सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए। वैसे इन दोनों क्षेत्रों की के हितों में कोई मूलभूत विरोध नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों को समृद्ध होना चाहिए और दोनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वास्तव में यदि परस्पर विरोध वाले कोई वर्ग है तो वे है—पूंजीपतियों का वर्ग और निर्धनों का वर्ग। पूंजीपति वर्ग अधिकाधिक समृद्ध बनता जा रहा हैं और देश के सभी क्षेत्रों में अपना एकताधिकार जमाता जा रहा है और दूसरा वर्ग है निर्धनों का—जिनकी संख्या बहुत अधिक है जो जनता के नाम से पुकारा जाता है।

गत बीस वर्षों में केवल नगरीय क्षेत्र के लोगों पर ही कर लगते रहे हैं और करों का अत्यधिक भार निम्न मध्य वर्गीय लोगों पर बढ़ता रहा है। जो लोग अब उर्वरक और पम्पिंग सेटों पर लगे करों का और कृषि सम्पत्ति कर का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने नगरीय जनता पर

लगे करों का विरोध कभी नहीं किया। क्या वे लोग सहानुभूति के पात्र नहीं थे। यदि नगरीय क्षेत्र के लोगों ने देश के लिए भार वाहन किया तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कर भार को वहन करना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव के लिए वित्त मन्त्री का स्वागत करता हूं। परन्तु "वास्तविक कृषक" से उनका क्या तात्पर्य है। राजस्व के प्रमुख स्रोत को उन्होंने कसौटी माना है। परन्तु इससे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह असंवैधानिक है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जो जन्म से कृषक नहीं है उस पर कर लगना चाहिए चाहे वह कितना ही अच्छा किसान क्यों न हो। मेरे विचार से जो भी खेती का काम करता है और देश की प्रगति में योगदान करता है, वह वास्तविक कृषक है।

मैं सम्पत्ति कर का विरोध करता हूं। एक लाख रुपये की सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाना उचित नहीं है क्योंकि आजकल एक लाख रुपये युद्धपूर्व के 20000 रुपये के बराबर हैं। इस राशि को सम्पत्ति नहीं माना जा सकता। दूसरे सम्पत्ति कर का लगाया जाना सरकार के लिए लाभकारी नहीं है क्योंकि इस कर में अपवचन की गुंजाइश अधिक होती है। इसमें यह उपबन्ध है कि यदि सम्पत्ति का मूल्यांकन 20 प्रतिशत कम किया गया तो उसे दण्ड के रूप में अतिरिक्त देना होगा। मेरे विचार से भूमि के मूल्य ठीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। एक एकड़ भूमि का मूल्य एक व्यक्ति के लिए 5000 रुपये हो सकता है और दूसरे के लिए 10000 रुपये। यदि सरकार कर अपवंचन समस्या को समाप्त करना चाहती है तो उसे इस उपबन्ध को समाप्त कर देना चाहिए। इस बजट में पैट्रोल पर भी उपकर बढ़ाने का प्रस्ताव है, मैं इसका भी विरोध करता हूं। तेल कम्पनियां केवल 19 पैसे प्रति लिटर लेती है जबकि उस 75 पैसे कर लगा हुआ है। कसकर समिति प्रतिवेदन में डीजल और पैट्रोल पर लगे ऊंचे करों का विरोध किया गया है। उसमें लिखा है कि इससे सड़क यातायात के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस कर की अधिकता का अनुभव तब होता है जबकि रेलवे और सड़क परिवहन को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते है। रेलवे प्रति टन प्रति मील 1½ पैसे लेती है जबकि सड़क यातायात पर सरकार 12 पैसे कर के रूप में ले लेती है। इससे सड़क परिवहन के उद्योग में लगे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परिवहन मन्त्री ने फरवरी में अहमदाबाद में यह आश्वासन दिया था कि सड़क यातायात पर कर भार आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। परन्तु वित्त मन्त्री ने अपने साथ के आश्वासन की भी परवाह नहीं की।

तीसरा कर प्रस्ताव जो देश के विकास में बाधक है वह है टेलीफोन पर कर का लगाया जाना। लोक लेखा समिति के 40 वें प्रतिवेदन में हमने इस बात का सुझाव दिया है कि टेलीफोन से प्राप्त राजस्व को सामान्य राजस्व से पृथक रखा जाये और टेलीफोन तथा दूर संचार व्यवस्था का देश में विकास और प्रसार किया जाये। इसके विपरीत वित्त मंत्री ने सामान्य राजस्व बढ़ाने के लिए टेलीफोन उपभोक्ताओं पर कर भार बढ़ा दिया है। अतः जो कर प्रस्ताव कृषि सड़क विकास और संचार साधनों को प्रभावित करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूं।

यह बड़े जोरों से कहा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक बल दिया जायेगा। परन्तु आंकड़ों से यह बात सिद्ध नहीं होती। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के

लिए कुल परिव्यय का 20.9 प्रतिशत रखा गया है और उद्योगों के लिए 22.3 प्रतिशत। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 20.4 प्रतिशत कृषि के लिए और 20.09 प्रतिशत उद्योगों के लिए रखा गया था। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि को प्राथमिकता देने के बजाय उसकी उपेक्षा की जा रही है। उर्वरक आदि परियोजनाओं को अब शीघ्रता से लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता है। अनेक उर्वरक योजनाएं ऐसी हैं जो लम्बे समय से लाइसेंस के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। सरकार इस बात से मना करती है कि सरकारी प्रक्रियों के कारण लाइसेंस की मंजूरी में विलम्ब होता है। सरकार का यह कथन गलत है। इसके लिए एक-दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। गुजरात राज्य ने एक परमाणु तापीय बिजलीघर की मजूरी के लिए 7 अगस्त 1964 को अनुरोध किया था। उस पर केन्द्रीय सरकार अभी तक विचार कर रही है हालांकि राज्य सरकार ने 1964 और 1968 के बीच केन्द्रीय सरकार को बारह बार उसके लिये याद दिलाया। मीठापुर उर्वरक परियोजना की भी यही दशा है। एक ओर देश में उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता है दूसरी ओर उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। योजनाएं तैयार करने वाले इस ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीठापुर परियोजना के पूरे हो जाने पर देश की पैदावार 120 से 150 लाख टन अधिक बढ़ जायेगी। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके प्रतिवेदन में यह लिखा था कि उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग का स्वागत किया जायेगा, किसी भी उर्वरक कारखाने को वित्त के अभाव में बन्द नहीं होने दिया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं को सरकार वित्तीय सहायता देगी। परन्तु ये सब बातें केवल प्रतिवेदन तक ही सीमित रही और व्यवहार में न लाई गई। हल्दिया, गोवा, मंगलौर, धर्म से मोरारजी मोदीनगर और मैसापुर की परियोजनाएं अभी तक अधर में झूल रही है। उर्वरक को नयी तकनीक से उत्पादन करने पर न केवल अनाज का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

जहां तक मीठापुर परियोजना का सम्बन्ध है वह स्थान उर्वरक कारखाने के लिए हर तरह से उपयुक्त है। उस पर 10 वर्षों में कुल 166 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 47 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है। उसमें उत्पादित उर्वरक की प्रति टन लागत 1410 रुपये होगी जबकि नागल में यह 3900 रुपये, सिन्दरी में 3590 रुपये और कानपुर में 2690 रुपये है। यह परियोजना प्रधान मंत्री के समक्ष 30 सितम्बर 1967 को रखी गई जिन्होंने इसमें अत्यधिक रुचि ली। 2 नवम्बर 1967 को यह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेज दी गई थी। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा उर्वरक नीति सम्बन्धी सचिवों की समिति ने इसे स्वीकृति दे दी थी। तत्पश्चात वह मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजी गई और वहां जाकर वह ठप्प हो गई। गत पूरे वर्ष यह परियोजना मंत्रीमंडल और योजना आयोग के बीच चक्कर काटती रही। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस परियोजना के विलम्ब से देश को लगभग एक अरब रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की प्रतिवर्ष हानि हो रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर पार्किन्सन ने विलम्ब के सिद्धान्त की स्थापना मीठापुर परियोजना सम्बन्धी फाइल पढ़कर ही की थी। उनका सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति में किसी भी प्रस्ताव के लिये 'नहीं' कहने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ऐसा करने से वह 'हां' कहने से उस पर आने वाली जिम्मेदारी से बच जाता है और उसे 'हां' के परिणामस्वरूप

उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य से बच जाता है। विलम्ब का अर्थ है कार्य की नकारात्मक स्थिति। विलम्ब करना ही किसी काम को न करना है। इसी सिद्धान्त को सरकार पर लागू करते हुये कहा जा सकता है कि वह "ना" कहने वाली नहीं है बल्कि वह 'निषेधक-विलम्बप्रिय' है। सरकार किसी भी काम के लिए 'ना' नही कहती वह उसे विलम्ब के माध्यम से नकार देती है। विलम्ब से निषेध का सिद्धान्त इसी बात पर आधारित है कि कितनी देर नकारात्मक स्थिति के बराबर है। इस प्रकार विलम्ब जानपूछ कर किया जाता है।

माननीय सदस्य मेरे ऊपर यह आरोप लगायेंगे कि मैंने बजट का चित्र अपनी इच्छा के अनुसार खींचा है। दूसरे शब्दों में समस्याओं का निरुपण किया गया है उनका समाधान नहीं बताया गया। सबसे पहले मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत तथ्य आपके सामने रखता हूं और वह है लोगों की बचत का लगातार कम होना। देश में लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से बचत घटती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1965-66 में राष्ट्रीय आय के लिए बचत की प्रतिशतता 10 थी जबकि 1967-68 में वह घटकर 8 रह गई है। बजट में मुख्य रूप से ऐसे प्रस्ताव किये जाने चाहिये थे जिनसे लोगों की बचत में वृद्धि होती, और जिसे कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में विनियाजित किया जा सकता है। इसके विपरीत नये करों के माध्यम से लोगों की जेब से एक अरब रुपये निकाले गये हैं। सरकार द्वारा लोगों की विनियोजित की जाने वाली आय का लगभग 63 से 70 प्रतिशत ले लिया जाता है और जिसे लाभकारी प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार की ओर से कुल विनियोजन का 46.4 प्रतिशत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 54.6 प्रतिशत और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 63 1 प्रतिशत धन लगाया गया था। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए थी जिससे संतुलन बना रहता है।

सरकारी खर्च को कम किया जाना चाहिये। भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने एक बार कहा था कि सरकारी खर्च में 300 करोड़ रुपये की कमी की जा सकती है परन्तु उन्होंने उसे कम करने के लिये कोई कोशिश नहीं की और न ही उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने कोशिश की है। पिछले बजट अनुमानों की तुलना में इस वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा व्यय में 91 करोड रुपये की वृद्धि की गई है।

लोक लेखा समिति ने इस सभा को अपना प्रतिवेदन पेश किया था। लोक लेखा समिति यह नहीं चाहती कि देश की प्रतिरक्षा तनिक भी कमजोर हो। हमने आयुध कारखानों तथा अन्य प्रतिरक्षा संस्थानों के काम को स्वयं जा कर देखा है और उसके आधार में मैं कह सकता हूं कि प्रतिरक्षा व्यय में 100 करोड़ रुपये तक की कटौती की जा सकती है।

गैर-योजना व्यय में 141 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। असैनिक व्यय 298 से बढ़कर 363 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कहता हूं चारा है परन्तु उनमें इतना साहस भी हो, सरकार का कोई नेतृत्व करने वाला हो।

कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहां पैसा बर्बाद किया जा रहा है जैसे बोकारो, हिन्दुस्तान स्टील, रेलवे, भारतीय सांख्यिकी संस्था, सूरतगढ़ फार्म इत्यादि, इत्यादि। भारतीय सांख्यिकी संस्था को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है परन्तु वह कोई सन्तोषजनक लेखा-जोखा नहीं दे रहा है। सूरतगढ़ फार्म प्रतिवर्ष घाटा दिखा रहा है।

लोक-लेखा समिति ने यह पाया है कि प्रतिवर्ष मार्च के अन्तिम दिनों में बड़ी भारी राशि को खर्च किया दिखाया जाता है जबकि वास्तव में वह खर्च नहीं किया गया होता है क्योंकि मन्त्रालय यह बर्दास्त नहीं कर सकता कि उससे धन छिन जाये और करदाता के पास वापस चला जाये। वित्त मंत्रालय को इसको कभी से ठीक कर देना चाहिये।

यह बड़े दुख की बात है कि वित्त मंत्रालय ने लोक-लेखा-समिति के प्रतिवेदनों से कोई सबक नहीं सीखा है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 19 फरवरी को घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 10 मार्च के बाद बचा हुआ धन वापस सरकारी खचांजे में चला जायेगा और किसी असाधारण मामले के सिवाये 10 मार्च के बाद बची राशि को खर्च करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। माननीय मन्त्री को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए।

चाहे नगरीय जनता हो या देहाती, सभी पर पहले ही बहुत अधिक कर लगे हुए हैं। उन पर अब कोई कर लगाने की गुंजाइश नहीं है। हम इस बजट का विरोध करते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : यह सच है कि पीछे हम पर बुरा समय बीता है परन्तु अब स्थिति सुधर रही है। कृषि क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में अच्छा उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन का कारण केवल मौसम का अनुकूल होना ही नहीं है, अपितु उर्वरकों, अच्छे बीजों तथा कृषि तथा सिंचाई आदि के उन्नत तरीकों से भी उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिली है।

उद्योग में मन्दी आ गई थी परन्तु अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है हालांकि विभिन्न उद्योगों में एक जैसी वृद्धि नहीं हुई है। हमारा निर्यात व्यापार भी बढ़ा है। मैं सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हूं कि कीमतें एक प्रतिशत गिर गई हैं। हां, मैं यह अवश्य मानती हूं कि वे बढ़ी नहीं है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार के आसार नजर आने लगे हैं। परन्तु हम संकट से पूर्णतया मुक्त नहीं हुए हैं। वित्त मत्री ने ठीक ही कहा है कि हम अपने सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य केवल आर्थिक उपायों से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिये जनता के हर वर्ग का अनुशासनबद्ध सहयोग जरूरी है। अब हमें यह देखना है कि सरकार ने जो वित्तीय प्रस्तावों रखे हैं उनसे जनता को राष्ट्र निर्माण में स्वेच्छा से अपना सहयोग देने में कहां तक प्रेरणा मिलती है।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में चौथी पचवर्षीय योजना का उल्लेख किया है और कहा है कि यह चौथी पंचवर्षीय का पहला वर्ष था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि अभी तक हमें चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का भी पता नहीं है। यदि चौथी योजना की तस्वीर स्पष्ट होती तो लोगों का और अधिक सहयोग प्राप्त हो सकता था। सबसे पहले मैं यह कहना

चाहती हूं कि 127 करोड़ रुपये के नये करों के बावजूद बजट में 250 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। पिछले वर्ष के बजट में हालांकि इससे अधिक घाटा दिखाया गया था परन्तु उत्पादन में वृद्धि से, विशेषकर कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि से, मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी। इसी अनुभव को दृष्टि में रखकर वित्त मन्त्री ने इस वर्ष भी घाटे का बजट पेश किया। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि हम उत्पादन में उतनी वृद्धि कर सकेंगे या नहीं जिससे मुद्रास्फीति न बढ़ सके। क्योंकि मुद्रास्फीति का अर्थ है–छिपा कर।

पीछे मुद्रास्फीति के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ही हमें रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। इसलिये हमें बजट में केवल उतना ही घाटा दिखाना चाहिये जितना कि हम उत्पादन द्वारा पूरा कर सकते हैं। अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मेरे दिमाग में एक बात और है और वह यह है कि हमें घाटा दिखाने की बजाये बाजार से ऋण प्राप्त कर लेने पर भरोसा होना चाहिये।

पटसन, चाय, कच्ची ऊन आदि पर उत्पादन शुल्क में जो कमी की गई है वह स्वागत योग्य है। पटसन उद्योग को हालांकि काफी छूट दी गई है फिर भी यह उद्योग ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कि इस पर श्रमिकों द्वारा अधिक वेतन का दबाव डाला जा सकता है। इसलिए स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अब या बाद में इस उद्योग को और अधिक रियायत देने के बारे में विचार किया जा सकता है।

कपड़ा उद्योग को जो रियायतें दी गई है हालांकि उनसे इसे काफी मदद मिलेगी फिर भी उनसे स्थिति पूर्णतया नहीं सुधर सकती। इस सम्बन्ध में उद्योग तथा वाणिज्य विभागों द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

नए उद्योगों को पांच वर्ष के लिये करों से छूट दे दी गई है। कर लाभांश आय पर छूट की सीमा 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दी गई है। विकास छूट भी जारी रहेगी। इन सब उपायों से अर्थव्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी। पूंजी विनियोजन बहुत कम हो गया है। 1965–66 में यह राशि 102 करोड़ रुपये थी जो 1967-68 में घट कर 56 करोड़ रुपये हो गई है। कारण कम बचत तथा कम लाभांश दर था।

चीनी पर नए कर की आलोचना की गई है। मैं भी इस नए कर के पक्ष में नहीं हूं। चीनी उद्योग को विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थित मिलों को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खुले बाजार में चीनी के मूल्य में 40 पैसे की वृद्धि हो जायेगी और नियन्त्रित चीनी का मूल्य एक-दो पैसे और बढ़ जायेगा। बाजार में वृद्धि सरकार की आशा से अधिक ही होती है। चीनी विलास की वस्तु नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिये यह एक जरूरत की वस्तु है। इसलिये इस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये था।

इसकी बजाय शराब पर कर लगाया जाना चाहिये था विशेषकर आयातित शराब पर। गांधी शताब्दी वर्ष में तो ऐसा किया ही जा सकता था।

एक अन्य कर प्रस्ताव की भी हममें से बहुत से सदस्यों ने आलोचना की है । वह है 10,000 और 15 000 रुपये के बीच की आय वाले व्यक्तियों पर आयकर में वृद्धि । इस वर्ग पर पहले ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मरमार है । वे और अधिक कर देने की स्थिति में नहीं हैं । यह समुदाय की रीड की हड्डी है और बचत तथा खरीद अधिकतर इस वर्ग द्वारा ही की जाती है । इससे खरीद तथा बचत दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसकी बजाय इससे अधिक आय वालों पर कर में वृद्धि की जा सकती है । वास्तव में मैं तो सुझाव देना चाहती थी कि आय-कर छूट की सीमा बढ़ा कर 7500 रुपये नहीं तो कम से कम 6000 रुपये तो कर ही दी जानी चाहिये । महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के लिये अपना गुजारा करना कठिन हो गया है । उन पर अधिक कर लगाने से बचत का वातावरण पैदा नहीं हो सकता है ।

मैं कृषि पर धन कर का समर्थन करती हूँ । बहुत से उद्योगपतियों ने अपने काले धन से जमीनें खरीद ली हैं । जमीनों का सट्टा भी हो रहा है । सट्टेबाज नगरों से मिलती हुई भूमि कृषि के नाम पर खरीद लेते हैं और जब उनके दाम चढ़ जाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं । इसलिये इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये यदि यह कर लगाया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

मैं सिद्धान्त के तौर पर उर्वरकों तथा पम्पों पर कर लगाने के विरुद्ध नहीं हूँ । परन्तु इस समय यह कर नहीं लगाया जाना चाहिये था । हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है । कृषि क्रांति आरम्भ हो गई है और किसानों को प्रोत्साहन भी मिला है । हमने सिंचाई, बिजली, उर्वरक बीज आदि की सुविधायें उन्हें प्रदान की हैं । परन्तु हम अपने लक्ष्य से अभी काफी दूर हैं । इसलिये अच्छा हो यदि यह कर बाद में लगाया जाये ।

करोड़ों किसानों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है । ऐसी अलाभप्रद जोतों को तो इस कर से छूट मिलनी ही चाहिये । यदि हम उनके भार को कम नहीं कर सकते हैं तो हमें उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिये । इसलिए कुछ सीमा तक इस कर से छूट दी जानी चाहिये ।

हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 3500 करोड़ रुपये लगाये हुये हैं । उन्हे शुरू हुए 20 साल नहीं तो 15 साल अवश्य हो गए हैं । उनका यह प्रारम्भिक काल कभी समाप्त भी होगा अथवा नहीं । इतनी अधिक पूंजी से हमें कुछ मुनाफा तो होना ही चाहिये । रिपोर्ट में कहा गया है कि 1967-68 में 31 उपक्रमों से 48 करोड़ रुपये का लाभ हुआ परन्तु 24 उपक्रमों से 83 करोड़ रुपये की हानि हुई । कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपये की हानि हुई । यदि हम 3500 करोड़ रुपये पर 10 प्रतिशत लाभ ही चाहे तो यह 350 करोड़ रुपये बैठता है । यदि इतना लाभ हो जाता तो नए कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । इसलिए सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिये । हम श्रम की उत्पादिता की बात तो करते हैं परन्तु पूंजी की उत्पादिता की बात कभी नहीं करते । इसलिए इस पूंजी से हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होना चाहिये ।

डाक वस्तुओं की दरों में वृद्धि की मैं आलोचना करती हूं । यह एक व्यापारिक विभाग है और इसे न-लाभ, न-हानि के आधार पर काम करना चाहिये । पहले यह विभाग मुनाफा

दिखाता आया था परन्तु अब यह घाटे में चल रहा है। यदि इस विभाग को चलाने में थोड़ा सा भी अनुशासन बरता जाये तो यह घाटा पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष डाक वस्तुओं की दर बढ़ाने से लोगों को चिढ़ होती है और इससे इस विभाग को चलाने में सरकार की अकार्यकुशलता की झलक मिलती है।

इसके बाद खर्च में कमी का प्रश्न आता है। मैं जानती हूं कि वित्त मन्त्री खर्च में कमी करने के लिये कितने इच्छुक हैं। परन्तु यह बड़ा हताश करने वाला काम है। खर्च में कमी करने और पैसे की बरबादी को रोकने की काफी गुंजायश है। मंत्रियों तथा अधिकारियों के विदेशी दौरे कम करके काफी राशि बचाई जा सकती है। सुविधाओं पर भी बहुत सा पैसा बर्बाद किया जाता है। इस ओर ध्यान देने से भी काफी बचत हो सकती है।

प्रत्येक दिन विभागों में कांट-छांट की जाती है। इन छोटे मोटे परिवर्तनों से कुछ नए व्यक्ति तो भर्ती होते ही हैं। नए विदेश मन्त्री अपने मन्त्रालय के अन्तर्गत विदेश व्यापार आदि-बहुत सी चीजें लाना चाहते है। इस जोड़-तोड़ से प्रशासनिक व्यय बढ़ता है। इसलिये वित्त मन्त्री को इस ओर भी नजर रखनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वित्त मन्त्री ने अपना बजट भाषण इस वाक्य से शुरू किया था कि वह चौथी योजना के पहले वर्ष के बजट को सूत्राधार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु यह बिना किसी योजना का बजट है। पिछले कई वर्षों से देश के सामने कोई योजना नहीं है। एक बनिया की तरह उन्होंने गोश्त का एक टुकड़ा यहां से तोड़ा और एक टुकड़ा वहां से तोड़ा और हमारे सामने रख दिया जिससे यह मालूम हो कि सब कुछ ठीक है। परन्तु ऐसा करने में भी वह सफल नहीं रहे क्योंकि फिर भी इस बजट में घाटा दिखाया गया है।

यह गतिहीन बजट है और इससे विकास अथवा बचत, किसी को, बढ़ावा नहीं मिलेगा। न ही इससे समानता लाई जा सकेगी जिसका वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है।

ये कर प्रस्ताव स्थिति की वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। एक ओर तो वह कहते हैं कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे मुद्रास्फीति हो और दूसरी ओर वह घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है।

अब हमने देखना है कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे देश की स्थिति के बारे में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, श्री गुन्नार मिरडाल ने अपनी पुस्तक "एशियन ड्रामा" में लिखा है कि भारत के लोग इतनी गरीबी की हालत में रहते हैं जितनी गरीबी पश्चिम यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रान्ति के कई सौ वर्ष पूर्व भी नहीं थी। हमारे देश में समाजवाद आने के 20 वर्ष बाद की यह हालत है। अतः खेद है कि सरकार अब भी इस के प्रति उदासीन है।

जहां तक देश में राजनीतिक अस्थिरता का सम्बन्ध है वह यहां पर इसलिये है, क्योंकि सरकार वास्तविक स्थिति को नहीं देखती है। केन्द्रीय सरकार की स्थिति राजनीतिक रूप से

अवास्तविक है। उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। जहां तक कि राज्य सरकारें भी उनको समर्थन नहीं देती है। यदि वे राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी नीति ऐसी बनानी चाहिये जिससे राज्य सरकारों की राय का दिग्दर्शन हो।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है हमारे हजारों इंजीनियर बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके लिये इस आयव्ययक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि आगामी वर्ष में कोई भी विकास योजना आरम्भ नहीं की जा रही है। इससे देश में बेरोजगारी बनी रहेगी। यह भी देश की अस्थिरता का एक कारण है।

इसके बाद मैं **प्रादेशिक असंतुलन पर आता हूं**। प्रादेशिक असंतुलन के कारण भी देश में अस्थिरता है। आयव्ययक के प्रस्तावों को देखने से पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, जो इन वर्षों में और भी पिछड़ गये है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये आयव्ययक में कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद के पास कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है। इसलिये यदि आप राज्यों के वित्तीय मामलों को भी वास्तव में लेना चाहते हैं तो आपको अवश्य ले लेना चाहिये। जब संविधान में यह व्यवस्था की गई थी तो स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। इसलिये एक संघ सरकार में जब यह स्थिति पैदा हो गई है तो समूची वित्तीय स्थिति को फिर से देखना हमारे लिये आवश्यक हो गया है। इसलिये सरकार को संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार सारी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक अन्तर्राज्य परिषद बना लेना चाहिये। इससे वास्तविक अधिकार राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं होगा बल्कि एक कानूनी निकाय का जो केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के समूचे प्रश्न पर विचार करेगा। परन्तु वह ऐसा करने से इन्कार कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जिन राज्यों में अधिक जनसंख्या है उन्हें लाभ होगा तथा अन्य राज्यों को नुकसान होगा और उनकी आर्थिक स्थिति और भी गिर जायेगी। इस सम्बन्ध में गत वर्षों में जो कुछ हुआ है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और आसाम जैसे राज्य पिछड़ गये हैं तथा उनमें और विकसित राज्यों में विषमता और बढ़ रही है। अंकराड में तो हम यह कहते है कि विकसित देशों को अपनी आय का कुछ भाग विकासशील देशों को देना चाहिये परन्तु हम अपने देश में कौन सी नीति अपना रहे हैं। उसी तरह से हमें अपने देश में भी विकसित राज्यों की आय का कुछ भाग अविकसित राज्यों को देना चाहिये।

जहां तक केन्द्रीय सहायता और ऋणों का सम्बन्ध है वे भी इन राज्यों को अधिक मात्रा में दिये जाते हैं जिन की ओर से राजनीतिक प्रभाव अधिक पड़ता है। जहां तक कि हमने देखा है कि उद्योग भी वहां ही स्थापित किये गये हैं, जहां से राजनीतिक दबाव अधिक पड़ा है।

अविकसित राज्यों में न केवल गरीबी बढ़ गई है और उनकी आय कम हो गई है परन्तु कुछ राज्यों में तो विकास भी कम हुआ है और उन्हें नुकसान हुआ है। मैं अपने राज्य उड़ीसा को ही लेता हूं। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 1964-65 में जम्मू और काश्मीर तथा बिहार को छोड़ कर सब राज्यों से कम थी। सड़कों के विकास के मामले में भी उड़ीसा बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है।

{ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई
Shrimati Tarkashwari Sinha *in the Chair.* }

उड़ीसा की सिंचाई की स्थिति भी बहुत खराब है। खेती योग्य भूमि के 13 प्रतिशत क्षेत्र के लिये सिंचाई की व्यवस्था है जब कि अखिल भारतीय औसत 22 प्रतिशत है।

इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय में अन्तर बढ़ता ही जाता है।

जहां तक शिव सेना का सम्बन्ध है हमें उसकी निन्दा करनी चाहिये। यह पिछड़े क्षेत्रों की अवहेलना करने की नीति का सीधा परिणाम है।

हमारे वित्त मन्त्री कहते हैं कि वे निडर व्यक्ति है और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते है। यदि ऐसी बात है तो उन्हें किसी विशेष राज्य को नहीं बल्कि समूचे देश को हित में रखते हुए अपनी नीति बनानी चाहिये।

वित्त मन्त्री ने यह भी कहा है कि गैर-योजना व्यय बढ़ाया जाना चाहिये। परन्तु यदि वह हमें इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि उन्होंने वास्तव में कोई प्रयास किये और उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा तब तो हम उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते है।

उन्होंने यह भी कहा है कि प्रतिरक्षा के काम के लिये और 59 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस बारे में किसी को आपत्ति नहीं होगी परन्तु बात यह है कि वास्तव में हो क्या रहा है। हमें यह पता लगना चाहिये कि यह धन किन-किन वस्तुओं पर व्यय किया जायेगा।

हमारे देश में बड़े पैमाने पर वाद-विवाद हो रहा है तथा सरकारी क्षेत्र के समर्थकों ने भी यह आशंका करनी आरम्भ कर दी है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें इन में पूंजी लगानी भी चाहिये अन्यथा नहीं। मैं समझता हूँ कि क्या हमारी नीति का परिणाम है। हम इस बात को मानते हैं कि इस्पात कारखानों में डिजाइन तैयार करने के लिये भी हमें विदेशों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने सरकारी क्षेत्र के विकास-कार्य के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या किया है। एक पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी उपक्रम का सभापति किसी विभाग का सचिव नहीं होना चाहिये परन्तु मेरा कहना तो यह है कि सरकारी उपक्रमों में केवल यही त्रुटि नहीं है उनमें और भी अनेक त्रुटियां हैं।

हमने देश में करोड़ों रुपयों की हानि उठाई है। सरकारी उपक्रम समिति ने अनेक बार अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस प्रकार अपने कुप्रबन्ध तथा नीति विहीनता के कारण इन सरकारी उपक्रमों को निरन्तर हानि हो रही है। यदि उन सुझावों को कार्यान्वित किया जाता तो कुछ न कुछ सुधार अवश्य होता। सरकार प्रबन्धकों को चाहे जितनी शक्तियां दे दे उन्हें चाहे जितने स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दे, परन्तु इस बारे में किसी न किसी पर उत्तरदायित्व अवश्य होना चाहिए। तभी कार्य सुचारू रूप से चल पायेगा। परन्तु उन सुझावों के बारे में

यहां कुछ नहीं बताया गया है। कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने के लिये सरकार बड़े विलम्ब से अपनी स्वीकृति देती है जिसके कारण लागत मूल्य बढ़ जाता है। यद्यपि हमारे देश में ही अच्छे योग्य सलाहकार मौजूद हैं फिर भी हम छोटी 2 बातों के लिये भी विदेशी सलाहकार पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न परियोजनाओं की यथोचित जांच बिना ही उन्हें चालू कर दिया जाता है। अतः कार्य के पूरा होने में विलम्ब होता है तथा भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम अपने फालतू कल-पुर्जों का भण्डार बहुत घटा सकते हैं इस पर उतनी अधिक लागत नहीं आनी चाहिए। यह सारा माल बेकार पड़ा रहता है। यदि सरकार सरकारी उपक्रमों को सफल बनाना चाहती है तो उसे यह अफ़रातफ़री छोड़ देनी चाहिये।

करों के बारे में उचित धन-स्रोत ढूंढने में वित मन्त्री या तो असफल रहे हैं, या फिर उनमें हिम्मत कम है। वह तो अवर-मध्य श्रेणी के लोगों तथा निश्चित वेतन पाने वालों, जो कि सारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं पर कर लगा देते हैं। उन्होंने चीनी पर कर लगा दिया है। सरकार कृषि-कार्यों को तो प्रोत्साहन देती है परन्तु कृषि सम्बन्धी वस्तुओं जैसे ऊर्वरक, पम्प सेट आदि पर कर लगा दिया है। जिन लोगों ने इन करों का सुझाव दिया है उन्हें गावों की हालत का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यदि सरकार कहीं कोई प्रोत्साहन देना भी चाहती है तो वह उद्योग के क्षेत्र में दे। विकास सम्बन्धी रियायत बोनस आदि कुछ दे। परन्तु आप कृषकों को पिछले 20 वर्ष से क्या दे रहे हैं ? भूमि-सुधार नहीं हुआ और अब भी भूमि केवल कुछ लोगों के हाथ में है। कृषि सम्पत्ति–कर का मैं विरोध नहीं करता। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वास्तव में ही यह सम्पत्ति केन्द्रीयकरण को रोकता है। अतः कृषि के क्षेत्र में भी हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कुछ लोग जिनके पास काला-धन है उन्होंने उस धन से कृषि फारम खरीद लिये हैं तथा खूब धन कमा रहे हैं। अतः यदि दो लाख या इस अधिक की सम्पत्ति वाले को थोड़ा कर भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। परन्तु इस कार्य में भी ढंग से कार्य किया जाना चाहिये। वित्त निगम के अध्यक्ष देश भर में भूमि–कर की सम्पत्ति का विरोध करते हैं। आयोजना आयोग तथा केन्द्र भी राज्य-सरकारों को कहता है कि सिंचाई योजनाओं को बढ़ाने के लिये सिंचाई पर कर लगाओ। इस बारे में ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमारा देश एक कल्याणकारी राष्ट्र है परन्तु इस बात का अनुभव हमारे देश के किसानों को भी होना चाहिए परन्तु उनके साथ तो कुछ दूसरा ही व्यवहार हो रहा है। उनको भी अन्य नागरिकों की भांति कर देना पड़ता है। सीधे करों के द्वारा सरकार इनसे इनके सामर्थ्य के बाहर कर ले रही है। अतः भूमि-कर समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि कृषि पर सम्पत्ति-कर की बजाये हम संयुक्त आय कर लगायें अर्थात् जिनके पास कर–योग्य कृषि से अन्य आय है यदि उनके पास कृषि भूमि भी है तो वह भूमि आय-कर कानून के अधीन आनी चाहिए। इसी के अनुसार आय-कर कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। इस प्रकार भूमि-कर समाप्त करके हम गरीब किसानों को कुछ लाभ पहुंचा सकेंगे जिनके पास केवल एक अथवा दो एकड़ भूमि है जो कि उनके निर्वाह के लिये भी पर्याप्त नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसे किसानों को निःशुल्क जल दिया जाये तथा विकास-बोनस प्रदान किया जाये। इस बारे में हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। सारा देश और सारी संसद इसका समर्थन करेंगे। हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि अगले तीन सालों में ही

हम देश की 50 प्रतिशत भूमि की सिंचाई करेंगे तथा इस कार्य हेतु धन-स्रोत ढूंढें । परन्तु सरकार तो केवल प्रस्ताव ही पेश करना जानती है । यही मेरी शिकायत है ।

हमें कुछ कार्यों को केवल इसलिये नहीं छोड़ देना चाहिये कि इनके कारण इस समय कुछ कठिनाईयां उत्पन्न होंगी । इस बारे में हमें निर्णय करना चाहिये । आप निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में क्या कह रहे हैं ? लगता है सरकार इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है अन्यथा कुछ न कुछ तो अब तक हो ही जाता । परन्तु आप इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि इससे आपके दल में मुसीबत खड़ी हो जाती है । आप तो लोगों को केवल बहका रहे हैं कि आप यह कर रहे हैं ।

इस बजट से लोगों की और दुर्दशा होगी । इससे तो ऐसा लगता है कि यहां एक न एक दिन हिंसात्मक क्रान्ति हो सकती है । मुझे तो यह खतरा नज़र आ रहा है । अपनी नीतियों को असफल पाकर भी यदि आप समझते हैं कि आप समस्या का सामना किये बिना ही इसे हल कर लेंगे तो यह भ्रम है । आप अपनी नीतियों को बदलिये, तभी इस बजट का कोई अभिप्राय हो सकता है । अतः इस बजट को मैं अपना समर्थन नहीं दे सकता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : कुछ प्रस्तावों के बारे में थोड़ी-सी मिश्रित प्रतिक्रिया को छोड़कर विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने इस बजट का सहर्ष स्वागत किया है । पूंजी-बाज़ार में अस्थायी मोड़ों को स्थिरता मिली है तथा यह इस बात से सिद्ध होता है कि अहमदाबाद और बम्बई के सट्टा बाजार में न्याय-साम्यता एक प्रतिशत से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ गई है । इस बजट में कोई क्रान्तिकारी बात नहीं है तथा वित्त मन्त्री ने इस वर्ष का वित्त-कार्यक्रम तैयार करने के लिये अपनी वही पुरानी पद्धति अपनाई है । परन्तु देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को समझने वाले अर्थशास्त्री भलीभांति इस बात को समझेंगे कि यह बजट हानि के खतरे से बचने के उद्देश्य को लेकर तैयार किया गया है ।

वित्त मन्त्री ने बजट को संतुलित रखा है तथा जहां वर्तमान करों के हिसाब से 60 करोड़ रुपये का घाटा होना था वहां अनेक मदों को शामिल करके उस घाटे को 40 करोड़ के लाभ में बदल दिया है । ऐसा करते हुए उन्होंने कम से कम क्षेत्रीय असन्तुलन को नहीं आने दिया है । इसके लिये वित्त मन्त्री ने अनेक मदों का एक लम्बा जाल-सा बिछाया है ।

इस बजट के अधीन विकास रियायत दी जाती रहेगी । मद्रास की दरों को न्याय संगत करके बढ़ाया जायेगा । सम्मिलित कर-प्रणाली को उन्होंने नहीं छुआ है । चाय, पटसन, ग्रीज़ विहीन कच्ची ऊन तथा अबरक पर निर्यात शुल्क भी नहीं बढ़ाया है । 500 से 1000 रुपये के लाभांशों पर आय-कर की रियायत दर भी बढ़ा दी है । हां, 10,000 से ऊपर की आय वालों के ऊपर व्यक्तिगत कर अवश्य बढ़ाया गया है । परन्तु इससे कम आय वाले व्यक्तियों पर कु-प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस में कार रखने वालों को कुछ रियायतें हैं ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair }

कृषि सम्पत्ति कर पर यहां जो कटु आलोचना हो रही है उसके दो आधार हैं। एक तो यह कि इस से सम्भव है कृषकों को हानि पहुँचे तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में विघ्न डाले। परन्तु मुझे विश्वास है कि कृषि भूमि तथा भवनों को सम्पत्ति कर के अधीन लेना एक बहुत ही बुद्धिमानी की कार्यवाही है। इस से किसी कृषक को कोई हानि नहीं होगी बल्कि इससे तो केवल वे लोग प्रभावित होंगे जो कृषि कार्यों में पूंजी लगाते हैं।

राज्य विधान-मंडल की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में

Reg : WEST BENGAL GOVERNOR'S ADDRESS TO BOTH THE HOUSES OF THE STATE LEGISTATIVE

Shri George Fernandes (Bombay South)

अध्यक्ष महोदय, कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगित करने की कोई बात नहीं, तो बनर्जी ऊपरी बात कह सकते हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Yesterday we tried to draw your attention towards our belief that the West Bengal Government would try to ignore certain pertions of his address concerning his responsibility in dissolving the last Assembly. We had requested you to adjourn the debate on the Railway Budget.

From the news reading through the teleprinter and telephones, we have come to know that the Governor started reading his address at 3 P.M. After reading out one or two pares, he started skipping over the portions in which he had been alleged,

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

This conspiracy had been going on between the Home Minister and the said Governor. They were planning to murder the democracy there. I, therefore, request you to adjourn this debate and let us discuss that matter here. Whatever the Governor has done, that is quite wrong and on the Centre's instance. People do not want him there even for a single minute. This should be the basis of the debate.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is not the question of either West Bengal or Shri Dharam Vira, it refers to the Constitution and the democratic convention. A Governor is a constitutional head. Is he empowered to ignore or add certain portions of the address prepared for him by a democratic Government ? It that is the case with the Governor will it be the President of India also ? It is a very important issue concerning Constitution. We want to discuss it to day or to-morrow.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में विचार करने से पूर्व हमारे पास तथ्य होने चाहिये। क्या गृह-कार्य मंत्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : हमें औपचारिक रूप से कोई तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक संवैधानिक प्रश्न है तथा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें इस पर विचार करने के लिये कुछ समय निकालना होगा कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखा है। परन्तु यह विषय एकदम नहीं लिया जा सकता। सरकार को भी इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करना है, अतः इसे भी कुछ समय चाहिये। अतः मैं सारी सभा की ओर से कहता हूं कि तथ्यों को आने दीजिये। आखिर सरकार भी तो जानना चाहती है कि वहां क्या हुआ। कहीं राज्यपाल पर आक्रमण तो नहीं हुआ.....(**व्यवधान**) तथ्यों के प्राप्त हो जाने पर ही आप कोई समय चर्चा के लिये नियत करें।

सभा विसर्जित होने से पूर्व, सायं छः बजे तक जो भी तथ्य प्राप्त हों, उनके आधार पर आप अपनी दलील तैयार करें। सरकार भी इस बात पर गौर करे कि क्या राज्यपाल अभिभाषण के अंशों की उपेक्षा कर सकते हैं। यह संवैधानिक प्रश्न है और इस पर विचार किया जाना चाहिये। सभा विसर्जित होने से पूर्व में कोई समय निश्चित कर दूंगा। आप सबकी ओर से मैंने गृह-कार्य मत्री से निवेदन किया है कि वह आज एक वक्तव्य दें।

श्री मोरारजी देसाई : सायं छः बजे।

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा—जारी
GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION-Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री साल्वे अपना भाषण करेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं धनकर अधिनियम के अन्तर्गत कृषि सम्पत्तियों पर धनकर लगाने के बारे में कह रहा था। यह कहना गलत है कि इस कर से किसानों पर बोझ पड़ेगा। इस कानून के अन्तर्गत 100 में से जिन 99 लोगों पर कर लगेगा उनको किसी प्रकार से भी किसान नहीं कहा जा सकता। इस कर का बोझ केवल उन लोगों पर ही पड़ेगा जिन्होंने कृषि सम्पत्ति में अपनी पूंजी लगा रखी है। अतः इन लोगों पर कर लगाकर माननीय वित्त मंत्री ने कोई गलती नहीं की है। आश्चर्य की बात यह है कि समाजवाद की शपथ लेने वाले भी इस कर का विरोध कर रहे हैं।

बम्बई में दो वर्गों के लोग अर्थात फिल्म कलाकार तथा महाराष्ट्र मंत्रिमण्डल के मंत्री विशेषकर विदर्भ प्रदेश को कृषि सम्पत्ति में अपना धन लगा रहे हैं। मंत्री बनने पूर्व उन्होंने कभी खेती नहीं की थी परन्तु मंत्री बनने के पश्चात वे बड़े-बड़े कृषि पंडित बन रहे हैं। इस समय कुछ मत्री संतरे के बागों तथा बड़े-बड़े फार्मों के स्वामी हैं। इन लोगों पर कर न लगाना उचित नहीं है।

परन्तु जहां तक इसके कानूनी पहलू का सम्बन्ध है अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने वाली हैं क्योंकि सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 86 में कृषि सम्पत्ति को आस्तियों के

पूंजीगत मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि कृषि सम्पत्तियों पर धनकर लेने के बजाये कृषि सम्पत्ति को दर के प्रयोजन हेतु न कि कराधान के प्रयोजन हेतु करदाता की कुल सम्पत्ति में शामिल किया जाये। दूसरे कृषि सम्पत्ति रखने वाले करदाता पर लागू होने वाली दर को एक अन्य अनुसूची में बताया जाना चाहिए। यह दर धनकर में बताई गई दर से कुछ अधिक हो सकती है। ऐसा करना सघ सूची की प्रविष्टि 86 के अनुसार होगा। मेरे प्रस्ताव के अनुसार एक लाख रुपये की कृषि सम्पत्ति रखने वाले वास्तविक कृषकों पर कर नहीं लगेगा। दूसरे कानून के अनुसार कृषि सम्पत्ति पर कर भी नहीं लगेगा। कर बोध केवल उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने कृषि सम्पत्ति में अपनी पूंजी लगा रखी है और इस कर का भुगतान भी गैर-कृषि सम्पत्ति से किया जायेगा। यदि मेरे सुझाव को स्वीकार किया जाता है तो केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध भी नही बिगड़ेंगे और इसके संविधान के अनुसार होने अथवा न होने के प्रति भी कोई झगड़ा नहीं होगा।

सरकारी उपक्रमों में कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपये लगाये गये हैं। जो उपक्रम काम कर रहे हैं उनमें लगभग 3200 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। किसी ने इनको 'सफेद हाथी' भी कहा है। इसमें से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर 1000 करोड़ रुपये लगाये गये हैं। यह कहा गया है कि इसने 31 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात का निर्यात किया गया है। परन्तु यह नहीं बताया गया कि इस निर्यात के लिए सरकार ने कितनी राजसहायता दी है। यदि इसके कार्यसचालन की तुलना इस्पात विश्व में अन्य देशों से की जाये तो पता लगेगा कि इसका कार्यसंचालन जितना अच्छा होना चाहिए उससे कहीं कम है। इस्पात उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 90 लाख टन है जबकि वास्तविक उत्पादन केवल 60 लाख टन है। जो ज्ञापन परिचालित किया गया है उसमें अनेक परस्पर विरोधी बातें कहीं गई है। पैरा 2 में कहा गया है कि मन्दी की प्रवृत्ति के कारण मांग का अभाव था और इसलिए इन उपक्रमों की क्षमता बहुत हद तक बेकार पड़ी रही। परन्तु पैरा 4 में कहा गया है कि बहुत से उपक्रम अपनी विस्तार योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। अतः दोनों पैरों मे परस्पर विरोधी बातें कहीं गई है।

यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सैन्ट्रल इन्जीनियरिंग तथा डिजाइन विभाग रूस के साथ सहयोग करने वाला है, यदि देश को इस सहयोग से लाभ हो और यदि ऐसी सुविधायें देश में उपलब्ध न हो तो रूस अथवा किसी अन्य देश से सहयोग करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु खेद की बात यह है कि इस्पात मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में देश की क्षमता का कोई मूल्यांकन नहीं किया है। माननीय वित्त मंत्री को सभा में यह बात स्पष्ट करके बतानी चाहिए कि क्या रूस से सहयोग की कीमत बहुत अधिक नहीं है और क्या भारत में निर्माण हेतु डिजाइन तथा इन्जीनियरिंग की क्षमता उपलब्ध नहीं है। मुझे बताया गया है कि रूसी सहयोगकर्ताओं ने अनुदेश सम्बन्धी एक पुस्तक के लिए 50 लाख रुपयों की मांग की है। इस पुस्तक में केवल यह बताया गया है कि व्यवहार्य रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट डिजाइन तथा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस सारे काम को यहां पर किया जा सकता है।

जहां तक कराधान विधि संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कानूनों मे अनेक संशोधन किये जा रहे हैं। 1962 से 1968 के छः वर्षों में इससे पूर्व

के 40 वर्षों की तुलना में अधिक संशोधन किये गये हैं लगभग 600 संशोधन। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को लाने में जल्दी न करें और यदि वह यह विधेयक लाना ही चाहते हैं तो विद्यमान सभी कर सम्बन्धी कानूनों पर अच्छी तरह विचार करके एक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लायें। इसके पश्चात उनको घोषणा करनी चाहिए कि फिर तीन वर्षों के लिए वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैं वित्त मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। छोटे से छोटा किसान भी उर्वरक का प्रयोग करता है। अतः उर्वरक पर लगाये जाने वाले कर से खाद्य उत्पादिकता की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं बजट प्रक्रिया के लिए सरकार की पुरानी तथा अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में अपना असन्तोष प्रकट करना चाहता हूँ। आंकड़े एकत्र करने के लिए आधुनिक तथा वैज्ञानिक नियमों तथा तरीकों का पूर्णतया अभाव है। अधिक करों द्वारा अधिक राजस्व एकत्र करने का तरीका अब पुराना हो चुका है। आजकल राजस्व के स्त्रोत को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हमें भी इस बारे में विचार करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने लोगों की निर्धनता को अपने जीवनकाल में समाप्त नहीं कर सकेंगे।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : प्रत्येक वर्ष जब बजट पेश किया जाता है तो समूचे देश में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा असन्तोष प्रकट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री कम से कम एक वर्ष संतुलित बजट पेश करें जिसमें कोई अतिरिक्त कर न लगाया गया हो। बजट में जो 170 करोड़ रुपये का अन्तर दिखाया गया है और जिसको अतिरिक्त करों द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया गया है उसको केन्द्रीय तथा राज्यों के अपव्यय को रोक कर भी पूरा किया जा सकता था।

मैं महसूस करता हूं कि कृषि सम्पत्ति पर कर शायद इसलिए लगाया गया है क्योंकि माननीय मंत्री के विचार में व्यापारियों ने अपने काले धन को नियमित करने के लिए कृषि में पूंजी लगानी आरम्भ कर दी है। परन्तु मैं जानता हूं कि ये लोग बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने अभी से इस पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अतः बोझ गरीब किसान पर ही पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि अभी यह कर न लगाया जाये।

दिल्ली सम्पत्ति कर बढ़ाया जा रहा है। जिस सम्पत्ति पर पहले प्रतिवर्ष 1500 रुपये प्रतिवर्ष कर लगता था अब उस पर 15000 रुपये प्रतिवर्ष कर लगेगा अर्थात दस गुना। अतः मैं चाहता हूं कि उप-प्रधान मंत्री इस बात को देखें कि दिल्ली के अधिकारी उचित सम्पत्ति कर लगायें।

सेना के भूतपूर्व सैनिकों की महंगाई भत्ता देने की भी एक बड़ी समस्या है। जो लोग ने हमारे देश के लिए लड़े उनको पेंशन के साथ महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है और उनको

थोड़ी सी पेंशन में ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। जहां तक भूमि आवंटन का प्रश्न है केवल उन लोगों को जिन्होंने युद्ध में अपना जीवन दे दिया है अथवा जो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं उन्हीं को भूमि देने का आश्वासन दिया गया है। समूचे देश की नई बस्तियों में भूमि आवंटन के लिए भी यही नियम अपनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के साथ और अधिक अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।

पिछले आम चुनाव के पश्चात केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये हैं विशेषकर जब श्री चव्हाण ने विरोधी दलों द्वारा बनाई गई सरकारों में हस्तक्षेप शुरु किया। सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से घोर अन्याय किया गया था हरियाणा और राजस्थान में भी अन्याय हुआ परन्तु पश्चिम बंगाल वालों ने कांग्रेस पार्टी को सबक दे दिया है। सभी जानते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ था। जब शक्तिपरीक्षा होने वाली थी तो उससे ठीक 12 घंटे पूर्व वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया था। अनेक संसद सदस्यों तथा अन्य नेताओं ने गृह-कार्य मंत्री को मिल मिलकर राष्ट्रपति के शासन को समाप्त करने की मांग की थी। परन्तु उन्होंने इस कार्य में काफी समय लिया ताकि कांग्रेस पार्टी कुछ सदस्यों को अपनी ओर मिला सके। उसके इस कार्य मे सफल होते हुए राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया। अब जबकि कांग्रेस का शासन स्थापित हो गया है, श्री चव्हाण विरोधी दलों से मिलकर दलबदलूओं पर रोक लगाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश में एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ओर तो दल बदलने की प्रथा की निन्दा की जा रही है तो दूसरी ओर इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जो कुछ है वही घटना 1972 के आम चुनाव में राजस्थान में भी घटने वाली है। चाहे जो भी दल भविष्य में केन्द्र में सरकार बनाये मैं आशा करता हूं कि वह लोकतंत्र के सिद्धान्तों को बनाये रखेगा। यदि लोग यह चाहते हैं कि केन्द्र में प्रजातंत्र समाजवादी दलों की सरकार बने तो यह समय है जबकि उनको आपस में एकता कायम करनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो देश को कांग्रेस अथवा साम्यवादी दल के पास चले जाने से दोष नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां तक बम्बई में शिवसेना की गतिविधियों का सम्बन्ध है इसने कई व्यक्तियों को यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि कुछ समाज विरोधी तत्व किस प्रकार विधि व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकते हैं। जब बम्बई जल रहा था तब पुलिस चुपचाप बैठी तमाशा देख रही थी। मुझे एक जिम्मेदार व्यक्तियों ने बताया है कि बम्बई जैसे बड़े नगरों में जो पुलिस हो उसमें समूचे देश के लोग होने चाहिए। मैं जानता हूं कि बम्बई के उपनगरों में दक्षिण के लोगों का ठहरना कठिन है। यदि ऐसे नगरों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम सभी क्षेत्रों की पुलिस हो तो जान व माल की रक्षा की जा सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि न केवल बम्बई बल्कि कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली की पुलिस में समूचे देश से लोग भर्ती किये जाने चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश का जो बार प्रतिनिधित्व करने का गौरव मुझे प्राप्त है। हमारे उप प्रधान मंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि खिलाड़ी की सहायता की जानी

चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस सभा में ऐसे अनेक सदस्य हैं जो पहले खिलाड़ी रहे हैं और जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खेल के साथ जोड़ने को गलत समझते हैं। मुझे पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने हमारी टीम की तुलना में हाकी की अच्छी टीम मैदान में उतारी थी। इसीलिए उनकी विजय हुई है। हमें भी अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न करने चाहिए। यदि आप खेलों को सुधारना चाहते हैं तो आपको रिटायर्ड अच्छे खिलाड़ियों को आमंत्रित करना चाहिए। एक मंत्री महोदय ने मुझे क्ले पीजन शूटिंग के बारे में भाषण देना शुरु कर दिया था। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि माननीय मत्री ऐसी चीज के बारे में भाषण दे रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखी। यदि आप हाकी का स्वर्णपदक वापस लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अभी से तैयारी शुरु कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों से हार की जांच कराने का कोई लाभ नहीं जो इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यदि आप समझते हैं कि खेल के साथ प्रतिष्ठा का कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर चाहे हार भी हो जाये तो चिन्ता की कोई बात नहीं। परन्तु यदि आप समझते हैं कि इसके प्रतिष्ठा का प्रश्न भी सम्बन्धित है तो खिलाड़ियों को अन्य प्रगतिशील देशों के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

खेलों को आत्मसम्मान का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये। प्रत्येक खिलाड़ी की अच्छा खेलने की एक सीमा होती है जिससे अधिक अच्छा वह नहीं खेल सकता। जहां तक इस जाच का सम्बन्ध है मेरे विचार में इसमें हाकी फेडरेशन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये तभी इसके समुचित परिणाम निकल सकते हैं।

जब हम मेक्सिको में थे तो वहां भारत का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी गया हुआ था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम सांस्कृतिक शिष्टमडल पर धन तथा विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिये तैयार थे तो वह खर्च एक वर्ष बाद भी किया जा सकता था। खेलों की प्रतियोगिता के समय खेलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय सांस्कृतिक शिष्टमडल को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

मेक्सिको जाने के लिये खिलाड़ियों को विमान की टिकटें देने में भेदभाव किया गया था। केवल हाकी फेडरेशन को दोनों ओर की टिकटें मिली थी। शेष सभी खिलाड़ियों ने एक ओर का किराया अपने पास जेब से खर्च किया था। इस प्रकार खिलाड़ी हतोत्साह हो जाते हैं।

भोपाल में गोली चलाने की प्रतियोगिता में दो लड़कियां विश्व में तीसरे स्थान के बराबर आयी हैं। सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये। हमें नवयुवक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि उप-प्रधान मत्री इस ओर ध्यान देंगे।

राजस्थान में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने जो सहायता दी है मैं उनका आभारी हूं। अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को पूरी मजूरी दी जानी चाहिये। इनमें कुछ लोग वृद्ध हैं और काम करने में असमर्थ हैं। कुछ महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। उनसे आशा करना कि वह पूरा काम करे और आधी मजूरी लें, अनुचित है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये। सरकार को उन श्रमिकों को सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिये जिन्हें काम नहीं मिलता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इन कुछ वर्षों में, जब पंचवर्षीय योजना नहीं थी, विषमताओं में वृद्धि हुई है और युवकों के लिये रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। वित्त मंत्री की एक उल्लेखनीय सफलता मूल्यों में स्थिरता लाने की है जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत अवश्यक थी। वर्ष 1965 और जनवरी 1968 के बीच मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और उसके बाद मूल्यों में एक प्रतिशत कमी करना एक बहुत भारी सफलता है। मैं यह स्वीकार करती हूं कि अब भी मूल्यों का स्तर काफी ऊंचा है। परन्तु मेरे विचार में उनमें अधिक कमी भी नहीं होगी। वास्तव में हमें मूल्यों में स्थिरता लाकर अर्थ-व्यवस्था को बढावा देना चाहिये जिससे अधिक आय हो।

आजकल 'कृषि क्रान्ति' की चर्चा बहुत हो रही है। वास्तव में जो लोग 'कृषि क्रान्ति' की चर्चा करते हैं उन्हें देहातों में जाकर किसानों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिये। खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये है, वे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताये गये हैं। वर्ष 1964–65 अनाज का उत्पादन 890 लाख टन था; 1965–66 में वह 720 लाख टन रह गया; वर्ष 1966–67 में वह 760 लाख टन हुआ और वर्ष 1967-68 में 950 लाख टन हुआ जो वर्ष 1964–65 के उत्पादन से 60 लाख टन अधिक है। क्या यह क्रान्ति है, जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है ? वित्त मत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में वर्ष 1968–69 के लिये 890 लाख टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और यदि सब परिस्थितियां अनुकूल रही तो वर्ष 1970–71 में 1000 लाख टन की आशा है। अतः हम इसे 'कृषि क्रान्ति' का नाम नहीं दे सकते। यह सम्भव है कि जन लोगों के पास साधन अधिक है उन्हें इससे लाभ हुआ हो।

मैं वित्त मत्री से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि जो लोग वास्तव में खेती करने वाले हैं, उन्हें परेशान न किया जाये। हालांकि मंत्री महोदय ने इस आशय का आश्वासन दिया है परन्तु यह प्रणाली ऐसी है कि इसमें बड़े-बड़े लोग इन किसानों को परेशान करते हैं। यदि सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी सरकारी क्षेत्र के अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक, बिरला आदि सभी कृषि के क्षेत्र में आये तो वे देहात के इन वर्गों को समाप्त कर देंगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1967–68 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या के 85 प्रतिशत लोगों ने प्रतिदिन एक रुपये से कम खर्च किया है। एक ओर औसत जोतों की कमी हुई है और दूसरी ओर भूमिहीन किसानों को खाद, बीज आदि नहीं दिये गये जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें मजबूर होकर अपनी भूमि बड़े बड़े लोगों को बेच देनी पड़ी। हम भूमि सुधार की बातें करते हैं परन्तु हम भूमिहीन हरिजनों के लिये खाद, बीज आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते। हमारे इरादे कुछ भी हो परन्तु हमें अपने कार्यक्रमों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जैसे सरकार ने निर्णय किया कि भूमिहीन लोगों से, जो अधिकांश हरिजन हैं, कोई व्यक्ति भूमि खरीद नहीं सकता है। परन्तु जब इन लोगों को धन की आवश्यकता होती है तो वे बड़े लोगों के पास जाते हैं और उनसे उनकी भूमि खरीद लेने का अनुरोध करते हैं। अब नियम इस बात की अनुमति नहीं देते हैं परन्तु वे किसान को कुछ कम धन देकर और विकास खण्ड अधिकारी को रिश्वत आदि देकर इस प्रकार के सौदे कर लेते हैं। इस प्रकार इन भूमिहीन खेतिहरों का शोषण होता है। मंत्री महोदय को इस पक्ष पर विचार करना चाहिये। वित्त मत्री के आर्थिक

तथा अन्य सलाहकारों के देहातों में एक वर्ष रहकर वहां की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिये । खेतिहरों को करों से राहत दी जानी चाहिये और जब वे अपनी स्थिति खूब अच्छी तरह सुधार लें तो आप उन पर कर भी लगा सकते हैं । फिर आर्थिक विकास के लिये उनसे कुछ धनराशि प्राप्त करने का आपको अधिकार हो जाता है ।

कृषि के क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ जितना हम समझते हैं अथवा जिसकी हम कल्पना करते हैं ।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि पिछली तीन योजनाओं में विशेषज्ञों ने उन्हें गुमराह किया है । दूसरी पंच वर्षीय योजना में सब लोग कह रह थे, औद्योगिक विकास बहुत अधिक हो रहा है और हमें लक्ष्यों से भी अधिक सफलता मिली है । परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी उसी अनुपात से प्रगति होनी चाहिये अन्यथा विभिन्न क्षेत्रों में असन्तलन की स्थिति पैदा हो जायेगी । अब भी कुछ उद्योगों में पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं हो रहा हैं । हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय का कहना है कि सरकारी क्षेत्र से प्रतिवर्ष 126 करोड़ रुपये मिलने चाहिये । परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है । आपको उन से 50 करोड़ रुपये प्राप्त कर के निर्धन वर्गों को राहत देनी चाहिये । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बागडोर उन व्यक्तिवों के हाथों में होनी चाहिये जो उनका पथ प्रदर्शन कर सके ।

यह ठीक है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है परन्तु हमें इस पर निर्यात की दृष्टि से विचार करना चाहिये । अवमूल्यन के पश्चात विदेशी मुद्राओं के रूप में भारत के निर्यात में बहुत कमी हुई है । अब हमारा निर्यात अवमूल्यन से पूर्व के स्तर से कुछ अधिक हो रहा है । निःसंदेह निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु विश्व के निर्यात में जितनी वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए यह नाम मात्र की वृद्धि हुई है । अवमूल्यन के बिना भी हम इस स्तर तक पहुंच सकते थे । अतः हमें इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

मेरे विचार में सबसे बड़ी सफलता हमें आयात को कम करने में मिली है । कृषि क्षेत्र में विकास के कारण ही हमें यह सफलता प्राप्त हुई है । यदि हम अनाज का आयात कर सकें तो हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।

मैं यह महसूस करती हूं कि विदेशी ऋणों का बोझ बहुत अधिक है । अतः हमें अधिक लाभ अर्जित करके अथवा आयात को कम करके विदेशी मुद्रा के बोझ को कम करना चाहिये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

तामिल नाडू में 'हिन्दी' के नाम पर आर्थिक विषमताओं, रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण आन्दोलन चल रहा है । बेरोजगारी की समस्या बढ रही है । आठ हजारों इंजीनि-

नियर बेरोजगार है। हमें प्रादेशिक असुन्तलन को रोकना चाहिये। योजना आयोग के रिकार्ड के अनुसार अन्तर्राज्यीय असुन्तलन अत्यधिक है। यदि कोई राज्य कृषि और सिंचाई पर अधिक धन खर्च करना चाहता है तो हमें ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिये। हमें इस सम्बन्ध में राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिये।

अधिकांश सरकारों ने चाहे वे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी वित्तीय विकेन्द्रीकरण की मांग की है। वित्त मंत्री को स्टेलवाड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहिये। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यों और अधिक अधिकार देने चाहिये। मंत्रीमण्डल का एक निर्णय और उस पर सबको समान रूप से कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक पम्पसैटों और उर्वरकों पर कर लगाने का प्रश्न है कुछ लोगों को इसके कानूनी आशय के बारे में शंका है माननीय मंत्री को इसके कानूनी आशय के बारे में पुनः विचार करना चाहिये।

राज्य सरकारों पर केन्द्र का 5191 करोड़ रुपया बकाया हैं। इस सबको बट्टे खाते नहीं डाला जा सकता। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वैदेशिक दयापर मन्त्रालय ने एक विशेष प्रकार की अनाज की बोरियों का नियंत्रण करने का निर्णय किया है।

यह भावना व्यक्त की गई है कि इसके कारण अनाज की बोरियों का बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति बोरी बढ़ जायेगा। मुझे पता चला है कि सप्लाई विभाग ने बड़े पैमाने पर गेहूं की बोरियों को खरीदने का सौदा किया है। इस बारे मे वित्त मन्त्री को जाँच करनी चाहिये। इस उद्योग के विनियंत्रण के आदेश नहीं दिये जाने चाहिये। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होंगी। माननीय वित्त मन्त्री को एक अन्य बड़े घोटाले को रोकने के लिये इस सब सौदे की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री श्री वी० कांत नायर (किवलोन) : वित्त-मन्त्री ने अपने बजट भाषण में औद्योगिक और कृषि विकास के बारे में बहुत उत्साहवर्धक चित्र खींचा है लेकिन मेरे विचार से उसमें अधिक प्रगति नहीं हुई है। दक्षिण भारत में कपड़े की मिलें बन्द हो गई हैं। स्वयं वित्त मन्त्री ने स्वीकार किया है कि प्रति वर्ष सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर थी। कुछ निर्यात पर रियायत देने और कुछ उद्योगों को रियायत देने के सुझाव दिये गये हैं। इससे वास्तविक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं।

यह कहा गया है कि यदि खाद्यान्नों का आयात बन्द हो जाता है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था संतुलित हो जायेगी। लेकिन वित्त मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

खाद पर कर लगाने के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में अधिक व्यय होगा और अनाज का मूल्य न केवल खुले बाजार बल्कि राशन की दुकानों में भी बढ़ जायेगा। किसान लोग सरकार को दी गई गेहूं की रकम से कम अपनी उत्पादन लागत को वापिस करने की मांग करेंगे और सरकार को यह मूल्य अदा करना पड़ेगा। यदि किसानों को उनकी लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो वे बड़े पैमाने पर खेती नहीं करेंगे। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो

जायेगी। अतः उर्वरकों पर कर लगाने से हमारे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।

सिगरेट, मोटर स्प्रिट पर कर लगाने से एक सामान्य व्यक्ति प्रभावित होगा। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये बस या टैक्सी का प्रयोग करना पड़ता है। उसे बस का अधिक किराया देना पड़ेगा। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वित्त मंत्री ने ऐसा अमीर व्यक्तियों के लाभ को कम करने के उद्देश्य से किया है।

मिट्टी के तेल पर भी कर में वृद्धि की गई है। सब गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती। गांवों में कोई भी गरीब विद्यार्थी नहीं पढ़ सकेगा। क्योंकि आप मिट्टी के तेल पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था कि विशेष शुल्क के मुकाबले यथा मूल्य शुल्क अधिक अच्छा है। कपड़े पर जब भी शुल्क लगाया जाता है वह प्रतिगज को दर से लगायी जाता है। इस बारे में कपड़े की किस्म की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा दक्षिण भारत की कपड़ा मिलों को अलाभ पहुंचाने के लिये किया गया है। सब चीजों पर यथा मूल्य शुल्क लगाया गया है जबकि केवल कपड़े के मामले में किस्म और छपे कपड़े पर प्रतिगज के हिसाब से शुल्क लगाया गया है। इससे अहमदाबाद के मिल मालिकों को लाभ होगा और दक्षिण भारत के मिल मालिकों को हानि होगी।

सम्पत्ति कर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वित्त मन्त्री ने यह प्रस्ताव रखा है कि सम्पत्ति कर पर एकत्रित किया गया धन राज्य सरकारों को दिया जायेगा। क्या वह इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा?

उप प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भविष्य में ऐसा ही होगा।

श्री श्रीकांत नायर : यदि ऐसा है तो इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिये। अन्यथा भविष्य में आने वाले वित्त मन्त्री यह कह सकते हैं कि वे राज्यों को करों का केवल 50 प्रतिशत भाग देने के लिये तैयार है?

इसके अतिरिक्त सब कर देश के लोगों के विरुद्ध हैं।

यदि राज्यों को कर द्वारा सहायता नहीं दी जायेगी तो सब राज्य चाहे उनमें कांग्रेसी सरकार हों अथवा गैर-कांग्रेसी सरकारें, केन्द्र सरकार के विरुद्ध हो जायेगी। अतः आपको उनको वित्तीय सहायता देने के साधन खोजने चाहिये।

भारत जब स्वतन्त्र हुआ था तब भारत सरकार के मन्त्रालयों में सचिवों की संख्या केवल आठ थी जो अब बढ़कर दस गुना हो गई है। यह ठीक है कि उनमें से कुछ योग्य, ईमानदार और परिश्रमी हैं लेकिन उनमें से अधिकांश कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मन्त्री अपने मंत्रालय में पांच या छः सचिव रखना चाहता है अतः केवल उन्हीं कर्मचारियों को सेवा में रखना चाहिये जो प्रशासन के लिये उपयोगी हो। अन्य पदों को समाप्त किया जाना चाहिये।

हमने सरकारी उपक्रमों में 3,500 करोड़ रुपया लगाया है और इसके बावजूद भी प्रत्येक वर्ष इन उपक्रमों में 40 या 50 करोड़ रुपये की हानि होती है।

केरल राज्य में विकास के कार्यों में खर्च में कमी की गई है। वहां हाल ही में 20,000 बीड़ी कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। काजू कारखाने में काम करने वाले एक लाख व्यापारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। नारियल की जटा का उद्योग समाप्ति पर है। इस उद्योग को फिर से चालू करने के लिये क्या किया गया है ? यदि आप समस्याओं का उचित ढंग से समाधान नहीं करेंगे तो देश में क्रांति आ जायेगी और सरकार को उखाड़ फेंका जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्य विधान मण्डल की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE; WEST BENGAL GOVERNOR'S ADDRESS TO BOTH HOUSE OF THE STATE LEGISLATIVES

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दे रहा हूं। सरकार को पश्चिमी बंगाल की विधानसभा तथा विधान परिषद के समक्ष राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के बारे में अभी तक राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी यह पता लगा है कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण करते समय छपे हुए पाठ के दो पैराग्राफ नहीं पढ़ने का निर्णय किया था। बाद में यह पता लगा कि मुख्य मन्त्री ने इसका विरोध किया था। राज्यपाल ने अपने भाषण को रोकते हुए इस बारे में मुख्य मंत्री तथा उनके बीच हुए पत्र व्यवहार का उल्लेख किया और उसके बाद राज्यपाल ने अपना भाषण का शेष भाग पढ़ा।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : क्या आपने राज्यपाल को वे पैराग्राफ न पढ़ने के लिये कहा था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

Shri Atal Behari Vajpayee : This incident is very important from the constitutional point of view. It will not only have its effects on that state alone, but it will have its effect on the country as a whole.

It has been said that the Law Minister advised the Governor that if he wished he could refuse to read some paragraphs of the printed text. Hon. Home Minister has clarified his position, but the Law Minister should also classify his position.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं कि इस बारे में विधि मन्त्री की कानूनी राय मांगी गई थी और सरकार ने राज्यपाल को वे पैराग्राफ न पढ़ने की अनुमति दी थी। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सम्भव है कि विधि मन्त्री की इस बारे में सलाह ली गई हो और नई दिल्ली के महानुभावों ने 'हां' अथवा 'न' करने के स्थान पर चुप रहने में ही ठीक समझा हो।

राज्यपाल ने निश्चित परिपाटी के विरुद्ध कार्य किया है और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। इससे देश को और लोकतन्त्र की संसदीय प्रणाली को बहुत धक्का लगा है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इस विषय पर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय और इसके लिये पूरी तैयारी की आवश्यकता है अतः इस विषय पर शांतिपूर्ण वातावरण में चर्चा की जानी चाहिये। मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित करूंगा।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : राज्यपाल ने संविधान के उपबन्ध का उल्लंघन किया है। उन्होंने सरकार द्वारा दिये गये अभिभाषण को नहीं पढ़ा। अतः उन्हें वहां की सरकार का मुखिया नहीं समझा जा सकता और वह वहां राज्यपाल के रूप में नहीं रह सकते।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : कुछ सदस्यों ने इस बात का नोटिस दिया था कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को पदच्युत कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में बहुत से नोटिस प्राप्त हुए हैं। उनका अध्ययन करने के बाद ही मैं उनके बारे में अपना निर्णय दे सकता हूं। उनमें से केवल एक पर ही स्वीकृति देनी है। (अन्तर्वाधाएं)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इस विषय पर कल चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से भी इस बारे में परामर्श करूंगा। सरकार को स्पष्टीकरण का अवसर देना चाहिये। अधिकृत समाचार राज्य सरकार से ही प्राप्त होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये। लेकिन चर्चा शांत वातावरण में

की जानी चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार कल जानकारी देगी अत: इस विषय पर कल चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय पर चर्चा का स्वागत किया जायेगा।

अध्यक्षमहोदय : मैं सभा के सब वर्गों से इस विषय पर सहयोग देने की अपील करूंगा। सरकार को इस विषय पर जानकारी देनी चाहिये। इस विषय पर शायद सोमवार चर्चा की जानी चाहिये।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 7 मार्च, 1969/16 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह-बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, March 7, 1969/Phalguna 16, 1890 (Saka).